पुलिस विज्ञान

(त्रैमासिक पत्रिका)

अक्टूबर-दिसम्बर, 2009

सलाहकार समिति

प्रसून मुखर्जी

महानिदेशक

डा. शेषपाल वैद

निदेशक (एस.पी.)

संपादक : **दिवाकर शर्मा**

पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो

ब्लाक-11, 3 एवं 4 मंजिल

सी.जी.ओ. कम्पलैक्स, लोदी रोड

नई दिल्ली-110003

संपादकीय

पुलिस विज्ञान त्रैमासिक पत्रिका का अक्टूबर-दिसम्बर, 2009 का अंक पाठकों के समक्ष प्रस्तुत है। जैसा कि संपादक मंडल का यह प्रयास रहता है कि पत्रिका में पुलिस, न्यायालयिक विज्ञान व अन्य संबंधित विषयों की प्रामाणिक व प्रासंगिक जानकारी प्रदान की जाए। अतः अपराधों को सुलझाने में पुलिसकर्मियों द्वारा किस प्रकार की कार्य प्रणाली अपनाई जाए, अपराधों से निपटने तथा अपराध होने की संभावनाओं से संबंधित कुछ ओजस्वी विचार तथा प्रैस की भूमिका पर वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों तथा समाज के कुछ प्रबुद्ध वर्ग द्वारा प्रस्तुत किए जाते हैं जो आम पुलिस-कर्मी के साथ सभी वर्ग के लिए उपयोगी होते हैं।

इस अंक में इस बार आप सभी के लिए **श्वेतपोश अपराध व पुलिस का योगदान— एक दृष्टिगत, मानवाधिकार संरक्षण और पुलिस, हरीत्मा से लालिमा तक : छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद की मीमांसा, प्रभावकारी पुलिस नेतृत्व के मौलिक गुणों का सिंहावलोकन, लोकतांत्रिक व्यवस्था एवं पुलिस प्रशासन, मानवाधिकार और मुख्य दिशा निर्देश गैर-सरकारी संगठनों का मानवाधिकारों के कार्य में योगदान, बालक-बालिका में लिंगीय भेद करना गैर कानूनी, पुलिस-जनता अंतरक्रिया** से संबंधित लेख भी हैं। पत्रिका के सुधी पाठक पत्रिका को और अधिक सूचनाप्रद व उपयोगी बनाने में अपना सक्रिय सहयोग प्रदान कर सकते हैं। आशा है कि पत्रिका में सम्मिलित सभी लेख पाठकों को उपयोगी लगेंगे और वे अपने विचारों से संपादक मंडल को अवगत कराते रहेंगे। आपके विचारों का सहर्ष स्वागत है।

दिवाकर शर्मा

संपादक

वर्ष - 27 अंक 109 अक्टूबर-दिसम्बर, 2009

अनुक्रम

आतंकवाद की समस्या और समाधान
• *इन्दराज सिंह* 7

"पुलिस आचरण और सर्वसाधारण का महत्व"
• *प्रेम बाला छावड़ा* 18

आतंकवाद के विरुद्ध नए कानूनी अस्त्र
• *अरुण कुमार पाठक* 29

आतंक का पंजा-भारतीय सुरक्षा बल
• *सुश्री कुसुम सिंह* 35

"विधि प्रवर्तकों से संबंधित आचार संहिता
• *मुकेश कुमार* 42

महिला-पुलिस अन्तःक्रिया सैद्धान्तिक व व्यवहारिक अध्ययन
• *मीना मल्हौत्रा* 54

महिलाओं के विरुद्ध कुप्रथाएं
• **डा. जयश्री एस भटट्** 60

समीक्षा समिति के सदस्य
प्रो. एम. ज़ैड. खान, नई दिल्ली
प्रो. एस.पी.श्रीवास्तव, लखनऊ
श्री एस.वी.एम त्रिपाठी, लखनऊ
प्रो. बलराज चौहान, भोपाल
प्रो. अरुणा भारद्वाज, नई दिल्ली
प्रो. जे.डी. शर्मा, सागर, (म.प्र.)
प्रो. स्नेहलता टंडन, नई दिल्ली
डा. दीप्ति श्रीवास्तव, भोपाल
प्रो. वी.के. कपूर, जम्मू
डा. शैलेंद्र कुमार चतुर्वेदी, मेरठ
डा. अरविंद तिवारी, मुंबई
डा. उपनीत लल्ली, चंडीगढ़
श्री एस.पी. सिंह पुंडीर, लखनऊ
श्री पी. डी. वर्मा, छत्तीसगढ़
श्री वी.वी.सरदाना, फरीदाबाद
श्री सुनील कुमार गुप्ता, नई दिल्ली

'पुलिस विज्ञान' में प्रकाशित लेखों में लेखकों के विचार निजी हैं। इनसे पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो, गृह मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली की सहमति आवश्यक नहीं।

कवर डिजायन : राहुल कुमार
अक्षरांकन एवं पृष्ठ सज्जा : रचना इंटरप्राइजिज, वी-8, नवीन शाहदरा, दिल्ली-110032

आतंकवाद की समस्या और समाधान

इन्दराज सिंह

कमांडेन्ट
3 वाहिनी, सीमा सुरक्षा बल
बाघा बार्डर, अमृतसर, पंजाब

भूमिका

आतंकवाद हमारे देश में एक लहर की तरह बढ़ता ही जा रहा है और मजबूती की राह पर अग्रसर है। पूरे विश्व में शायद ही ऐसा कोई देश हो जहां पर आतंकवाद की छाया न हो। यानि आज के आधुनिक दौर में पूरा विश्व आतंक के दौर से गुजर रहा है। चाहे वह अमेरिका हो या फिर ईरान, ईराक, पाकिस्तान या बांग्लादेश और चाहे भारत ही क्यों न हो। आतंकवाद की समस्या दिन-प्रतिदिन शान्ति और आम व्यक्ति की सुरक्षा के हिसाब से बिगड़ती ही जा रही है। बाजार, बस स्टैड, होटल, ट्रेन, हवाई जहाज या फिर भारतीय संसद भवन ही क्यों न हो। प्रत्येक जगह पर बम धमाकों के होने का अन्देशा बना रहता है तथा दिन-प्रतिदिन समाज जन अपने आप को असुरक्षित महसूस करने लगा है। जबकि भारत का प्रत्येक व्यक्ति आतंकवाद की समस्या से परिचित है।

भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है। भारतीय संविधान भी किसी धर्म या समाज को लेकर गठित नहीं किया गया है। यानि भारत में सभी धर्म के लोगों के लिए बराबरी का दर्जा हासिल है। बहुत सारे धर्म, बहुत सारी भाषाएं और रीति-रिवाज ही भारत की पहचान हैं। अनेक धर्म तथा भाषाएं होने के बावजूद भी भारत एशिया में एक बहुत बड़ी ताकत के रूप में उभर रहा है। जिसका मलाल आस-पास के देशों को छोड़कर बाकि अन्य देशों को भी इस बात पर सोचने के लिए मजबूर कर रखा है।

भारत की सीमाओं के साथ, सात पड़ोसी देशों की सीमाएं लगती है। लेकिन ज्यादा सीमाएं पाकिस्तान तथा बांग्लादेश की लगती है। 1947 से पहले बांग्लादेश पूर्वी पाकिस्तान के नाम से जाना जाता था। पाकिस्तान को बांग्लादेश बनने का बहुत दुःख है। भारत की आर्थिक स्थिति की मजबूती को देखकर पाकिस्तान और बांग्लादेश को अपनी सुरक्षा का खतरा लगा रहता है। इसलिए पाकिस्तान भारत की एकता और अखण्डता को बर्बाद करने के लिए हमेशा कोशिश करता रहता है। पाकिस्तान की यह कोशिश आज से नहीं बल्कि 1947 से ही रही है। सन् 1947 में पाकिस्तान ने कश्मीर पर आतंकवाद के लहजे में आक्रमण किया, ये अलग बात है कि बाद में वे आतंकवादी पाकिस्तान आर्मी के जवान निकले। सन् 1965 में फिर पाकिस्तानी आर्मी के जवानों ने साधारण वेश-भूषा में भारतीय सरहद में घुसने की कोशिश की और बाद में भारतीय सेनाओं ने पाकिस्तानियों को हार का मुख दिखाया। लेकिन पाकिस्तान फिर भी अपनी आदतों से बाज नहीं आया। फिर 1971 में पाकिस्तान ने भारत पर आक्रमण बोल दिया, जिस लड़ाई को भारतीयों ने एक जुट होकर पूरी मेहनत और लग्न के साथ लड़ा। पाकिस्तान को इस लड़ाई की बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ी, यानि पूर्वी पाकिस्तान, बांग्लादेश के रूप में अलग देश बना, लेकिन पाकिस्तान फिर भी शान्ति से नहीं बैठा और समय अन्तराल के साथ-साथ किसी न किसी रूप में भारत को चोट पहुंचाने की कोशिश करता रहा। पाकिस्तान ने फिर सीमा पार से आतंकवाद तथा घुसपैठ जैसी हिंसक गतिविधियों को अंजाम दिया। लेकिन वह उसमें भी नाकामयाब रहा। कारगिल में फिर एक बार भारतीय जमीन पर कब्जा करने के लिए अपनी आर्मी के जवानों को सिविल लिबास में भेजकर सीमाओं पर कब्जे की कोशिश की जिसकी भारतीय सेना को लड़ाई के मैदान में स्वयं को साबित करने के लिए काफी कठिन

मेहनत और साहस की परीक्षा देनी पड़ी और पाकिस्तान को एक बार फिर हार का सामना करने के साथ-साथ मुंह की खानी पड़ी, लेकिन पाकिस्तान की खुफिया एजेसी आई एस आई को अभी भी चैन नहीं आया और पूरी तरह भारत में किसी न किसी तरह अपनी उपस्थिति बनाए रखने की कोशिश जारी रखी। जिस कारण से भारत के राज्य, गुजरात, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, राजस्थान, उत्तरप्रदेश, कर्नाटक, असम, त्रिपुरा और भारत की राजधानी नई दिल्ली में भी बमों को ब्लास्ट कर भारतीय जनता के दिल में आतंक फैलाने की प्रक्रिया अभी भी जारी है। 26 नवम्बर 2008 को किया गया आतंकी हमला, भारत में सबसे बड़ा और पेचीदा हमला था। इस आतंकवादी हमले से भारतीय अर्थव्यवस्था को तो ठेस पहुंची ही है साथ ही भारतीयों के दिलों में आतंक की छवि भी छोड़ी है। यह कहना सही नहीं होगा कि पाकिस्तान की आई एस आई खुफिया एजेंसी के द्वारा तैयार पाकिस्तानी आतंकवादी द्वारा बगैर किसी सहयोग के भारत की मुम्बई में आतंक फैलाया गया। यह सवाल बहुत ही अहम और पेचिदा है, जिसका जवाब तलाश करना होगा।

मुख्य आतंकवादी संगठन

भारत की जमीन पर हो रहे आतंकी हमलों को देखने और अनुसंधान के बाद ऐसा लगता है कि स्वयं भारत में आतंक फैलाने में पड़ोसी देशों का ही हाथ रहा है, चाहे वो पाकिस्तान हो या बांग्लादेश। पाकिस्तान स्वयं अपने देश को अफगानिस्तान के आतंकियों से बचाने के लिए लड़ाई-लड़ रहा है तथा कुछ हिस्से को अफगानिस्तान से अभी भी आजाद कराने में नाकामयाब है। अफगानिस्तान के आतंकी संगठनों में मेल-जोल होने के कारण पाकिस्तान गरीब युवाओं को अपना निशाना बनाकर उन्हें ट्रेनिंग देकर भारत के खिलाफ उनके जहन में जहर भरकर भारत में आतंक फैलाने के लिए भेज देता है। इस्लाम के नाम पर उन्हें तैयार कर भारत के किसी न किसी राज्य में भारतीय मुसलमानों का नाम लेकर अपने आप को आत्मघाती बनाकर किसी घटना को अंजाम देते हैं। पाकिस्तान एक बहुत बड़ी समस्या से गुजर रहा है। एक तरफ पाकिस्तान अमेरिका के साथ अफगानिस्तान सीमा पर लड़ाई लड़ रहा है तथा दूसरी तरफ अपने देश को अफगानिस्तानी आतंकवादियों से बचाने में जुटा हुआ है। लेकिन अफगानिस्तानी आतंकवादियों से पाकिस्तान को अपने इलाके को छुड़ाने के लिए भारी कीमत चुकानी पड़ रही है। पाकिस्तान का क्षेत्रफल, भारत के क्षेत्रफल के मुकाबले काफी कम है। लेकिन पाकिस्तान में लगभग 11 आतंकवादी समूह ऐसे हैं जो अंदरूनी संगठन हैं तथा 32 आतंकवादी संगठन अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी घटनाओं को अंजाम दे रहें हैं। इन संगठनों के नाम कुछ इस प्रकार हैं—

पाकिस्तानी प्रजातांत्रिक संगठन

1. लश्कर-ए-ओमर (लिओ)
2. सिपाह-ए-सहाबा पाकिस्तान (एस. एस. पी.)
3. तहरीक-ए-जफेरिया पाकिस्तान (टी.जे.पी.)
4. तहरीक-ए-नफज-ए-शारियत मोहम्मदी
5. लश्कर-ए-जहांग्वी (एल. ई. जे.)
6. सिपाह-ए- मुहम्मद पाकिस्तानी (एस.एस.पी.)
7. जमात-उल-फकरा
8. नदीम कमांडो
9. पोपुलर फ्रंट फार आर्मड रेजिसटेंस
10. मुस्लिम युनाइटेड आर्मी
11. हरकत-उल-मुजाहीदीन अल-अलामी

पाकिस्तान में औद्योगिक विकास न होने के कारण तथा सैन्य शक्ति का वर्चस्व होने के कारण बेरोजगारी और गरीबी ज्यादा है जिस कारण से नये-नये जिहादी ग्रुप दिन-प्रतिदिन जन्म ले रहे हैं। घरेलू संगठन के अलावा पाकिस्तान में 32 अर्न्तराष्ट्रीय आतंकवादी संगठन मौजूदा परिस्थितियों में आतंक फैलाने का कार्य कर रहे

हैं। जिससे सहज ही यह अनुमान लगाया जा सकता है कि पाकिस्तान किस प्रकार का देश है। अन्तर्राष्ट्रीय संगठन जो पड़ोसी देश तथा दूसरे देशों में ही अपनी योजना के अनुसार आतंकी गतिविधि को अंजाम दे रहे हैं वे इस प्रकार हैं :

पाकिस्तान के अंतर्राष्ट्रीय संगठन

1. हिज्बुल मुजाहिद्दीन (एच.एम)
2. हरकत उल अंसार (वर्तमान में हरकत उल मुजाहिद्दीन के नाम से जाना जाता है)
3. लश्कर-ए-तयबा (एल.ई.टी)
4. जैश-ए-मोहम्मद
5. हरकत उल मुजाहिद्दीन (एच.यू.एम पहले हरकत उस अंसार के नाम से जाना जाता था)
6. अल बार
7. जमात उल मुजाहिद्दीन (जे.यू.एम)
8. लश्कर-ए-जब्बर (एल.ई.जे.)
9. हरकत उल जेहाद अल-इस्लामी
10. मुताहिदा जेहाज कांउसिल (एम.जे.सी)
11. अल बर्क
12. तेजरिक-उल-मुजाहिद्दीन
13. अल जेहाद
14. जम्मू एंड कश्मीर नेशनल लिब्रेशन
15. पीप्पुलस लीग
16. मुस्लिम जांबाज फोर्स
17. कश्मीर जेहाद फोर्स
18. अल जेहाद फोर्स (संयुक्त मुस्लिम जांबाज फोर्स एंड कश्मीर जेहाद फोर्स)
19. अल उमर मुजाहिद्दीन
20. महाज-ए-आजादी
21. इस्लाम जमात-ए-तुलबा
22. जम्मू एंड कश्मीर स्टूडेंटस लिब्रेशन फोर्ट
23. इल्कवान उल मुजाहिद्दीन
24. इस्लाम स्टुडेंट लीग
25. तेहरिक-ए-हुर्रियत ए कश्मीर
26. तेहरिक ए निफाज ए फिकार जाफिया
27. अल मुस्ताफा लिब्रेशन फाइटर
28. तेहरिक ए जेहाद ए इस्लाम
29. मुस्लिम मुजाहिद्दीन
30. अल मुजाहिद्दीन फोर्स
31. तेहरिक ए जेहाद
32. इस्लाम इंकलाबी महाज

इस तरह से कुल 43 आतंकवादी संगठन हैं जो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आतंकवादी घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। पाकिस्तानी सरकार पूर्ण रूप से इन संगठनों को सक्रिय रख अपनी सरकार को बचाने में मदद ले रही है। इसके अलावा पाकिस्तान बांग्लादेश का भी पूर्ण उपयोग भारत में आतंक फैलाने के लिए कर रहा है। क्योंकि बांग्लादेश तीन तरफ से भारतीय सीमा से घिरा हुआ है और ज्यादातर जनसंख्या मुस्लिम धर्म से संबंध रखती है। जैसा की आप सभी जानते हैं बांग्लादेश भी पहले पूर्वी पाकिस्तान के नाम से जाना जाता था लेकिन पूर्वी पाकिस्तान ने पश्चिमी पाकिस्तान से स्वतन्त्र होकर अलग देश के रूप में जन्म लिया। बांग्लादेश की आर्थिक स्थिति अच्छी न होने के कारण, बहुत सारे आतंकवादी संगठन सक्रिय हैं जिन्हें चलाने के लिए विदेशों से आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। बांग्लादेश में भी मौजूद आतंकवादी संगठन भारतीय राज्यों में जैसे— त्रिपुरा तथा असम में आतंकी घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। पाकिस्तान, बांग्लादेश के आतंकी संगठनों से मिलकर अपनी आई एस आई, खुफिया एंजेसी की सहायता से भारत की पूर्वी राज्यों में आतंक फैलाने की कोशिश करता रहता है। बांग्लादेश के मुख्य आतंकी संगठन कुछ इस प्रकार है—

बांग्लादेश आतंकवादी संगठन

1. हरकत उल जेहाद अल इस्लामी (हूजी)

2. जगराता मुस्लिम जनता बांग्लादेश (जे.एम.जे.बी.)
3. जमात उल मुजाहिद्दीन बांग्लादेश (जे.एम.बी)
4. पूर्वा बांग्ला कम्यूनिस्ट पार्टी (पी.बी.सी.पी)

भारतीय जनता भी अशिक्षित तथा गरीब होने के कारण अपनी जान की परवाह न कर किसी न किसी संगठन से शीघ्र ही जुड़ जाती है। थोड़े से पैसों के लिए, बुजदिल जेहाद के नाम पर बेगुनाहों को मारते हैं जिससे दिन-प्रतिदिन आतंकवाद की समस्या बढ़ती जा रही है। पश्चिमी देशों की कतार में ज्यादा देश मुस्लिम आबादी से भरे हैं। लेकिन भारत के आतंकवादी संगठन भी इन आतंकी घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। जो भारतीयों की सुरक्षा के लिए खतरा पैदा करते हैं। लेकिन दूसरे देशों के आतंकवादी संगठन ही अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर आतंक फैलाने में सक्षम हैं। वर्ष 2008 में आतंकी हमलों ने भारतीय जनता, राजनेताओं और सुरक्षा तन्त्र को झकझोर दिया है एवं सोचने पर मजबूर कर दिया है कि इन हमलों के लिए कौन जिम्मेदार है? सभी अपने आपको बचाने के लिए एक-दूसरे की गलती छुपाने के लिए किसी न किसी रूप में एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप जड़ते रहते हैं।

पिछले कुछ महीनों में, भारत के प्रमुख शहरों में जिस स्तर पर बमों के ब्लास्ट की घटनाएं घटी हैं। वह भारतीय समाज के लिए एक चुनौती बन गई हैं और यह सिलसिला दिन-प्रतिदिन बढ़ता ही जा रहा है। सन् 2008 में भारत में हुई आतंकी घटनाओं में मारे गए तथा घायल भारतीयों का लेखा जोखा कुछ इस प्रकार है :

उपरोक्त घटनाओं से ऐसा प्रतीत होता है कि भारतीय जनता ने सब कुछ सहने के लिए अपने आप को तैयार कर लिया है तथा इस ज्वलनशील समस्या से निपटने के लिए तैयार नहीं है। अमेरिका की 09/11 की घटना विश्व में हुई आतंकी घटनाओं में से एक है। अमेरिका ने इस घटना से क्या कुछ सीखा की अभी तक अमेरिका में और कोई आतंकवादी घटना नहीं हुई है। क्योंकि अमेरिकी सरकार अपने देश को संगठित कर, आतंकवाद से लड़ाई लड़ने के लिए अपनी जनता का सहयोग लेकर, सक्षम रूप से कार्य कर रही है। भारत भी इस समस्या से निपट सकता है। यदि सभी भारतीय सामाजिक तन्त्र बगैर किसी स्वार्थ के कार्य करें तो अपने देश को सुरक्षित रख सकते हैं।

	जनवरी	फरवरी	मार्च	अप्रैल	मई	जून	जुलाई	अगस्त	सितम्बर	अक्टूबर	नवम्बर	दिसम्बर
आतंकवादी घटनाएं	—	1	—	—	2	1	3	—	4	8	3	2
मरने वालो की संख्या	—	0	—	—	63	0	52	—	42	125	176	5
घायलों की संख्या	—	0	—	—	213	7	186	—	158	629	337	29

मुम्बई आतंकी घटना

भारतवासी ही नहीं बल्कि सम्पूर्ण विश्व इस आतंकी हमले का साक्षी है जोकि 72 घंटे तक चलकर समाप्त हुआ। जिसका आतंक मीडिया द्वारा विभिन्न टीवी चैनलों के द्वारा लाईव दर्शाया गया। जो लगभग सभी बच्चों ने भी देखा। क्योंकि टीवी ज्यादातर प्रत्येक घर में उपलब्ध है, जैसा कि अखबारों से मालूम होता है कि मुम्बई आतंकवादी हमले 26.11.08 की कहानी कुछ इस प्रकार है।

सन् 2003, दुबई में गोरे गांव (वैस्ट) मुम्बई, भारत वासी दुबई में कार्य की तलाश कर रहा था। वह भारतीय संगठन (एस आई एम आई) का एक सदस्य था। जिस संगठन पर भारत ने अभी बैन लगा रखा है। लेकिन कार्य की तलाश उस व्यक्ति को एक ऐसे व्यक्ति के पास ले गई जो दुबई में लश्कर-ए-ताएबा आतंकी संगठन का सदस्य था। उस व्यक्ति को उत्तेजित कर पाकिस्तान में प्रशिक्षण देकर भारत के मुम्बई शहर में आतंकवाद के ठिकानों की तलाश के लिए भेजा। उस व्यक्ति ने मुम्बई में रहते-रहते उन सभी जगहों का निरीक्षण किया, जहां पर 26 नवम्बर को आतंकी आक्रमण हुए हैं। उसने जगहों की पूर्ण जानकारी लेकर, नक्शा भी तैयार किया। 26 नवम्बर की योजना एक साल पहले ही बना ली गई थी तथा इसको सफलता से लागू करने के लिए पाकिस्तानी आई एस आई खुफिया एजेंसी ने आतंकवादियों को हथियार, कम्प्यूटर, तैराकी, फिजिकल प्रशिक्षण तथा दिमागी रूप से तैयार कर भारत में हमला करने के लिए तैयार किया, इसका सबूत अजमल अबु कासिम मुज्जाहिदद्ीन है।

प्रशिक्षण पूरा होने के साथ-साथ पाकिस्तानी आई एस आई खुफिया एजेंसी इन तैयार आतंकवादियों को कई बार समुद्र के रास्ते से रैकी करने और तैयारी के लिए भेजती रही है। जिस आतंकी ग्रुप से जम्मू और कश्मीर की पुलिस ने दो आतंकवादियो को पकड़ा था तथा जम्मू और कश्मीर के पुलिस विभाग ने इस नयी घुसपैठ के रास्ते के बारे में प्रशासन को अवगत भी कराया था। लेकिन सभी विभाग अपना कार्य करते रहे और पाकिस्तान से 10 आतंकवादियों के ग्रुप कराची शहर से जहाज में सवार होकर, समुद्री रास्ते से भारत के गुजरात के बन्दरगाह से दूसरे जहाजों में बैठकर, नावों के जरिए मुम्बई शहर में प्रवेश कर गए।

दिनांक 26.11.08 लगभग रात 9 बजे छोटी रबर की नौकाओं से आतंकवादियों का एक गिरोह समुद्री रास्ते से आया। लगभग 09.30 पर एक टुकड़ी ने कैफे लियोपाड में अंधा-धुंध फायरिंग की, लगभग 10.00 बजे मुम्बई के प्रमुख होटल ताज में प्रवेश कर 72 घंटे तक लड़ाई लड़ी, लगभग 10.00 बजे ही एक अन्य आतंकी दस्ते ने छत्रपति शिवाजी टर्मिनस रेलवे स्टेशन पर गोलीबारी की, दो मेट्रो सिनेमा की ओर दौड़े, लगभग 10.30 बजे, अन्य दल के द्वारा ओबराय होटल में लोगों को बंधक बनाया। ओबराय होटल में आतंकवादियों के साथ मुठभेड़ करीब 72 घंटे तक चली, लगभग 10.30 बजे ही एक टैक्सी में भीषण विस्फोट किया और नरीमन हाउस में लोगों को बंधक बनाया।

आतंकी संगठन ने पहली बार भारत की जमीन पर समुद्र के रास्ते को इस्तेमाल कर मुम्बई पर हमला किया। समुद्री रास्ते का उपयोग फिलिस्तीनी आतंकवादी संगठनों ने इज़राइल पर हमले के लिए तथा श्रीलंका पर एल टी टी ई ने भी समुद्री रास्तों का प्रयोग अभी तक नहीं किया है। लेकिन पाकिस्तान स्थित आतंकी संगठन, लश्कर-ए-तयबा, हिज्बुल मुजाहिद्दीन, जैश-ए-मोहम्मद और हरकत-उल-मुजाहिदद्ीन जिनको पाकिस्तानी प्रशिक्षित आतंकवादियों ने भारत की तटीय सुरक्षा को सेंध लगाकर मुम्बई पर धावा बोलकर, भारतीय इतिहास में एक ऐतिहासिक घटना को अंजाम दिया है।

पाकिस्तानी मशीनरी का रोल

पाकिस्तानी मशीनरी की बहुत बड़ी हिस्सेदारी इस मुम्बई आतंकी घटना में रही है। भारतीय जन पाकिस्तान के रवैये से अवगत है तथा भारतीय अर्थव्यवस्था को कमजोर करने के उद्देश्य से, पाकिस्तान के गरीब नागरिकों को आतंकी संगठन में भर्ती कर, प्रशिक्षण देकर, झूठे-सच्चे वादे देकर, भारतीय जमीन पर मुम्बई की व्यवस्था को अस्त-व्यस्त करने की भरपूर कोशिश की गई। पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आतंकवादियों को पूर्णरूप से योजना के साथ मुम्बई में भेजने और घटना को सफलता से अंजाम देने में सफल रहे। पूरे 72 घंटे तक पाकिस्तानी

आतंकवादियों द्वारा सुरक्षाकर्मियों के बीच चली मुठभेड़ का समय-समय पर टीवी पर प्रसारण देखकर आतंकी सरगना अपनी रणनीति में बदलाव करते रहे। जिस कारण से पुलिस बल या सेना को काफी समय तक आतंकवादियों का सामना करना पड़ा, ज्यादा समय तक चले इस ऑपरेशन से बन्धकों को किस तरह आतंकवादियों ने अपना निशाना बनाया, इसका विवरण संभव नहीं।

पाकिस्तान ने भारतीय देशद्रोहियों को मुम्बई ऑपरेशन के लिए टारगेट की रैकी, साधनों का बन्दोवस्त करने, मोबाइल फोन के सिम कार्ड तथा अन्य वस्तुओं को इस्तेमाल में किया। जिनका खुलासा धीरे-धीरे होता जा रहा है। एक पाकिस्तान है जो अपने नागरिक आतंकवादी अजमल कसाब जो अभी मुम्बई पुलिस के चंगुल में है, को न तो पाकिस्तानी नागरिक मानने के लिए तैयार है और न ही कोई कानूनी सहायता देने के लिए तैयार है अगर मान भी लेता है तो वह इस आतंकवादी की मांग करेगा, लेकिन कुल मिलाकर भारतीय जनता को मालूम हो गया है कि मुम्बई पर हमला एक बहुत बड़ा हमला था। जो किसी न किसी जगह पर यह साबित करता है कि भारतीय जनता, भारतीय पुलिस, भारतीय खुफिया एजेंसी देश की सुरक्षा को लेकर कितने चिन्तित हैं।

आतंकवाद से कैसे लड़ें?

सन् 1947 से ही भारत आतंकवाद और इंसरजैसी की समस्या किसी न किसी राज्य में झेल रहा है लेकिन भारतीय तन्त्र अभी भी आतंकवादी घटनाओं को रोकने में नाकामयाब साबित हो रहा है। भारतीय अर्थव्यवस्था में विकास को देखते हुए, भारतीय समाज को आतंकवाद से लड़ने के लिए अपने आप को तैयार करना होगा, क्योंकि इतना नुकसान कोई भी देश बार-बार सहन नहीं कर सकता। लेकिन फिर भी आतंकवाद से कैसे लड़ें? कुछ एक बिन्दु सभी के लिए आवश्यक हैं।

1. एकता : भारत एक धर्म निरपेक्ष देश है जिसमें भिन्न-भिन्न जाति और धर्म के वाशिंदे निवास करते हैं लेकिन फिर भी भारतीय समाज के लोग विभिन्न जाति धर्म और भाषाएं होने के बावजूद एक हैं इसलिए भिन्नता में एकता है। लेकिन आम जनता के एक जुट होने के बावजूद भी हम आतंकवादी हमलों को रोकने में नाकामयाब हो रहे हैं क्योंकि भारतीय जनता के एकजुट होने के साथ पुलिस बल, सुरक्षा एजेन्सियां और जिला प्रशासन का एक होना भी अतिआवश्यक है। मुम्बई आतंकवादी हमले से प्रतीत होता है कि खुफिया एजेन्सियों ने पुलिस बल को सूचनाएं प्रदान की लेकिन पूर्ण समन्वय न होने के कारण न तो मुम्बई पुलिस और न ही खुफिया एजेंसी आतंकवादियों के हमले की साजिश को भांप सकी और न ही रोक सकी। अगर भारत में आतंकवादी हमलों को रोकना है और आतंकवाद को खत्म करना है, तो इस उददेश्य को सफल बनाने के लिए भारतीय समाज के प्रत्येक व्यक्ति को चाहे वह आम आदमी हो, पुलिस, खुफिया एजेन्सी और प्रशासन में ही क्यों न कार्यरत हो। देशभक्ति की भावना के साथ ईमानदारी से पूरे समाज को तैयार करना होगा। तभी हम आतंकवाद से लड़ाई लड़ सकते हैं। जब विदेशी आतंकवादियों ने मुम्बई की जमीन पर कदम रखा, तो कुछ भारतीय जनता ने उनके कार्यकलाप को देखकर नजरअंदाज किया जोकि एकजुट न होने का भरपूर संकेत दर्शाता है अतः एकजुट होकर आतंकवाद को समाप्त किया जा सकता है।

2. जरूरी प्रशिक्षण : प्रशिक्षण किसी भी कार्य को सफलता से पूर्ण करने के लिए अति आवश्यक है चाहे वो तकनीकी कार्य हो और चाहे लड़ाई लड़ने का ही कार्य क्यों न हो, क्योंकि किसी ने ठीक ही कहा है कि प्रशिक्षण के दौरान "जितना पसीना बहाओगे उतना ही कम खून लड़ाई में बहेगा।" मुम्बई आतंकवादी घटना से यह साबित हो चुका है कि हमारी पुलिस और जनता ऐसे हादसों से निपटने के लिए कितनी प्रशिक्षित है। यहां लिखना उचित होगा कि पुलिस विभाग कानून व्यवस्था और

यातायात व्यवस्था को सुनिश्चित करने में व्यस्त रहते हैं और कभी छोटी मोटी मुठभेड़ माफिया ग्रुप के साथ होती रहती है जो प्रशिक्षित आतंकवादियों के साथ लड़ाई लड़ने के लिए पूर्ण नहीं है इसलिए यह आवश्यक होगा कि प्रत्येक जिले के पुलिस अधीक्षक ऐसी घटनाओं से निपटने के लिए विशेष दल प्रशिक्षित करें। जिससे कि किसी दूसरी फोर्स के इतंजार तक घटना को काबू में रख जान और माल को बचाया जा सके। इतना ही नहीं बल्कि भारतीय जनता को भी किसी स्तर पर जैसे स्कूल में या अलग से वयस्क व्यक्तियों के लिए कालेज स्तर पर इस प्रकार की स्थिति से निपटने या सामना करने के लिए प्रशिक्षित करना अतिआवश्यक है। क्योंकि होटल में बनाए गए बधकों से पुलिस को किसी प्रकार की कोई सहायता नहीं मिली जिस कारण से काफी जान और माल का नुकसान हुआ। होटल में बनाए गए कुछ बंधकों से पुलिस को सूचना या किसी आतंकवादी को पकड़ना इत्यादि की सूचना मिलती तो शायद मुम्बई पुलिस ही इस नाटकीय आतंकवादी घटना पर काबू कर सकती थी। इसका मुख्य कारण, हमारी जनता और पुलिस ऐसी घटना से अनभिज्ञ और अनुभवी न होना था। पुलिस और समाज जन ऐसे कार्य से निपटने में निपुण होते तो 72 घंटे का खूनी खतरनाक खेल कम समय में ही समाप्त कर लिया जाता और संभव था कि कुछ और बंधकों को आतंकवादियों के चंगुल से जीवित बचा लिया जाता।

3. भ्रष्टाचार पर नियंत्रण और अनुशासन : ये बड़े दुख की बात है कि हम भारतीय सारी आवश्यकताओं को अपने सुरक्षा तन्त्र में जोड़ने का प्रयत्न करते हैं। अगर उपलब्ध नहीं हो तो सरकार को बार-बार बताकर महसूस कराते हैं कि सुरक्षा तन्त्र में इन सभी चीजों की आवश्यकता है। लेकिन ये बड़ी विडंबना की बात है कि भ्रष्टाचार पर नियन्त्रण और अनुशासन के मुद्दों पर शायद ही कोई प्रतिक्रिया जाहिर करता हो। ये बात सभी को मालूम है कि किसी भी देश की सुरक्षा को कमजोर करने के लिए भ्रष्टाचार जैसे दानव को पैदाकर किसी भी कार्य में सफलता प्राप्त की जा सकती है। भ्रष्टाचार और अनुशासन सिर्फ पुलिस पर ही लागू नहीं होता, यह देश के प्रत्येक नागरिक के साथ-साथ, जिम्मेदार राज्य प्रशासन पर भी लागू होता है। मुम्बई में आतंकवादियों का प्रवेश और हमला बगैर किसी भारतीय नागरिक की जानकारी की सहायता के बिना कैसे सम्भव था? यानि किसी न किसी स्तर पर कोई न कोई भारतीय नागरिक आतंकवादियों के हमले से अवश्य जुड़ा है जो साफ तौर पर भ्रष्टाचार और खराब अनुशासन को दर्शाता है। भ्रष्टाचार पर नियन्त्रण आवश्यक है क्योंकि आतंकवाद को रोकने के लिए आतंकवादियों की सहायता न करके आतंकवादियों को पुलिस द्वारा पकड़वाने में अहम भूमिका अदा करनी होगी। ऐसा करने से आतंकवादियों को आतंकवादी घटना को अंजाम देने से पहले ही पहचान कर लिया जाएगा जिससे आतंकवादी भी पकड़े जाएंगे और घटना को भी रोका जा सकेगा। अतः प्रत्येक भारतीय भ्रष्टाचार को दूर रख अनुशासन में रहते हुए आतंकवाद को समाप्त करने में अपनी अहम भूमिका निभा सकता है और यह संभव है।

4. पोटा या टाडा का दुरुपयोग : राज्य, सुरक्षा एजेन्सियां और प्रशासन, पोटा जैसे सख्त कानून की अपेक्षा करते हैं तथा सरकार भी इससे सख्त कानून बनाने के लिए विशेष सभा बुलाकर सख्त कानून की नींव रखने की कोशिश करती है। लेकिन क्या पोटा और टाडा उपयुक्त कानून नहीं है? झारखण्ड में सात वर्ष के बच्चे से लेकर अस्सी साल के बूढ़े तक पर पुलिस ने पोटा जैसे कानून को लगाया और सजा दिलाई क्या यह पोटा और टाडा का दुरुपयोग था? ये वहां की पुलिस और राजनीतिक पार्टी ही बता सकती है। लेकिन भारत के अन्दर पनप रहे आतंकवाद की जड़ें कहां तक फैली हैं इसका अंदाजा मुम्बई हमले के बाद सभी विभाग और समाज जन को मालूम हो चुका है। अगर हम सभी भारतवासी आतंकवादी घटना को होने से पहले ही रोक सकें तो शायद ज्यादा

सख्त कानून की आवश्यकता नहीं होगी। हम सब जानते हैं कि आतंकवाद को उच्च स्तर पर पहुंचाने की पूरी कोशिश हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तान की है। जो हमेशा तालिबान के दबाब में आतंकवादियों को भारत में भेजने की कोशिश में रहता है। इस कोशिश को नाकाम कर सकते हैं अगर हम सभी भारतीय ईमानदारी से राष्ट्रहित में जोखिम उठाकर, अपने देशवासियों की सुरक्षा करें और उपलब्ध कानून का पूर्ण व उचित उपयोग करें।

5. राजनीतिक लाभ के लिए पोटा या टाडा का उपयोग : प्रत्येक भारतीय को गर्व है कि भारत एक प्रजातन्त्र देश है जनता अपने देश की उन्नति और विकास के लिए अपने साधारण जन से राजनीतिक पार्टियों के उम्मीदवारों को चुनकर अच्छी सरकार चुनते हैं लेकिन भूतकाल में ऐसे बहुत से उदाहरण हैं जिनको यहां लिखना आसान नहीं है। भारत में अनेक ऐसी राजनैतिक पार्टियां हैं जो सत्ता के साथ-साथ राजनीतिक लाभ उठाने के लिए किसी न किसी तरीके से झूठे मामले को गलत तरीके से खोलकर बेकसूर व्यक्ति को सजा दिलाने या ऐसे केसों में दोषी करार साबित करने में अपनी अहम भूमिका निभाती है। राजनैतिक पार्टियों को देश की सुरक्षा और अखण्डता के साथ-साथ देश के एक सभ्य भारतीय बनकर राज्य मशीनरी को कानून के दायरे में रखकर प्रयोग करें जिससे प्रशासन को मजबूरन भ्रष्टाचार को दूर रखकर कार्य करने का मौका मिलेगा। जो राज्य की सुरक्षा को मजबूती प्रदान कर, आतंकवाद को कम करने में सहयोगी होगा।

6. आतंकवादियों के बारे में जानकारी : आतंकवाद की समस्या से निपटने के लिए यह आवश्यक है कि प्रत्येक राज्य की पुलिस की खुफिया एजेंसी, प्रशासन और जनता को जानकारी होना अति आवश्यक है क्योंकि आतंकवादियों के बारे में जानकारी का अभाव होना हमारे भारतीय समाज के लिए बड़ी समस्या है। खुफियां एजेंसियां सूचनाएं एकत्रित कर राज्य पुलिस तन्त्र को प्रदान करती हैं तथा पुलिस तन्त्र भी अपने विभाग में खबर को सभी तक पहुंचाने में सफल रहते हैं। कुछ राज्य पुलिस इस खबर के मिलने पर उचित कार्रवाई कर कभी-कभी आतंकवादी घटनाओं को रोकने तथा उनसे संबंधित सामग्री और आतंकवादियों को भी पकड़/जब्त लेती है। जिससे एक बहुत बड़ी घटना को अन्तिम रूप देने से पहले ही नाकाम कर दिया जाता है। जिसकी आज भारत को आवश्यकता है। अगर आतंकवादियों से संबंधित जानकारी जैसे आतंकवादी ग्रुपों का नाम, संख्या, हमला करने का तरीका और संभावित हमले की जगहों के बारे में अगर वहां की जनता को भी जानकारी दी जाए तो बहुत सारी आतंकवादी घटनाओं को घटने से पहले रोका जा सकता है। साथ ही आतंकवादियों को पकड़वाने में जनता द्वारा सहयोग मिल सकता है। इसलिए यह आवश्यक है कि आतंकवादियों के हमले से संबंधित खबर जनता को सूचित किया जाए जिससे जनता और अन्य तन्त्र मिलकर आतंकवाद की लड़ाई से लड़ सके।

7. समाज की रक्षा : पुलिस तन्त्र का उद्‌गम समाज जन की रक्षा अपराधियों के खिलाफ कानून का प्रयोग कर सजा दिलाना और राज्य तथा केन्द्र में संभावित खतरे की जानकारी रख निपटने के लिए रणनीति बनाने की जिम्मेदारी है। क्या हमारी पुलिस वास्तव में अपनी ड्‌यूटी कर पा रही है, या पुलिस अपने कार्य के पथ से भटक रही है? पुलिस को आतंकवादी जैसी घटना की घटने से पहले जानकारी होनी चाहिए, तभी पुलिस अपराधी या आतंकवादी गतिविधियों पर अंकुश लगा सकती है। लेकिन पुलिस अपने मुख्य ध्येय के लिए कार्य करने में असमर्थ होती जा रही है। क्योंकि पुलिस कर्मी भारतीयों की ही, भारतीयों से रक्षा करती रहती है। यानि अधिकारियों, राजनेताओं की सुरक्षा में ही व्यस्त रहती है। जिससे पुलिसजन आतंकवादियों/अपराधियों द्वारा किए जाने वाली घटनाओं की पूर्ण सूचना प्राप्त नहीं कर पाते। सूचना को बाहर निकलकर ही प्राप्त किया जा सकता है। सूचना कभी भी दफ्तर में बैठे नहीं प्राप्त होती, परिणामस्वरूप

समाज के व्यक्तियों की सुरक्षा ताख पर रखी रहती है, और आतंकवादी अपने कार्य को अंजाम देने में सफल रहते हैं। समाज की रक्षा के लिए पुलिस तन्त्र को एक बार फिर जागना होगा जिससे अपराधियों को आसानी से पकड़कर आपराधिक घटनाओं को कम कर सकें, जिसकी देश को आवश्यकता है।

8. जनता का विश्वास : पुलिस अभी भी अधिनियम 1861 के अधीन कार्य कर रही है और इस अधिनियम में पुलिस को नकारात्मक भूमिका दी गई है। जो तत्कालीन प्रशासन की सुरक्षा के लिए बनाई गई थी। आज भी पुलिस की दमनात्मक छवि बरकरार है। जिस कारण से समाज के व्यक्ति पुलिस से बचते हैं और स्वयं को किसी भी केस में फसने से दूर रखते हैं इसका मुख्य कारण पुलिस तन्त्र पर जनता का विश्वास न होना है। जब से भारत आजाद हुआ है तब से लेकर अब तक पुलिस की छवि में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। इसलिए दमनात्मक छवि के कारण समाज जन संदिग्ध सूचनाओं या गतिविधियों से परिचित होने के बावजूद भी पुलिस को खबर नहीं देते। पुलिस की छवि अच्छी होने से जनता का पुलिस में विश्वास पैदा होगा। विश्वास पुलिस को घटनाओं के घटने से पहले सूचित कर सचेत करेगा। जनता का विश्वास एक बहुत बड़ा हथियार है इसे इस्तेमाल करना देश के हित में ही होगा।

9. पुलिस पर दबाव : पुलिस बल के लिए राज्य में बहुत सारे कार्य हैं। प्रत्येक स्थिति में पुलिस बल राज्य में आगे रहकर कार्य करता है। राज्य की सरकारें बदलती रहती हैं। जिसके कारण स्थानांतरण, पदोन्नति इत्यादि की समस्या को झेलना पड़ता है और पुलिस बल कानून के दायरे में रहकर अपने कार्य को अंजाम नहीं दे पाते। ऐसा होने से पुलिस बल की छवि खराब होती रही है। छवि के दिन-प्रतिदिन खराब होने के कारण पुलिस बल पर अन्य दवाबों के कारण, पुलिस अपना कार्य ईमानदारी और कानून के दायरे में रहकर नहीं कर पाती। यह सही समय है जब पुलिस बल को स्वतन्त्र रूप से बगैर किसी दवाब के ईमानदारी से कार्य करने की आवश्यकता है। जिससे पुलिस बल के कर्मचारियों की सोच में सकारात्मक परिवर्तन आए और समाज या राज्य की परवाह न करते हुए दबावमुक्त रहकर अपनी नौकरी और तनख्वाह तक ही सीमित रहकर अपने कार्य को पूर्ण अंजाम दे सकें। पुलिसकर्मी, पूर्ण कोशिश और दृढ़ विश्वास के साथ अभी भी राज्य पुलिस को मजबूत बना सकते हैं और समय पर आतंकवादी हमलों को रोकने और उनसे मुकाबला करने में सक्षम होंगे।

10. सिपाही का सर्वाधिक महत्व : सिपाही का पद पुलिस तन्त्र में एक महत्वपूर्ण पद है जो कि हमेशा जनता के साथ दिन-प्रतिदिन सम्पर्क में रहते हैं। पुलिस तन्त्र में यही एक ऐसा पद है जो सबसे ज्यादा खतरों से भरपूर है। खतरों के साथ-साथ जिम्मेदारी भी इसी पद के कर्मियों की होती है। क्योंकि राज्यों में जिला स्तर थानों में भी सिपाहियों को एक निश्चित इलाके में नियुक्त किया जाता है। जिसको बीट सिस्टम कहते हैं। सिपाही अपने बीट के इलाके में अलग-अलग तरह के स्रोत तैयार करते हैं। जिससे उसके इलाके में होने वाली किसी भी प्रकार की गतिविधि की जानकारी पहले ही प्राप्त हो जाती है। कोई भी आतंकवादी किसी भी घटना को अंजाम देने से पहले किसी इलाके में ही पनाह लेकर पूरी खबर हासिल कर आतंकवादी घटना को अंजाम देते हैं अगर भारतीय जनता बीट कांस्टेबलों को ऐसी खबरे दे और बीट कांस्टेबल अपनी ड्यूटी सचेत होकर ईमानदारी से करें तो आतंकवादियों की घटना को अंजाम देने से पहले ही पकड़ा जा सकता है। सिपाही और जनता का संबंध उच्च स्तर का होना चाहिए। जिससे सिपाही कोई भी जिम्मेदारी उठाने में सक्षम हो।

11. पुलिसकर्मियों की कमी : प्रत्येक राज्य अपने पुलिस तन्त्र को हमेशा ही अच्छा और प्रभावी देखने की उम्मीद करता है। लेकिन दिन-प्रतिदिन बढ़ती जनसंख्या

पुलिस के उपलब्ध कुल कर्मियों के ऊपर नाकारात्मक प्रभाव डाल रही है। क्योंकि आबादी के साथ-साथ मौहल्ले और शहर दिन-प्रतिदिन बढ़ रहें हैं तथा प्रतिवर्ष पुलिस कर्मियों की संख्या में किसी न किसी कारण से कमी आती जा रही है। इसलिए प्रत्येक राज्य की पुलिस की संख्या आवश्यकता से कम है। जिसका मुख्य कारण समय पर पुलिस कर्मियों की भर्ती न करना भी है। घटनाओं का दिन-प्रतिदिन बढ़ना पुलिस तन्त्र में पुलिस कर्मियों की संख्या का कम होना ही मुख्य कारण है। भारत में 300 व्यक्तियों की भीड़ में खड़ा कर दिया जाए तो शायद वह नजर ही न आए अतः प्रत्येक राज्य को अपने पुलिस कर्मियों की संख्या में बढ़ोत्तरी करने की सख्त जरूरत है जिससे आतंकवादी गतिविधियों पर पूर्णतः नजर रखते हुए आतंकवाद को समाप्त करने में सफलता प्राप्त कर सकें।

12. अच्छे हथियार तथा प्रभावी संचार तन्त्र : आतंकवाद की चुनौती से निपटने के लिए तथा आतंकवाद और नक्सलवाद से ग्रस्त राज्यों की पुलिस बल को उचित प्रशिक्षित करने के साथ-साथ अच्छे हथियार तथा प्रभावी संचार तन्त्र प्रदान करने की आवश्यकता है। क्योंकि आतंकवादी स्वचलित हथियारों का प्रयोग कर रहे हैं। जिनकी गोली लगने की सम्भावना अधिक होती है जिसके कारण आतंकवादी कुछ दिन का ही प्रशिक्षण लेकर स्वचलित हथियार को चलाने में माहिर बन जाते हैं और अन्धाधुंध फायरिंग कर ज्यादा से ज्यादा व्यक्तियों को मारने में सफल रहते हैं। ठीक उसी प्रकार राज्य की पुलिस तन्त्र के पास अभी 303 राइफल मौजूद हैं जिसकी गोली लगने की एक्यूरेसी पर हमेशा शक बना रहता है। जिसको एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने तथा बार-बार लोड करने की समस्या भी हमेशा बनी रहती है। इसलिए वर्तमान स्थिति के देखते हुए पुलिस कर्मियों को अच्छे स्वचलित हथियार मुहैया कराने के अलावा सख्त प्रशिक्षण की आवश्यकता है जिससे पुलिस कर्मी अपने मनोबल को ऊंचा रखते हुए उचित कार्रवाई कर आतंकवादी चुनौती से डटकर सामना कर सकें।

किसी भी शहर में अगर कोई आतंकवादी हमला होता है। तो मोबाइल नेटवर्क को भी जाम कर दिया जाता है। जिसका मुख्य कारण आतंकवादियों द्वारा प्रयोग में लाए जाने वाले मोबाइल संचार को बन्द करने की कोशिश की जाती है जिससे दूर बैठे आतंकवादी कमांडरों से कोई भी निर्देश प्राप्त न कर सकें। लेकिन आधुनिक युग में आतंकवादी सैटेलाइट फोन का प्रयोग करते हैं। मोबाइल नेटवर्क को बन्द करने का विपरीत असर हमारे पुलिस तन्त्र पर पड़ता है क्योंकि पुलिस कर्मियों के व्यक्तिगत मोबाइल फोन नेटवर्क जाम होने के कारण मोबाइल फोन काम करना बन्द कर देते हैं तथा उच्च अधिकारी को सही खबर देने में असमर्थ रहते हैं अगर किसी पुलिस कर्मी के पास रेडियो संचार (प्रोटो फोन) उपलब्ध भी होता है तो ऊंचे-ऊंचे भवनों के कारण प्रोटो फोन भी कार्य नहीं करता है। आतंकवाद से लड़ाई लड़ने के लिए एक अच्छी संचार व्यवस्था की आवश्यकता है। जिस पर राज्य पुलिस अपना ध्यान आकर्षित कर सकती है। क्योंकि "कम्यूनिकेशन इज द बैक बोन ऑफ वार"।

13. आतंकवादियों की पहचान : आतंकवाद की समस्या से पूरा विश्व ग्रस्त है। भारत भी इस आग में जल रहा है। आज के आधुनिक युग में जहां पड़ोसी देश में ज्यादा से ज्यादा आतंकवादियों को प्रशिक्षित करने के लिए कैंप चलाए जा रहे हैं तथा आतंकवादियों को भारत में घुसपैठ के लिए तैयार किया जा रहा है, एक निहायत ही चिंता का विषय है। आने वाले समय में भारतीयों के लिए इस आतंकवाद से लड़ना एक चुनौती पूर्ण कार्य होगा। इसलिए खुफिया एजेंसी और राज्यों के पुलिस तन्त्र द्वारा अपने कर्मचारियों के अलावा भारतीय जनता को भी जानकारी देना अतिआवश्यक है। जिससे भारतीय जनता ऐसे आतंकवादी ग्रुप के सदस्यों को अपने इलाके में पहचानकर पुलिस को उचित समय पर उचित सूचना

दे सकें तथा भविष्य में होने वाली आतंकवादी घटना को रोका जा सके। हमारी खुफियां एजेन्सियां समय-समय पर आतंकवादियों के इरादों के बारे में राज्य पुलिस को इत्तला देती रहती हैं लेकिन राज्य पुलिस इन खबरों पर कितनी कार्रवाई को अंजाम देती है यह यहां लिखना मुश्किल है। अगर राज्य पुलिस आतंकवाद से जुड़ी जानकारी जैसे फोटो, चेहरे का हुलिया, संभावित खतरे और लक्ष्य के इत्यादि के बारे में समाज जन को टीवी के द्वारा, अखबारों में तथा इश्तिहार लगाकर जानकारी दी जाए तो अवश्य ही पुलिस समाज जन द्वारा पहचाने गए आतंकवादियों को समय से पहले ही पकड़ने में सफल होगी।

उपसंहार

भारत एक प्रजातान्त्रिक देश है। जिसकी सरकार लोगों की, लोगों के लिए, लोगों के द्वारा बनाई जाती है। प्रत्येक भारतीय को अपने देश में स्वतन्त्रता से स्वतन्त्र और स्वच्छ श्वास लेने का हक है। जो हमारे पड़ोसी देश की जनता को अच्छा नहीं लगता क्योंकि पड़ोसी देश पाकिस्तान में ज्यादातर सैनिक सत्ता का बोलबाला रहा है। जिससे पाकिस्तानी जनता आजाद होते हुए भी आजादी से कार्य नहीं कर सकती। पाकिस्तान की आई एस आई एजेंसी भारतीय अर्थव्यवस्था को किसी न किसी रूप से घायल करने में जुटी है। चाहे वह पंजाब में आतंकवादी गतिविधियां रही हों या जम्मू और कश्मीर में और या भारत के अन्य राज्यों जैसे असम, बैगंलूर, जयपुर, अहमदाबाद और मुम्बई जैसे बड़े भारतीय शहरों में ही क्यों न हो। आतंकवादी गतिविधियों के साथ-साथ जाली नोटों का बोलबाला तथा मादक पदार्थों की तस्करी भी मुख्य उददे्श्य रहा है।

आतंकवाद की लड़ाई से निपटने के लिए भारतीय तन्त्र को एक जुट होकर, परिपक्व योजना बनाकर उसे ईमानदारी से अमल करने से ही मुकाबला किया जा सकता है। इसके अलावा पुलिस कर्मियों की संख्या में बढ़ोत्तरी, पुलिस स्टेशनों में बढ़ोत्तरी, अच्छे हथियार तथा संचार प्रणाली और प्रशिक्षण देकर ही पुलिस विभाग को पूर्ण दोषी ठहराया जा सकता है।

आतंकवाद की लड़ाई सिर्फ पुलिस बल के लड़ने से ही नहीं लड़ी जा सकती क्योंकि समाज जन, पुलिस की आंख और कान का कम बहुत अच्छी तरह से निभा सकते हैं। लेकिन पुलिस का व्यवहार ठीक न होने के कारण करोड़ों आंखें और कान बेकार हैं जिन्हें पुलिस बल दुबारा से विश्वास जाग्रित कर कामयाब बना सकते हैं। समाज जन भी देश की सुरक्षा के लिए अपनी जान की परवाह न करते हुए अवश्य ही पुलिस का सहयोग करेंगे अन्यथा हम सब भारतीय इसी प्रकार राजनेताओं, पुलिस बल, प्रशासन और जनता को दोषी ठहराते रहेंगे। जिससे न तो आतंकवादी घटनाएं कम हो सकती हैं और न ही आतंकवाद की लड़ाई लड़ी जा सकती है। एक दूसरे को दोषीकरार न देकर पहल करनी होगी। हम भारतीय इस आतंकवाद की लड़ाई से जीत सकते हैं, अभी भी समय है। क्योंकि तालिबानियों का पाकिस्तान के कुछ इलाकों में निरन्तर कब्जा करने के कारण भारत की सुरक्षा और अखण्डता को खतरा पैदा हो रहा है। इस खतरे से बचने के लिए एक जुट होकर जिम्मेदारी और ईमानदारी से आतंकवाद का मुंहतोड़ जवाब देना होगा। सभी भारतीय अपने देश की सुरक्षा के लिए तैयार और सक्षम है, ये मेरा विश्वास है।

❑

"पुलिस आचरण और सर्वसाधारण का महत्व"

प्रेम बाला छावड़ा

डब्लू जैड-एल-II-75, न्यू महावीर नगर,
पी.ओ. तिलक नगर, नई दिल्ली-110018

आचरण क्या है?

समाज की जागरूकता एवं शिक्षा के प्रसार ने पुलिस विभाग में व्याप्त कमियों को उज़ागर किया है।

पुलिस छवि को सुधारने, पुलिस जनता संबंधों को सुधारने एवं जन सहयोग प्राप्त करने के लिए पुलिस को अनुशासन एवं अच्छे आचरण का पालन करना चाहिए। आचरण वह प्रक्रिया है जिसका अनुसरण करके व्यक्ति अच्छा कहलाता है और समाज में अपना एक स्थान बनाता है।

आचरण का संबंध नैतिकता से है सामाजिक मूल्य एवं आचार नीति का अनुसरण आचरण का निर्माण करता है, कोई भी व्यक्ति या समाज विकास और प्रगति पर जा सकता है यदि उस समाज ने अपनी आंतरिक सुरक्षा तथा सामाजिक न्याय पर आधारित आचार-संहिता बना रखी है और व्यक्ति उसका अनुसरण करते हों। आचरण का सीधा संबंध व्यक्ति के चरित्र से होता है या यों कहें कि चरित्र का संबंध आचरण से है। आचरण, वाणी और कर्म से निर्मित होता है। वाणी और कर्म विचार के अधीन होते हैं। विचार बुद्धि के अधीन और बुद्धि कभी तो विवेक के अधीन देखी जाती है तो कभी अहंकार के अधीन। अतः चरित्र निर्माण की क्रिया से ही आचरण के तत्वों का संबंध है—अहंकार, विवेक, बुद्धि, विचार, वाणी तथा कर्म। प्रत्येक मानव के अन्तःकरण में कोई आवाज़ हर समय सलाह देती पाई जाती है। वह आवाज चाहे विवेक की हो या अहंकार की, हमारे पास बुद्धि के ही माध्यम से आती है। जब यह विवेक के अधीन होकर हमसे आचरण कराती है तो लोग उसे सदाचरण कहते हैं और इसके पालन करने वाले को चरित्रवान? जब यही बुद्धि विवेक विरुद्ध, अहंकार के अधीन होकर आचरण कराती है तो उसे दुराचरण कहा जाता है और इनके पालन करने वाला व्यक्ति दुश्चरित्र होता है। यदि व्यक्ति अपना कर्तव्य निभाते समय निम्नलिखित सात प्रवृत्तियों का ध्यान रखता है तो वह सही आचरण वाला व्यक्ति कहा जाता है। वे सात प्रवृत्तियां निम्नलिखित हैं :

1. अविचल आत्मविश्वास,
2. अपनी कथनी की सार्थकता में अडिग आस्था,
3. अपनी संकल्प शक्ति का भरपूर उपयोग,
4. अपने भविष्य पर अटूट निष्ठा,
5. अंतःकरण में अन्तः उत्साह,
6. आलस्य रहित होना, और
7. संपूर्ण सामर्थ्य तथा संपूर्ण कौशल से समस्त कार्यों को करने की प्रवृत्ति।

निर्धारित पद्धति के प्रतिकूल आचरण करना दुराचरण है और ऐसा व्यक्ति दुश्चरित्र व्यक्ति कहलाता है। जब पेट, हृदय, जिगर, फेफड़े आदि अंग अपने-अपने निर्धारित आचरणों को चुस्ती से सम्पादित करते हैं तो शरीर बलवान और अपने अस्तित्व के उद्देश्य को पूरा करने में समर्थ होता है। इनमें से कोई भी एक अंग अपने आचरण में थोड़ी सी भी शिथिलता लाता है तो सम्पूर्ण शरीर भी बेकार सा होने लगता है। यही बात पुलिस विभाग पर भी लागू होती है। यदि एक भी पुलिस कर्मी गलत आचरण करता है तो कार्य प्रणाली ठप हो जाती है और पुलिस की बदनामी होती है।

भारतवर्ष में पुलिस प्राचीन काल में गुप्तचर का कार्य करती थी। ब्रिटिश सरकार ने पुलिस का संगठन अपने स्वार्थ के लिए किया। पुलिस के बलबूते पर अंग्रेजों ने भारत पर राज किया। ब्रिटिश शासन में पुलिस आचरण

के सिद्धांतों की आवश्यकता नहीं समझी गई। भारत में प्रजातांत्रिक सरकार होने के कारण ब्रिटिश शासन की पुलिस के रवैये में परिवर्तन लाने के लिए आज तक प्रयत्न चल रहे हैं। यही कारण था कि 1960 में एक समिति बनाई गई और पूरे देश की पुलिस के लिए पुलिस आचरण संहिता तैयार की गई। पुलिस आचरण संहिता से तात्पर्य पुलिस बल में कर्तव्यपरायण, आज्ञापालन और अनुशासन को प्रोत्साहन करने के लिए मार्ग दर्शन करने वाले नियमों की उस सूची से है जो पुलिस कर्मियों के व्यवहार, चरित्र और व्यक्तित्व का निर्माण करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है।

प्रत्येक समाज या संस्था में कार्यरत व्यक्तियों के काम करने का अपना एक विशिष्ट तरीका होता है, जो संगठन के व्यक्तियों के व्यवहार, चरित्र एवं विशिष्ट योग्यताओं की पहचान कराता है। उस समाज या संस्था के अपने मूल्य एवं आदर्श होते हैं जो सैद्धान्तिक रूप से सर्वमान्य होते हैं। इन मूल्यों एवं आदर्शों की नियमावली को आचार संहिता के नाम से जाना जाता है। जिससे कि संस्था में आज्ञा पालन, कर्तव्यपालन एवं अनुशासन को बढ़ावा देते हुए व्यक्तिगत एवं विभागीय कार्यकुशलता को अधिक से अधिक मात्रा तक बढ़ाया जा सके और प्रशासनिक उद्देश्यों को प्राप्त किया जा सके।

पुलिस आचरण

वैसे तो कोई विभाग भी ऐसा नहीं दिखाई पड़ता जिसमें उसका कर्मचारी उस विभाग द्वारा प्रतिपादित आचार संहिता का पालन पूरी तरह से करता हो और पुलिस भी उसका अपवाद नहीं है। प्रत्येक विभाग और समाज की आचार संहिता होती है जिसके पालन करने से उस विभाग और समाज की छवि में निखार आता है और कार्य भी सुचारू रूप से चलता है। पुलिस विभाग में प्रायः देखा गया है कि छोटी श्रेणी के कुछ पुलिस कर्मी आचार संहिता को ताक पर रखकर काम करते हैं। गाली देना, मार-पीट करना, डंडा घुमाना, दुर्व्यवहार करना, जनता के व्यक्तियों को बेइज्ज़त करना आदि रोजमर्रा की ज़िदगी में उनके आचरण के हिस्से बन जाते हैं। कालान्तर में ये उनकी आदतें बन जाती हैं जिससे वह सामान्य पुलिसकर्मी न रहकर अपने आप में एक कारण बन जाता है जो पुलिस की छवि को धूमिल करता है। आज प्रत्येक पुलिसकर्मी को यह अवश्य सोचना चाहिए कि वह ब्रिटिशकाल का पुलिसकर्मी नहीं है। वह स्वतंत्र भारत के प्रजातांत्रिक एवं कल्याणकारी देश का नागरिक है और उसकी नियुक्ति जनसेवक के रूप में हुई है न कि शासक के रूप में।

अच्छे आचरण से अभिप्राय पुलिस बल में कर्तव्य, आज्ञा पालन, अनुशासन तथा दूसरों के अधिकारों को ध्यान में रखकर कर्म करना है। अर्थात् प्रत्येक पुलिसकर्मी को अपने विभाग द्वारा निर्धारित परिसीमाओं के अन्दर रहकर कानून के अनुसार, मानव अधिकारों को ध्यान में रखकर कार्य करना चाहिए। इसका उल्लंघन करने पर आम जनता को तकलीफ होती है। वे नियम जिन पर चलकर पुलिस कर्मी का व्यवहार, चरित्र और व्यक्तित्व बनता है, वह कालान्तर में उसके आचरण में परिवर्तित हो जाता है। अतः पुलिस एवं समाज दोनों को ही अपने-अपने मूल्यों तथा आदर्शों को दृष्टिगत रखते हुए कार्य करना चाहिए।

प्रजातांत्रिक देश में पुलिस के आचरण को ब्रिटिश शासन के पुलिसकर्मी के आचरण से एकदम भिन्न रखने की आवश्यकता महसूस की गई है। देश में आजादी के बीस साल बाद यह आवश्यकता महसूस हुई कि देश के प्रजातांत्रिक स्वरूप को ध्यान में रखते हुए पूरे देश की पुलिस के लिए कुछ आचरण के सिद्धांतों का निर्माण किया जाना चाहिए जिससे कि पुलिस कर्मियों का व्यवहार, कर्तव्यपरायणता, छवि और गौरव बढ़ाया जा सके।

आज समय आ गया है कि पुलिस कर्मी की बहुमुखी प्रतिभा जैसे—एक वकील, डाक्टर, इंजीनियर, समाज

सुधारक, शिक्षक, मनोवैज्ञानिक, प्रबंधक, अपराध शास्त्री एवं जन सम्पर्क अधिकारी वाले व्यक्तित्व की तरह होनी चाहिए। तभी जनता का विश्वास जीता जा सकता है और सहयोग की आशा की जा सकती है।

निष्कर्ष रूप से हर पुलिस कर्मी को कम से कम निम्न आचरण का प्रदर्शन करना चाहिए :

1. हर पुलिस कर्मी को निष्पक्षता और बिना भेद-भाव के अपने कर्तव्य को निभाना चाहिए।
2. हर वर्ग के व्यक्ति को उचित सम्मान देना चाहिए, मधुर वाणी का प्रयोग करना चाहिए। कहा गया है कि "कौवा किसका धन हर लेता, कोयल किसको दे देती है, केवल मीठे बोल सुनाकर, वश में सबको कर लेती है।"
3. पुलिस कर्मियों को जनता के साथ बहस नहीं करनी चाहिए और उचित कानूनी कार्रवाई करनी चाहिए।
4. शिष्टता एवं भद्र व्यवहार से जनता का दिल जीतना चाहिए और उनकी मदद करनी चाहिए तथा औरतों और बुजुर्गों का सम्मान करना चाहिए। यदि जनता का कोई व्यक्ति तुम्हारा अपमान करे या क्रोध करे तो ऐसी स्थिति में संयम और आत्मनियंत्रण रखना चाहिए और उसके खिलाफ जो कानूनी कार्रवाई बनती है, अमल में लानी चाहिए।
5. आचरण के सिद्धान्तों को अपनाना चाहिए।
6. समय का सदुपयोग करना चाहिए तथा आधुनिक पुलिस से संबंधित ज्ञान हासिल करना चाहिए। नशीले पदार्थों का सेवन नहीं करना चाहिए और बदनामी से डरना चाहिए।
7. मिल-जुलकर काम करने की भावना को बढ़ावा देना चाहिए।
8. अपराधों की रोकथाम करने की पूरी कोशिश करनी चाहिए।
9. ईमानदारी का प्रदर्शन करना चाहिए और भ्रष्टाचार का विरोध करना चाहिए।
10. हर पुलिस कर्मी को समझना चाहिए और उसका जीवन समाज के लिए समर्पित है और समाज की सेवा करना उसका प्रथम कर्तव्य है।

सदाचरण बनाम चरित्र निर्माण

पहले भी यह बात स्पष्ट की जा चुकी है कि मनुष्य का चरित्र उसके आचरण से दृष्टिगोचर होता है या यूं कहिए कि आचरण से किसी व्यक्ति के चरित्र का पता चलता है। अतः आचरण निर्माण के लिए चरित्र निर्माण परम आवश्यक है क्योंकि लोगों में एक अच्छा पुलिसकर्मी उसी स्थिति में नैतिक प्रभुत्व प्राप्त कर सकता है जब उसका चरित्र अच्छा हो। रोज के क्रियाकलापों में पुलिस कर्मी बहुत से व्यक्तियों के सम्पर्क में आता है। अतः उसका आचरण उन व्यक्तियों के साथ अच्छा, फलदायक एवं भलाई करने वाला होना चाहिए। यदि पुलिस कर्मी स्वयं चरित्रवान है तो स्वाभाविक है कि उसका आचरण भी ठीक होगा और उसी स्थिति में जनता भी उससे प्रभावित होगी तथा सहयोग के लिए तत्पर होगी। अतः पुलिस कर्मी के नैतिक चरित्र का निर्माण होना बहुत जरूरी है।

एक अच्छे पुलिस कर्मी का चरित्र कैसा होना चाहिए वह विभाग द्वारा निर्धारित आचार संहिता तथा खुद पुलिस कर्मी के अपने गुण जैसे ईमानदारी, विश्वसनीयता, कर्तव्यपरायणता, जनसेवक की भावना, देश-प्रेम, पद-प्रतिष्ठा आत्म-विश्वास और साहस आदि हैं। इसके अतिरिक्त एक अच्छे चरित्रवान व्यक्ति को दयालु, विचारशील, शिष्टाचारी, धैर्यवान, खतरे का सामना करने वाला और निष्पक्ष होना चाहिए। एक अच्छा पुलिस कर्मी कभी भी अपने अपमान के लिए गुस्सा नहीं दिखाता बल्कि धैर्य, शिष्टता और सभ्यता का परिचय देता है। उपेक्षा की भावना एक अच्छे पुलिसकर्मी में नहीं आनी चाहिए बल्कि उसे सहायता के लिए तुरन्त तैयार रहना चाहिए।

चरित्र क्या है?

चरित्र व्यक्तिगत गुणों का वह भंडार है जो व्यक्ति के आचरण के उपरान्त उजागर होता है। अतः चरित्र के ऊपर वंशानुक्रम तथा बाह्य, सामाजिक, राजनैतिक, प्राकृतिक तथा आर्थिक परिस्थितियों का प्रभाव पड़ता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि चरित्र, व्यक्ति के अंदर निहित मानसिक तथा नैतिक दशाओं का भंडार है जो आचरण के बाद एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में भिन्नता प्रकट करता है। व्यक्ति के चरित्र पर उसके वंश और वातावरण का असर पड़ता है। वंश से उसके चारित्रिक गुण स्वतः ही उसमें समाहित होते हैं जबकि बाह्य वातावरण से कुछ गुण वह अर्जित करता है। लेकिन अधिकांशतः यह देखा गया है कि व्यक्ति के चरित्र पर सामाजिक, पारिवारिक, आर्थिक, समसामयिक तथा राजनैतिक परिस्थितियों का असर बहुत पड़ता है। यह सब किसी भी व्यक्ति के ग्रहण करने की शक्ति पर निर्भर करता है। वह बचपन में मां-बाप, भाई-बहन परिवार के अन्य सदस्य, पड़ोसी तथा स्कूल में जाने पर अध्यापक, अन्य बच्चे और समाज से गुण और अवगुण दोनों ही ग्रहण करता है। कुछ गुण व्यक्ति अनुभव से सीखता है। अतः चरित्र निर्माण के लिए अच्छी परिस्थितियों का होना अति आवश्यक है।

1. अनुशासन : चरित्र निर्माण के लिए अनुशासन बहुत महत्वपूर्ण है अनुशासन कोई थोपने की वस्तु नहीं है। यह आत्मा से पल्लवित होता है। अनुशासन घर, बाहर, विद्यालय, समाज, खेल, नौकरी आदि सभी में निहायत जरूरी है। यह सही है कि अनुशासन कठोरता से नहीं थोपा जा सकता, लेकिन यह भी सही है कि "भय बिन, होय न प्रीति" अर्थात् भय के बिना अनुशासन नहीं होता। अनुशासन बचपन से ही सीखा जाता है। अतः बच्चे को शुरू से ही आत्मविश्वास की शिक्षा देनी चाहिए तथा अनुशासन का पालन करने की आदत डलवानी चाहिए। पुलिस विभाग तो अनुशासन के बिना चल ही नहीं सकता। अतः प्रत्येक पुलिस कर्मी को अनुशासित होना अति आवश्यक है। सामान्य रूप से पुलिस में अनुशासित होने से तात्पर्य है, पुलिस के आचरण के सिद्धान्तों को मानना।

2. शिक्षा : चरित्र निर्माण के लिए तथा जीवन में सफल होने के लिए शिक्षा हासिल करना परमावश्यक है। कहा गया है "ऋते ज्ञानात् न मुक्तिः।" अर्थात् ज्ञान के बिना मुक्ति नहीं है। ज्ञान के उपयोग, साधनों, नेतृत्व एवं कौशल की प्राप्ति के द्वारा ही चरित्र का निर्माण होता है। किसी भी चीज़ का ज्ञान तभी सार्थक है जब उसका इस्तेमाल भी आता हो। पुलिस विभाग में लोगों को कानूनी पहलुओं को सीखना चाहिए तथा दुर्व्यवहार, रिश्वत लेना, काम चोरी अपने चरित्र में से निकाल देनी चाहिएं। प्रशिक्षण में आत्मविश्वास, आत्मनिर्भरता और जनता का विश्वास जीतने की क्षमता का विकास करना चाहिए।

इसके अतिरिक्त सहनशक्ति और शिष्टाचार, ईमानदारी और सत्यता, निष्पक्षता और निष्कपटता, निर्णय लेने की योग्यता, साहस और आत्मविश्वास, साख व विश्वसनीयता, प्यार व सहानुभूति इन सभी घटकों की भी अनिवार्यता होनी चाहिए। तात्पर्य यही है कि किसी भी समस्या के आने पर शीघ्र विवेक और बुद्धि का इस्तेमाल करके समस्या का समाधान सोचना तथा सही निर्णय लेकर निदान करना। इस प्रकार यदि पुलिस कर्मी में समय पर निर्णय लेने की क्षमता, आत्मविश्वास और निष्पक्षता के गुण सम्मिलित हो जाते हैं तो उसे उच्च स्तर का व्यक्ति कह सकते हैं।

इस प्रकार हम देखते हैं कि व्यक्ति का चरित्र उसका आईना होता है जो उसके व्यक्तित्व को उजागर करता है। आप का चरित्र यदि अच्छा है तो आप समाज में सम्मान के योग्य होंगे और पूजनीय भी। दुनिया आपको आदर के साथ सुनेगी। अतः अपने चारित्रिक गुणों के आधार पर अच्छे आचरण का अनुसरण करके जनता का सहयोग ले सकते हैं और सही मायनों में देश की सेवा कर सकते

हैं तथा पुलिस छवि में भी चार चांद लगा सकते हैं।

खेलों में पुलिस आचरण

संसार में सर्वत्र, विशेष रूप से युवा जगत में खेल-कूद तथा खेलों की प्रतियोगिताएं पुराने समय से मानव जीवन का एक अभिन्न अंग बनी हुई हैं। खेलते समय हमें खेल को खेल की भावना से खेलना चाहिए। ऐसा ही नियम सदी से बनाया गया है।

खेल की भावना का तात्पर्य किस विशेष भावना से है, यह आज तक स्पष्ट नहीं हो पाया है। सामान्यतः हर व्यक्ति खेल के मैदान में जीतने के ही इरादे से उतरता है। अतः यह आशा करना कि वह हार कर खुश होगा, ऐसा नहीं लगता। हालांकि खेल की भावना का तकाज़ा यही बताया गया है कि हार हो या जीत, खिलाड़ी को मुस्कराते रहना चाहिए।

श्री भारतेन्दु प्रसाद सिंघल, आई.जी.पी. (रिटायर्ड) बताते हैं कि खेल की भावना का अर्थ है, 'नितान्त ईमानदारी और पूरी मेहनत से खेलना, रेफरी या अम्पायर के निर्णय को अत्यन्त शालीनता से स्वीकार करना, यदि खेल में हार जाएं तो चेहरे पर किसी भी प्रकार का खिन्नता या असहिष्णुता का भाव न आने देगा, अपितु संभव हो तो चेहरे पर मुस्कुराहट बनाए रखना तथा जीत होने पर किसी प्रकार के अहंकार को न आने देना बल्कि हो सके तो विनम्रता का आचरण करना।" वे पुनः लिखते हैं कि खेल का मैदान ऐसी शिक्षाएं देने वाला स्थान है कि यदि खेलते समय उन समस्त शिक्षाओं को ग्रहण कर लिया जाए तो सम्पूर्ण जीवन ही सार्थक हो सकता है क्योंकि खेल के मैदान की शिक्षा कक्षा में प्राप्त होने वाली शिक्षा से कई गुणा महत्वपूर्ण होती है। इससे शरीर का निर्माण, नियमों का पूर्ण ज्ञान प्राप्त करने की आदत, नियमों के अंदर रहने की आदत, अपने कौशल को प्रदर्शन करने का मौका, अपनी श्रेष्ठता के आधार पर जीतना, अपनी शक्ति का अवलोकन यथार्थ पर आधारित होना, प्रतिद्वंद्वी के प्रति सम्मान रखने की प्रवृत्ति, रैफरी द्वारा पकड़े गए दोषों को मुस्कराते हुए मानना, अपने लक्ष्य को ध्यान में रखना, टीम के सदस्यों के साथ सहयोग करना और सहयोग पाना, परिणाम को भाग्य पर न छोड़ना तथा संकल्प शक्ति का प्रयोग करना आदि।

इस प्रकार हम कह सकते हैं कि खेल की भावना नियमों से आबद्ध है जिसमें खिलाड़ी हार जीत की लड़ाई से ऊपर उठकर अच्छे खेल का प्रदर्शन करता है। अतः खिलाड़ी के समक्ष उसका कर्म सर्वोपरि होता है। कर्म के आधार पर करुणा, मैत्री और सहानुभूति की भावना के साथ खेल खेलना ही खेल भावना कहलाता है। खेल भावना में भाषा, जाति, धर्म, सम्प्रदाय या राष्ट्र की सीमाएं नहीं होती। इसमें "वसुधैव कुटुम्बकम्" की भावना को प्रमुख माना जाता है। राष्ट्रीय एकता को कायम रखने का यह प्रभावशाली माध्यम है।

प्रत्येक पुलिस कर्मी अपने इस रूप के अलावा एक नागरिक और खिलाड़ी भी होता है। अपने कर्तव्य के अलावा उसके हृदय में खेलों की भावना होना भी आवश्यक है। यह आवश्यक नहीं कि हर खिलाड़ी हर खेल खेले लेकिन उसे कोई न कोई खेल खेलना चाहिए जिससे उसके मन का बोझ हल्का हो जाता है। पुलिस प्रशिक्षण में भी इस बात पर जोर दिया जाता है कि पुलिस कर्मी को कोई न कोई खेल खेलना चाहिए जिससे कि उसका शारीरिक एवं मानसिक विकास हो सके तथा खेल की भावना जागृत हो सके और खेलों के आयोजन के समय अपना कर्तव्य भली-भांति निभा सके।

पुलिस खेलों का आयोजन कई स्तरों पर होता है जैसे—जिला, राज्य, राष्ट्र तथा अन्तर्राष्ट्रीय स्तर। अतः एक पुलिस अफसर के दिल में खेल एवं राष्ट्रीय एकता की भावना कूट-कूट कर भरी होनी चाहिए। खेलों के अवसर पर पुलिस को ईमानदारी, निष्ठा, साहस, योग्यता, विनम्रता, आज्ञाकारिता आदि का पालन करना चाहिए। एक अच्छा खिलाड़ी होने के लिए उसमें मित्रता की भावना,

करुणा एवं सहानुभूति, मीठा बोलना, विश्वबन्धुत्व की भावना, ईमानदारी, संघर्ष एवं साहस, समर्पण आदि की भावना होनी चाहिए। इनको अपने जीवन का लक्ष्य अवश्य ही बनाना चाहिए। खेलों के आयोजन राष्ट्र एकता को सुदृढ़ करते हैं। अतः निष्पक्षता एवं स्वार्थहीनता की भावना से परे होकर खेल खेलने चाहिएं। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि एक पुलिस अफसर में वे सभी गुण समाविष्ट होने चाहिएं जो खेल की भावना का विकास करते हैं और अपना कर्तव्य निभाने में भी मदद करते हैं। अतः पुलिस को अपना सही और शिष्टतापूर्वक आचरण रखना चाहिए। ऐसे समय पर किसी का भी पक्षपात, भेदभाव या तरफदारी नहीं करनी चाहिए और कर्म को प्रधान मानते हुए उसको जी-जान से निभाना चाहिए।

सांस्कृतिक आयोजनों में पुलिस आचरण

भारतवर्ष में विभिन्न भाषा-भाषी तथा धर्मों के मानने वाले व्यक्ति निवास करते हैं। यहां सामाजिक और आर्थिक दृष्टि से छोटे-बड़े, गरीब-अमीर, कमज़ोर-शक्तिशाली तथा हिन्दू-मुस्लिम, सिख-ईसाई रहते हैं। हमारा देश चूंकि एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है, अतः यहां हर व्यक्ति को समानता, स्वतंत्रता, शिक्षा एवं सांस्कृतिक तथा धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार प्राप्त है। संविधान के अनुच्छेद 14-18 में समानता का अधिकार, 19-22 में स्वतंत्रता का अधिकार, 25-28 में धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार और अनुच्छेद 29-30 में शिक्षा तथा सांस्कृतिक अधिकार दिया गया है। भारत का प्रत्येक नागरिक और समाज अपनी भाषा व लिपि को बचाए रखने के लिए देश के किसी भी भाग में शिक्षा प्राप्त कर सकता है तथा अल्पसंख्यक वर्ग अपनी भाषा, लिपि तथा संस्कृति को बनाए रखने तथा बचाए रखने के लिए संस्थाएं बना सकता है परन्तु ये संस्थाएं राजनीति से प्रेरित नहीं होनी चाहिएं अन्यथा इनकी आर्थिक सहायता बंद की जा सकती है।

विभिन्न धर्म और भाषाओं का देश होने के कारण प्रत्येक मानव समूह अपनी संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न त्यौहारों, मेलों, सांस्कृतिक आयोजनों का इस्तेमाल करता है। ये सांस्कृतिक आयोजन चूंकि धर्म, जाति, भाषा, लिपि, सामाजिक रीति-रिवाज की भिन्नता पर निर्भर करते हैं, अतः इनमें साम्प्रदायिकता का पुट होता है। संस्कृति में धर्म के आधार पर विभिन्नता पाई जाती है। भारत में प्रमुख सांस्कृतिक आयोजन है रामलीला, कृष्णलीला, दुर्गापूजन, गणेशपूजन, क्रिसमस डे, ईद, गुरु पर्व आदि। कभी-कभी सांस्कृतिक आयोजन लीलाओं और नाटकों के माध्यम से किए जाते हैं। इन आयोजनों को देखने के लिए बहुत बड़ी मात्रा में सभी धर्मों के व्यक्ति आते हैं। काफी संख्या में दर्शक होते हैं। ऐसे मौकों पर पुलिस को निम्न प्रकार का आचरण करना चाहिए :

1. पुलिस कर्मियों को आचरण के सिद्धान्तों को ध्यान में रखना चाहिए तथा अनुशासन का पालन करना चाहिए।
2. पुलिस कर्मियों को चुस्त होना चाहिए तथा साफ-सुथरी वर्दी पहननी चाहिए।
3. पुलिस कर्मी को सांस्कृतिक आयोजनों में किसी भी प्रकार का भेद-भाव नहीं करना चाहिए और अपने कर्तव्य का पालन तन और मन से करना चाहिए।
4. ऐसे आयोजनों में पुलिस कर्मियों को भी भाग लेना चाहिए जिससे कि पुलिस जनता के निकट आ सके और वक्त पड़ने पर जन-सहयोग प्राप्त किया जा सके।
5. पुलिस कर्मी को किसी भी धर्म के प्रति बुरा नहीं बोलना चाहिए और न ही उसकी आलोचना करनी चाहिए। सिर्फ अपने कर्तव्य से सरोकार रखना चाहिए।
6. पुलिस कर्मियों को मधुर वाणी का प्रयोग करना चाहिए तथा अच्छे व्यवहार और शिष्टाचार से बर्ताव करना चाहिए। पुलिस वालों को यह

समझना चाहिए कि दूसरे व्यक्ति भी तुम्हारे मां-बाप, भाई-बहन की तरह ही है।

7. कानून और व्यवस्था बनाए रखने के लिए अपने विवेक तथा बुद्धि से काम करना चाहिए। आवश्यकता पड़ने पर विवेकानुसार बल प्रयोग करना चाहिए।
8. इस प्रकार के मौकों पर आई भीड़ संगठित नहीं होती है लेकिन एक खास भावना लिए हुए होती है। अतः भावना को ठेस पहुंचाने वाली कोई भी बात अपने मुंह से बाहर नहीं निकालनी चाहिए।
9. ऐसे अवसरों पर अफवाहें नहीं फैलनी देनी चाहिएं, इन्हें रोकना चाहिए। यदि ऐसा नहीं करते तो बलवा फैलने का भय रहता है।

स्कूल और कालेजों में पुलिस आचरण

स्कूल और कालेज वे शिक्षा संस्थान हैं जिनमें भारत के भावी नेता, प्रधानमंत्री, मंत्री, राष्ट्रपति, ब्यूरोक्रेट्स (बड़े अधिकारीगण) या लैक्चरर बनकर निकलते हैं। ये स्थान पूजनीय होते हैं। स्कूल स्तर पर पुलिस के लिए अधिक सिरदर्दी नहीं होती है क्योंकि इस स्तर पर अध्यापकों का अंकुश व असर बच्चों पर अधिक होता है। बच्चों में उच्छृंखलता भी पाई जाती है और कभी-कभी कुछ लड़के स्कूल के बाहर खड़े होकर लड़कियों पर फब्तियां कसते हैं जिससे वातावरण गंदा हो जाता है और बच्चों में झगड़ा हो जाता है, कभी-कभी तो चाकू भी चल जाते हैं लेकिन आमतौर पर कोई खास कानून व शांति की समस्या नहीं आती है। लेकिन फिर भी स्कूल की छुट्टी होने व स्कूल लगने के समय कम से कम एक पुलिस कर्मी स्कूल के इर्द-गिर्द अवश्य होना चाहिए।

कालेजों में पहुंचते-पहुंचते विद्यार्थी परिपक्व हो जाते हैं और महसूस करने लगते हैं कि वे अब बड़े हो गए हैं। अतः इनमें सहनशक्ति कम हो जाती है। कभी-कभी छोटी-छोटी बातों को लेकर झगड़ पड़ते हैं। कालेज के अध्यापकों का सरोकार भी सिर्फ पढ़ाने तक ही सीमित रहता है। बच्चा किधर किस राह पर जा रहा है, उन्हें इससे कुछ लेना देना नहीं होता है। अतः आजकल कालेजों का माहौल खराब होता जा रहा है। आये दिन दाखिले की घपलेबाजी, सीटों का आरक्षण, परीक्षा शुल्क में वृद्धि, विद्यार्थी चुनाव, शिक्षक तबादले, शिक्षा संस्थान का नामकरण, कालेज में साधारण अपराध के लिए कड़ी अनुशासनिक कार्रवाई आदि को लेकर छात्रों में असंतोष होता रहता है और झगड़े घटित होते रहते हैं जिनसे पढ़ाई का माहौल दूषित होता है। युवा वर्ग शीघ्र ही संगठित हो जाता है और ये लोग कुछ भी कर सकते हैं। दूसरे, आज की शिक्षा रोजगार के लिए नहीं है। अतः बेरोजगारी बढ़ रही है और असंतोष की भावना विद्याथियों में अधिक पाई जाती है। कालेज और महाविद्यालयों में चुनाव के समय भी वातावरण काफी तनावपूर्ण होता है। स्कूल और कालेजों में पुलिस को अपना आचरण निम्न प्रकार का रखना चाहिए :

1. स्कूल और कालेजों की समस्याओं से पुलिस कर्मी को अवगत रहना आवश्यक है। अतः इन संस्थानों में आते जाते रहना चाहिए तथा शिक्षकों व प्रधानाचार्यों से संपर्क बनाए रखना चाहिए।
2. इन संस्थानों में आयोजित सांस्कृतिक व शैक्षणिक आयोजनों में पुलिस कर्मियों को सहयोग प्रदान करना चाहिए या देखने और इंतजाम के लिए जाना चाहिए।
3. जब तक प्रधानाचार्य न कहे, पुलिस की वर्दी में इन संस्थानों में नहीं जाना चाहिए।
4. झगड़ों की स्थिति में पुलिस को अपना कार्य सतर्कता से करना चाहिए अनावश्यक बल प्रदर्शन व प्रयोग नहीं करना चाहिए।
5. यदि कभी छात्र प्रदर्शन करते हैं तो पुलिस को

धैर्य व हिम्मत से काम लेना चाहिए। इनके साथ शिष्टाचार, विनम्रता से पेश आना चाहिए और सद्व्यवहार करना चाहिए।

6. इनके साथ छोटे भाई-बहनों व मित्रों की तरह व्यवहार करना चाहिए। ऐसा करके इनका विश्वास जीता जा सकता है।
7. छात्र नेता से ताल-मेल ठीक रखना चाहिए क्योंकि छात्र नेता की बात ज्यादा मानते हैं जिससे समझाने में आसानी रहती है।
8. पुलिस को निष्पक्षतापूर्ण व्यवहार करना चाहिए और किसी भी सूरत में खुद पार्टी नहीं बनना चाहिए।
9. जहां कालेज व महाविद्यालय हैं, वहां अच्छे पढ़े-लिखे, धैर्यवान, शिष्टाचार वाले पुलिस कर्मियों को तैनात करना चाहिए, जिससे वे छात्रों व अध्यापकों का मन जीत सकें।
10. सांस्कृतिक आयोजनों, खेलों के दौरान सादा कपड़ों में जाना चाहिए वैसे अन्य दिनों में भी चक्कर लगाते रहना चाहिए और स्वच्छ वातावरण बनाने में मदद करनी चाहिए।

प्रजातान्त्रिक राज्य में पुलिस की भूमिका

पुलिस का कर्तव्य लोगों में सुरक्षा की भावना बनाए रखना और जिन बातों से लोगों में असुरक्षा की भावना पैदा होती है, उन्हें रोकना है। दूसरे शब्दों में हम यह कह सकते हैं कि पुलिस का काम आंतरिक शान्ति व व्यवस्था बनाए रखना तथा कानून व नियमों को तोड़ने वालों या उनका पालन न करने वालों के विरुद्ध कार्रवाई करना है। पुलिस प्रशासन का अंग है और उसका काम कानून का पालन करवाना है। पुलिस के इस काम के दो पहलू हैं—एक, ऐसा प्रबन्ध करना कि कानून का पालन हो और दो, यदि कानून का उल्लंघन करके कोई झगड़ा, दंगा, अन्याय, अत्याचार अथवा चोरी-डकैती करता है, तो उसके खिलाफ कार्रवाई हो। यह काम बड़ी जिम्मेदारी का है। जिस देश या राज्य में पुलिस की व्यवस्था जितनी अच्छी होती है, उस देश या राज्य में उतनी ही अधिक स्थिरता रहती है।

सैद्धान्तिक दृष्टि से तो पुलिस का काम एक जैसा ही होता है, राज्य चाहे लोकतान्त्रिक हो या तानाशाही किन्तु व्यवहार में दोनों में पुलिस की भूमिका अलग-अलग होती है। तानाशाही शासन में तानाशाह जनता के कल्याण की नहीं बल्कि अपनी कुर्सी की चिन्ता करता है। अपनी कुर्सी बचाने हेतु वह पुलिस से नाज़ायज काम कराता है और जनता पुलिस के अत्याचारों का शिकार होती है। भारत में जब अंग्रेजों का शासन था तो अंग्रेज अपनी सरकार के हितों की रक्षा के लिए पुलिस की सहायता लेते थे और इसी कारण इन दिनों पुलिस को ज़ालिम, अत्याचारी और निरंकुश समझा जाता था। लोग पुलिस को अपना रक्षक नहीं बल्कि भक्षक मानते थे। पुलिस जनता पर मनमाने अत्याचार करती थी और जनता की आवाज को कुचल देती थी। उस समय पुलिस की मनोवृत्ति ऐसी ही थी। मानो वह अंग्रेजों की समर्थक और जनता की शत्रु थी।

आज के प्रजातांत्रिक शासन के अंतर्गत पुलिस जन-सेवा के अनेक कार्य करती है। यद्यपि उसका सबसे प्रधान कार्य जनता के जान-माल की रक्षा करना और शान्ति बनाए रखना है। किन्तु आज स्थिति यह है कि कठिनाई में फंसा प्रत्येक व्यक्ति तुरन्त पुलिस का दरवाजा खटखटाता है। मौके पर पुलिस सरकार की प्रतिनिधि होती है। पुलिस शान्ति की प्रतीक और शान्ति भंग करने वालों की शत्रु है। पुलिस जन सेवा के अनेक कार्य करती है, जैसे यातायात नियंत्रण करना, रात्रि के समय बस्तियों में गश्त करना, नवागन्तुकों का मार्ग-दर्शन करना, भटके या खोये हुए बच्चों को उनके मां-बाप के पास पहुंचाना इत्यादि। अपराध हो जाने पर पुलिस दुर्घटना स्थल पर और अन्यत्र भी उसकी जांच करती है। कई बार अपराधी भाग, छिपकर

फरार या लापता हो जाता है, पुलिस उसे ढूंढ़ निकालती है। चोर, डाकुओं को पकड़ने, दंगों से निपटने, अपराधियों को पकड़ने के लिए पुलिस जासूसी का भी काम करती है। ऐसी परिस्थितियों में और हथियारों से लैस चोर-डाकुओं का सामना करने में पुलिस की जान को खतरा रहता है किन्तु पुलिस अपनी जान की परवाह न करके अपने कर्तव्य का पालन करती है।

पुलिस प्रशासन का ऐसा अंग है, जिसका जनता के साथ सीधा और सबसे अधिक संबंध होता है। जनता के प्रत्येक वर्ग का व्यक्ति पुलिस की सेवाओं का उपयोग करता है।

प्रजातान्त्रिक राज्य में पुलिस की कुछ अपेक्षाएं की जाती हैं, जैसे :

1. लोगों में सुरक्षा की भावना बनी रहे।
2. लोग पुलिस को रक्षक मानें और पुलिस की कार्यकुशलता तथा कर्तव्यनिष्ठा में उनका विश्वास बना रहे।
3. पुलिस यह मानकर चले कि उसका काम कानून का पालन करवाना है, किन्तु वह खुद कानून से ऊपर नहीं है।
4. पुलिस न स्वयं अत्याचारी बने और न सरकारी अनाचार-अत्याचार का माध्यम बने।
5. पुलिस समाज-विरोधी और राष्ट्र-विरोधी तत्वों को कुचल कर समाज व राष्ट्र के हितों की रक्षा करे।
6. पुलिस रिश्वत, काला बाजारी, तस्कर व्यापार आदि के मामलों में उचित कार्रवाई करके उन्हें दबाएं।
7. पुलिस यह मानकर चले कि जनता की शक्ति सरकार की शक्ति से भी बढ़ी है और प्रजातन्त्र में सरकारें बदला करती हैं। अतः उसे सरकार के इशारे पर गैर-कानूनी काम नहीं करने चाहिए।
8. पुलिस ऐसा व्यवहार करे कि लोग उसे हौवा न समझें, उससे डरें नहीं और उसके पास काम के लिए इस आशा से आए कि पुलिस कानून के माध्यम से उनकी शिकायतों का समाधान करेगी।
9. प्रजातन्त्र में पुलिस की भूमिका जनता को सताने या लूटने वाले की नहीं, बल्कि रक्षा करने, सहायता करने और न्याय दिलाने की होनी चाहिए।
10. यदि पुलिस पर से जनता का विश्वास उठ जाए, तो यह प्रजातन्त्र के लिए खतरे की घंटी है।

निष्कर्ष रूप में हम यह कह सकते हैं कि प्रजातन्त्र में पुलिस को बड़ी रचनात्मक भूमिका निभानी चाहिए। उसे राजनैतिक प्रभाव से मुक्त होकर मानवीय संबंधों के आधार पर जनता की रक्षा करनी चाहिए तथा अपराधों को रोकना चाहिए।

अच्छे पुलिस कर्मी के गुण

भारत एक प्रजातंत्र देश है। अतः पुलिस भी प्रजातांत्रिक स्वरूप को देखकर होनी चाहिए। वह समय बदल गया है जब ब्रिटिश काल में पुलिस का स्वरूप शासन की मदद करना होता था और जनता पर विभिन्न प्रकार के अत्याचार ढाए जाते थे, निर्दोषों पर लाठी बरसाई जाती थीं। आज पुलिस ब्रिटिश काल के रवैये को इख्तियार नहीं कर सकती। आज पुलिस का स्वरूप जनसेवक के रूप में होना चाहिए। स्वयं पुलिस शब्द का यदि विश्लेषण किया जाए तो पाएंगे कि उसमें विशिष्ट गुणों का समावेश है। पुलिस शब्द अंग्रेजी के छः अक्षरों से मिलकर बना है—"विनम्र, आज्ञाकारी, निष्ठावान, बुद्धिमान, साहसी और योग्य।"

एक अच्छे पुलिस अफसर में उपरोक्त गुणों के अतिरिक्त कुछ अन्य गुण भी होने चाहिए जिससे कि वह अपना कर्तव्यपालन सुचारु रूप से निभा सके। एक अच्छे

पुलिस कर्मी में निम्नलिखित गुण होने चाहिएं—

1. विनम्रता : विनम्रता एक ऐसा गुण है जो दूसरे की तपन एवं क्रोध को समाप्त करता है तथा गुस्से में आए व्यक्ति को शीतलता प्रदान करता है। विनम्रता सही निर्णय देने में मदद करती है तथा सभी को शांति प्रदान करती है। एक अच्छे पुलिसकर्मी में विनम्रता का गुण होना इसलिए आवश्यक है क्योंकि वह अक्सर झुंझलाहट में होता है और मानसिक रूप से परेशान रहता है। परिणामस्वरूप जनता भी खुश नहीं रह पाती है। अतः मानसिक संतुलन बनाए रखने एवं जनहित के लिए प्रत्येक पुलिसकर्मी को विनम्रता का गुण अपने चरित्र में समाविष्ट करना चाहिए।

2. आज्ञाकारिता : प्रत्येक सरकारी कर्मचारी को आज्ञाकारी होना चाहिए। पुलिस विभाग चूंकि एक अनुशासित बल है, अतः इसमें पुलिसकर्मी के चरित्र में आज्ञाकारिता वाला गुण निहायत जरूरी है।

3. निष्ठावान : वर्तमान समय में निष्ठा का स्तर गिरता चला जा रहा है। कोई भी व्यक्ति देश या अपने कर्तव्य के प्रति निष्ठावान दृष्टिगोचर नहीं है। आज तो व्यक्ति अपने स्वार्थों के प्रति या धनोपार्जन के प्रति या पदार्थवाद के प्रति निष्ठावान दृष्टिगोचर होता है। देश और विभाग के विकास हेतु प्रत्येक नागरिक को तथा खासतौर से पुलिसकर्मी को अपने देश, संविधान, कर्तव्य और उच्च अधिकारियों के प्रति निष्ठावान होना चाहिए। एक सच्चा निष्ठावान व्यक्ति ही अपने कर्तव्य को सही अंजाम दे सकता है। अतः एक अच्छे पुलिसकर्मी को सच्चा देशभक्त और स्वामीभक्त होना चाहिए।

4. बुद्धिमान : यह कथन सत्य है कि बिना ज्ञान के मुक्ति नहीं है। यदि ज्ञान नहीं है तो उसे बुद्धिमान भी नहीं कहा जा सकता। अतः प्रत्येक पुलिसकर्मी को अपने विभाग से संबंधित तथा समाजशास्त्र का ज्ञान हासिल करना चाहिए। यदि ज्ञान की कमी है तो कोई भी पुलिसकर्मी सही निर्णय नहीं ले सकता और न ही कर्तव्यपालन के साथ सही न्याय कर सकता है। किसी भी समस्या का निपटारा बारीकी से विश्लेषण करके बुद्धिमानीपूर्वक सही योग्यता का परिचय देते हुए करना चाहिए।

5. साहसी : प्रत्येक पुलिसकर्मी को साहसी व्यक्ति होना चाहिए क्योंकि आये दिन रोज़मर्रा की जिन्दगी में कोई न कोई कठिन परिस्थिति एवं घड़ी आती रहती है जिसका निदान करने हेतु साहस की आवश्यकता होती है। खतरों से खेलने की आदत एक पुलिसकर्मी को बना लेनी चाहिए।

6. योग्य : प्रत्येक पुलिसकर्मी को एक योग्य, शिक्षित तथा सभ्य व्यक्ति होना चाहिए। योग्यता का पैमाना, खराब परिस्थितियों में भी सही निर्णय लेकर सही कर्तव्य पालन करना है।

7. विभागीय एवं कानूनी जानकारी : एक अच्छे पुलिसकर्मी को विभाग के नियम, आदेश, विभाग की आचार संहिता आदि का ज्ञान होना अति आवश्यक है। प्रतिदिन की जिंदगी में प्रत्येक पुलिसकर्मी को कदम-कदम पर कानून के नियमों की आवश्यकता पड़ती है। अतः उसको कानून का ज्ञाता होना चाहिए। साथ ही समय के साथ-साथ जो कानून में परिवर्तन आते हैं उनको भी नियमित रूप से सीखते रहना चाहिए।

8. बहुमुखी प्रतिभावान : समसामयिक परिस्थितियों को देखते हुए ऐसा प्रतीत होता है कि आज पुलिस का काम केवल अपराधों की रोकथाम तथा कानून और व्यवस्था ही स्थापित करना नहीं है, बल्कि आज कार्यक्षेत्र बहुत विस्तृत हो गया है। विशिष्ट व्यक्तियों की सुरक्षा, विशिष्ट संस्थानों की सुरक्षा का प्रबंध, विभिन्न प्रदर्शनों में पुलिस व्यवस्था, सामाजिक बुराइयों को दूर करना, जनता के मनोवेगों को समझना, जरूरत पड़ने पर प्राथमिक चिकित्सा उपचार करना, लोगों को शिक्षित करना आदि भी आजकल पुलिस के कार्यों में सम्मिलित होते जा रहे हैं। अतः आज के युग में प्रत्येक कर्मी को एक बहुमुखी प्रतिभावान व्यक्ति होना चाहिए।

9. आत्मसंयमी तथा आत्मविश्वासी : जनता की जागरूकता की वजह से लोगों में कानून का ज्ञान बढ़ता जा रहा है जिससे जनता पुलिस के साथ बहस और बराबरी करने लगती है। कभी-कभी तो लोग इतने उत्तेजित हो जाते हैं कि कई पुलिस कर्मी अपना आत्मसंयम खो बैठते हैं जो वाजिब नहीं है। अतः प्रत्येक पुलिसकर्मी को संयम से काम लेना चाहिए। दूसरे, प्रत्येक पुलिसकर्मी में आत्मविश्वास की भावना कूट-कूट कर भरी होनी चाहिए। यदि आत्मविश्वास नहीं होगा तो वह सही निर्णय नहीं ले सकेगा।

10. निष्पक्षता : प्रत्येक पुलिसकर्मी को अपना कर्तव्य पालन बिना किसी भेदभाव के निष्पक्षतापूर्वक करना चाहिए। उसे अपने दिमाग में जाति, धर्म, समुदाय आदि के भेदभाव अपने दिलोदिमाग में नहीं रखना चाहिए और एक सच्चे जनसेवक के रूप में अपने कर्तव्यपालन का निर्वहन करना चाहिए।

11. सामाजिकता : प्रत्येक पुलिसकर्मी में सामाजिकता का गुण समाविष्ट होना चाहिए। यह गुण व्यावहारिकता से आता है। अतः प्रत्येक पुलिसकर्मी को व्यवहार कुशल होना चाहिए। आज के युग में सामाजिक और सामुदायिक पुलिस की आवश्यकता है क्योंकि बिना समाज के सहयोग के अपराधों की रोकथाम तथा कानून और व्यवस्था स्थापित करना असंभव तो नहीं लेकिन बहुत मुश्किल है। अतः एक अच्छे पुलिसकर्मी को जनता के साथ सहयोग बनाकर चलना चाहिए।

12. अनुशासनप्रिय : पुलिस विभाग का अनुशासनबद्ध विभाग है जिसमें अनुशासनहीनता बर्दाश्त नहीं की जा सकती। यदि अनुशासनहीनता होगी तो कोई भी किसी का कहना नहीं मानेगा और कार्य करना मुश्किल होगा। अतः प्रत्येक पुलिसकर्मी को अनुशासनप्रिय होना चाहिए तथा प्रत्येक कार्य कानून की परिसीमाओं में रहकर करना चाहिए। जनता के अधिकारों का भी ख्याल रखना चाहिए। अनुशासनप्रिय व्यक्ति का व्यक्तिगत अलग से ही चमकता है।

13. दूरदर्शिता तथा कल्पनाशीलता : एक अच्छे पुलिसकर्मी को दूरदृष्टा तथा कल्पनाशील व्यक्ति होना चाहिए जिससे कि वह समस्याओं का पहले से ही अंदाज लगा सके तथा उन्हें सुलझाने के तरीके सोच सके। साथ ही उस समस्या के परिणामों का भी अनुमान लगा सके तथा सुलझाने के लिए सही निर्णय ले सके।

14. योजनाकार तथा कुशल नेता : एक अच्छे पुलिस कर्मी को एक सफल योजनाकार होना चाहिए। किसी भी समस्या का निदान करने के लिए उसे उचित योजना बना लेनी चाहिए और फिर समस्या का विश्लेषण करके उसके परिणामों के बारे में सोचना चाहिए। दूसरे, योजनाबद्ध कार्य को कराने के लिए एक कुशल नेतृत्व की आवश्यकता होती है जिससे कि वह अपने नेतृत्व में पुलिस कर्मियों को सही दिशा-निर्देश एवं मार्गदर्शन कर सके। यदि एक पुलिसकर्मी सही नेतृत्व एवं मार्गदर्शन करता है तो निश्चय ही उसे और उसकी टीम को सफलता मिलेगी।

इस प्रकार हम कह सकते हैं कि एक अच्छे पुलिस आफिसर को विन्रम, आज्ञाकारी, निष्ठावान, बुद्धिमान, साहसी, योग्य, ईमानदार, कानून का ज्ञाता, अनुशासनप्रिय, आत्मसंयमी, आकर्षक व्यक्तित्व वाला, चुस्त व चालक, मिलनसार, धैर्यवान, अच्छी योजना बनाने वाला, नेतृत्व गुण संपन्न, अच्छा नेता और सतर्क होना चाहिए। तभी एक अच्छे पुलिस कर्मी का व्यक्तित्व, एक आदर्श पुलिस व्यक्तित्व कहा जा सकेगा।

❑

आतंकवाद के विरुद्ध नए कानूनी अस्त्र

अरुण कुमार पाठक

द्वारा-सी.पी. मनियार
113/4, शिवकुटी (अपट्रान टी.वी. फैक्ट्री के पीछे)
इलाहाबाद-211004

भारत दुनिया के उन देशों में 26 नवम्बर 2008 के मुंबई में आतंकवादी हमलों के बाद गिना जाने लगा है, जो आतंकवाद से प्रभावित हैं तथा जहां आतंक गहरी जड़ें जमा चुका है। मुंबई के 26 नवम्बर 2008 के आतंकी हमले की तुलना अमेरिका के 11 सितम्बर 2001 के आतंकी हमले से की जा रही है, जिसने अति शक्तिशाली और अभेद्य अमेरिका सुरक्षा तंत्र की चूलें हिला दी थी। मुंबई आतंकवादी हमलों ने भी 64 घण्टों तक भारत की धड़कनें रोक दी थी तथा भारतीय राजनीतिक एवं कूटनीतिक नेतृत्व को झकझोर कर रख दिया था। पूरे देश में आतंकवाद के विरुद्ध कठोर कानून बनाने तथा अमेरिका की संघीय जांच एजेंसी की तरह की एजेंसी बनाने की बात एक स्वर से उठी। भारत सरकार ने जनता की आवाज से उभरी पीड़ा को महसूस किया और गैर कानूनी गतिविधि निरोधक (संशोधन) अधिनियम, 2008 के साथ-साथ राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एन आई ए) का भी गठन करके भारतीय जनमानस की उद्विग्नता को कुछ हद तक शांत किया।

आतंकवाद की आज तक कोई सर्वमान्य परिभाषा नहीं गढ़ी गई है। न ही आतंकवादी को कहीं परिभाषित किया गया है। आतंकवाद और आतंकवादी शब्द का प्रयोग दुनिया भर के देश तथा गैर राज्यीय तत्व अपने विरोधियों के लिए करते रहे हैं।

संयुक्त राष्ट्र संघ ने आतंकवाद को कुछ विशेषताओं के साथ रेखांकित करने का प्रयास किया है।

संयुक्त राष्ट्र संघ के अनुसार, "अधिकार मामलों में आतंकवाद एक राजनीतिक कृत्य है। इसका उद्देश्य नागरिकों पर नारकीय एवं घातक हमले करना और आमतौर पर किसी राजनीतिक या सैद्धांतिक (चाहे सुरक्षा और धार्मिक) उद्देश्य से भय के माहौल का निर्माण करना है। आतंकवाद एक आपराधिक कृत्य है लेकिन यह सिर्फ अपराध से भी अधिक बहुत कुछ है। इसका उद्देश्य नागरिकों पर नारकीय एवं घातक हमले करना और आमतौर पर किसी राजनीतिक या सैद्धांतिक (चाहे सुरक्षा या धार्मिक) उद्देश्य से भय के माहौल का निर्माण करना है। आतंकवाद एक आपराधिक कृत्य है लेकिन यह सिर्फ अपराध से भी अधिक बहुत कुछ है।

वाल्टर लेकर—ने आतंकवाद को पारिभाषित करते हुए इसे समाज में आतंक का माहौल बनाने वाला सत्ताधारियों को कमजोर या सत्ताच्युत करने तथा राजनीतिक परिवर्तन लाने के लक्ष्य के साथ हिंसा की धमकी के उपादान की संज्ञा दी है।

आतंकवादी के बारे में जितनी भी परिभाषाएं अब तक गढ़ी गई हैं, कोई भी दुनिया भर में इस समस्या के विस्तार के शामिल करने में असमर्थ है। अंतर्राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य तथा आतंकवाद के लगातार तेजी से बदलते प्रतिमानों के मद्देनजर आतंकवाद के कोई सर्व मान्य परिभाषा के स्वीकारना अभी कठिन है। आतंकवाद एक रोग है और जीने का ऐसा अंदाज जिसमें लोग हिंसा को राहत की तरह देखते हैं।

भारत में अपराध एवं अपराधियों से निपटने के लिए पहला कानून अंग्रेजी शासन काल में निर्मित हुआ था। यह कानून 1793 में ब्रिटिश सरकार द्वारा उन सभी लोगों के निरुद्ध करने के उद्देश्य से पारित किया गया था, जो भारत में ब्रिटिश शासन के लिए खतरा हों। भारत सरकार द्वारा ऐसा पहला कानून स्वतंत्र भारत में 1948 में "द मद्रास सप्रेशन ऑफ डिस्टबैन्स एक्ट" (मद्रास अशांति

का दमन अधिनियम) पारित किया गया था। इस अधिनियम के द्वारा बंधुआ मजदूरी के विरुद्ध तेलंगाना के किसान आंदोलन के दमन हेतु सैन्य हिंसा के अधिकृत बना दिया गया था इसके बाद से कई ऐसे कानून बने लेकिन गैर कानूनी गतिविधि के नियंत्रित करने के लिए वर्ष 1967 में गैर कानूनी गतिविधि निवारक अधिनियम (Unlawful Activities Prevention Act, 1967) बनाया गया। वर्ष 1973 में तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की सरकार द्वारा मीसा (आंतरिक सुरक्षा अनुरक्षण अधिनियम, (Maintenance of Internal Security Act, MISA) कानून बनाया गया था। यह कानून जनता का उत्पीडक था, इसलिए 1977 में जनता दल सरकार के गठन के बाद यह मीसा कानून समाप्त कर दिया गया।

इसके बाद 1987 में टाडा (Terrorist and disruptive Activities Act, TADA) कानून पंजाब में आतंकवाद के दृष्टिगत कर निर्मित किया गया था। यह भी अपने उद्देश्य में असफल रहा, अतः इसे 1995 में निरस्त कर दिया गया। इसके बाद 2001 को देखते हुए 2002 में पोटा (Prevention Of Terrorism Act, POTA) बनाया गया, जिसके व्यापक दुरूपयोग के कारण 2004 में निरस्त कर दिया गया। राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम, 1980 (रासुका, NSA) आवश्यक सेवा रख-रखाव अधिनियम, 1981, महाराष्ट्र संगठित अपराध नियंत्रण अधिनियम, 1999 (मकोका, MCOCA) आदि कानून अभी अस्तित्व में है। मुंबई में 26 नवम्बर 2008 के हुए आतंकी हमलों के बाद सरकार के एक प्रभावी और सशक्त कानून की जरूरत महसूस हो रही थी, इसके लिए सरकार ने गैर कानूनी गतिविधि निवारण अधिनियम, 1967 में संशोधन करके गैर कानूनी गतिविधि निवारण (संशोधन) अधिनियम, 2008 के 31 दिसम्बर 2008 के अधिनियम का रूप दे दिया और इसी दिन राष्ट्रीय जांच एजेंसी अधिनियम (NIA Act) को भी स्वीकृत कर दिया तथा ये दोनों 1 जनवरी 2009 से प्रभावी हो गए। 17 जनवरी 2009 को केंद्र सरकार ने श्री राधा विनोद राजू आई पी एस को राष्ट्रीय जांच एजेंसी का प्रथम महानिदेशक भी नियुक्त कर दिया। इन दोनों नवीन अधिनियमों का उद्देश्य मुम्बई सदृश घटनाओं के रोकने के लिए प्रभावी कदम उठाना है।

प्रथमतः वर्ष 1967 में निर्मित गैर कानूनी गतिविधि निवारण अधिनियम के वर्ष 2008 में कठोर स्वरूप प्रदान कर संशोधन करने के कारणों के बारे में इसके उद्देश्य एवं कारणों का उल्लेख करते हुए गृह मंत्री श्री पी. चिदम्बरम ने स्पष्ट किया कि वर्ष 2002 में पारित पोटा अपने दुरुपयोग की शिकायतों के कारण वर्ष 2004 में निरस्त कर दिया गया था। इसी बीच वैश्विक आतंकवाद के विरुद्ध युद्ध में भारत अग्रणी भूमिका निभा रहा है। 28 सितम्बर 2001 को पारित संयुक्त राष्ट्र प्रस्ताव संख्या 1373 के प्रति भी भारत की वचनबद्धता है जिसमें आतंकवाद के विरुद्ध में कोई समझौता न किए जाने का आहवान किया गया है। राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर परिस्थितियों में महत्वपूर्ण बदलाव आए हैं। सीमापार आतंकवादी घटनाओं में वृद्धि हुई है। अतः इन घटनाओं से निपटने हेतु मजबूत विधिक प्रावधानों के लिए गैर कानूनी गतिविधि निवारण अधिनियम, 1967 में संशोधन किया जा रहा है।

इसी प्रकार राष्ट्रीय जांच एजेंसी की आवश्यकता एवं उद्देश्य वर्णित करते हुए गृह मंत्री श्री पी. चिदम्बरम ने बताया कि विगत वर्षों में भारत सीमापार आतंकवाद से पीड़ित रहा है। आतंकवादी घटनाएं विघटनकारी और माओवादी प्रभावित क्षेत्रों में ही नहीं बल्कि बड़े मेट्रोपॉलिटन शहरों में अंजाम दी गई हैं। इन घटनाओं का संबंध प्रायः अंतर्राज्यीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय रहा है। अतः आतंकवादी घटनाओं के जटिल रूप से संगठित युद्ध के लिए राष्ट्रीय जांच एजेंसी का गठन किया जा रहा है।

गैर कानूनी गतिविधि निवारण संशोधन विधेयक, 2008 में 1967 के मूल अधिनियम में किए गए प्रमुख संशोधन निम्नवत हैं

मूल अधिनियम की धारा-2 में परिभाषाएं हैं। संशोधन में इस धारा में एक प्रस्तावना जोड़ी गई है। इस प्रस्तावना में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद द्वारा पारित प्रस्ताव संख्या 1373 (28 सितम्बर 2001 के पारित) एवं अन्य संबंधित प्रस्तावों का उल्लेख किया गया है जिनके आलोक में यह संशोधन किया जा रहा है।

- मूल अधिनियम की धारा 2 में संशोधन करके राष्ट्रीय जांच एजेंसी अधिनियम के तहत गठित "विशेष न्यायालय" के पारिभाषित किया गया है।
- मूल अधिनियम की धारा 15 में आतंकवादी कार्य पारिभाषित है। इसमें संशोधन करके संयुक्त राष्ट्र प्रस्तावों के अनुरूप आतंकवाद को परिभाषित किया गया है।
- मूल अधिनियम की धारा 16 जो दण्ड की धारा है, में संशोधन करते हुए धारा 16-A जोड़ी गई है जिसमें रेडियो एक्टिव पदार्थों या परमाणु उपकरणों को यदि आतंकवादी गतिविधियों के उद्देश्य से हासिल करने का प्रयास किया जाएगा तो यह अपराध 10 वर्ष तक की सजा एवं जुर्माने से दण्डित किया जाएगा।
- मूल अधिनियम की धारा 18 में षड्यंत्र के लिए दंड वर्णित है, में नयी धारा
- 18-A तथा 18-A जोड़ी गई है, जिसके तहत आतंकवादी कैम्पों को संगठित करने हेतु न्यूनतम 5 वर्ष से लेकर आजीवन कारावास तक सजा का प्रावधान किया गया है।
- मूल अधिनियम की धारा 43 के बाद संशोधन करके धारा 43A, 43B, 43C, 43D, 43D(I), 43D(2), 43E, 43F जोड़ी गई है। इन धाराओं में गिरफ्तारी 43डी (2) में यह प्रावधान किया गया है कि दं.प्र. संहिता, 1973 की धारा 167 में उल्लिखित निरुद्ध करने की अवधि इस अधिनियम के लिए परिवर्तित समझी जाए। इसमें संहकिता के जहां भी 15 दिन 90 दिन तथा 60 दिन का उल्लेख है, वह इस अधिनियम के लिए 30 दिन 9 दिन तथा 90 दिन समझा जाए। यह भी प्रावधान किया गया है कि यदि लोक अभियोजक द्वारा दी गई दलीलों से न्यायालय संतुष्ट हो तो वह निरुद्ध करने की अवधि 9 दिन से बढ़ाकर 180 दिन कर सकती है। हालांकि इस प्रस्ताव की सर्वाधिक आलोचना हुई थी पर इसे संसद की स्वीकृति मिल गई।
- मूल अधिनियम की धारा 51 जिसमें चार्ज शीटेड व्यक्ति के पास पोर्ट और शस्त्र लाईसेंस के जब्त करने का प्रावधान है, के बाद धारा 51-A जोड़ी गई है, जिसमें केंद्र सरकार के आतंकवाद में संलग्न व्यक्तियों संगठनों, धन एवं वित्तीय परिसंपत्तियों के जब्त करने एवं फ्रीज करने का अधिकार होगा। इसके अतिरिक्त केन्द्र सरकार अनुसूची में उल्लेखित या आतंकवाद में लिप्त होने के संदिग्ध किसी व्यक्ति के धन या वित्तीय परिसंपत्तियों के एकत्र करने से रोक लगा सकेगी। केन्द्र सरकार के धन का पार गमन जो भारत के माध्यम से हो रहा हो, को रोकने का अधिकार होगा।

राष्ट्रीय जांच एजेंसी अधिनियम, 2008 भी 1 जनवरी 2009 से लागू है। केंद्र सरकार द्वारा नवनिर्मित इस अधिनियम में 05 अध्याय एवं 01 अनुसूची है। अध्याय 1 में प्रारम्भिक, अध्याय 2 में एजेंसी के गठन, अध्याय 3 में राष्ट्रीय एजेंसी द्वारा जांच, अध्याय 4 में विशेष न्यायालय तथा अध्याय 5 में विविध प्रावधान वर्णित हैं। अनुसूची में उन 08 अधिनियमों की सूची दी गई है जिनसे संबंधित अपराधों पर विचारण राष्ट्रीय

एजेंसी करेगी। यह राष्ट्रीय जांच एजेंसी अधिनियम, 2008 (NIA Act, 2008) संपूर्ण भारत पर लागू होने के साथ-साथ भारत से बाहर रह रहे भारतीय नागरिकों, सरकारी सेवारत कहीं भी रह रहे कर्मियों पर भी लागू होगा।

धारा 2 में परिभाषाएं दी गई हैं।

धारा 3 में यह दिया गया है कि राष्ट्रीय जांच एजेंसी का प्रत्येक अधिकारी सब इन्सपैक्टर से ऊपर के रेंक का होगा।

धारा 4 में वर्णित है कि राष्ट्रीय जांच एजेंसी का अधीक्षण केन्द्र सरकार के अधीन होगा तथा केन्द्र सरकार इसके प्रशासन हेतु महानिदेशक की नियुक्ति करेगी जिसके अधिकार एवं कर्तव्य राज्य के पुलिस महानिदेशक के समकक्ष होंगे। ज्ञातव्य है कि श्री राधा विनोद राजू जो जम्मू कश्मीर कैडर के आई पी एस अधिकारी हैं, को राष्ट्रीय जांच एजेंसी का प्रथम महानिदेशक बनाया गया है।

धारा-6 में, दं.प्र. संहिता, 1973 की धारा 154 में वर्णित प्रावधानों के तहत, इस अधिनियम में अधिसूचित किसी अपराध की सूचना प्राप्त होने पर थाने का भार साधक अधिकारी इसकी सूचना तत्काल राज्य सरकार को देगा। सूचना प्राप्त होते ही राज्य सरकार जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी सूचना केंद्र सरकार को अग्रेषित करेगी। राज्य सरकार की सूचना प्राप्त होते ही इस सूचना तथा अन्य स्रोतों से प्राप्त सूचना के आधार पर 15 दिवस के अन्दर केंद्र सरकार यह सुनिश्चित करेगी कि अपराध अधिनियम के तहत अधिसूचित अपराध की श्रेणी में है या नहीं।

केंद्र सरकार यह भी तय करेगी कि अपराध अधिनियम के तहत अपराध एजेंसी द्वारा जांच के लिए उपयुक्त है या नहीं। यदि केंद्र सरकार यह पाती है कि अपराध अधिसूचित अपराध की श्रेणी में आता है और इसकी जांच इस एजेंसी द्वारा की जानी है तो वह राष्ट्रीय जांच एजेंसी को अन्वेषण हेतु निर्देशित करेगी। किसी अपराध के विषय में केंद्र सरकार यदि यह मानती है कि वह अधिनियम के तहत अधिसूचित अपराध है और इसकी जांच एजेंसी द्वारा की जानी चाहिए तो वह स्वतः इस एजेंसी को जांच हेतु निर्देशित कर सकती है। जब तक राष्ट्रीय जांच एजेंसी को अपने हाथ में नहीं ले लेती है तब तक संबंधित थाने पर जांच जारी रखने की जिम्मेदारी होगी।

धारा-7 के तहत एजेंसी जांच में सहयोग करने हेतु राज्य सरकार से आग्रह कर सकती है तथा केंद्र सरकार की पूर्व अनुमति से किसी जांच को पुनः राज्य सरकार के पास वापस कर सकती है।

धारा-8 के तहत राष्ट्रीय एजेंसी किसी आरोपी के अधिसूचित अपराध से भिन्न किसी अपराध की जांच कर सकती है यदि वह अधिसूचित अपराध से जुड़ा हुआ है।

धारा-9 के तहत राज्य सरकार एजेंसी को जांच में पूर्ण सहायता एवं सहयोग प्रदान करेगी।

धारा-10 के तहत राज्य सरकार को भी इस एक्ट में अधिसूचित अपराधों की जांच का अधिकार है।

धारा-11 के तहत केन्द्र सरकार राजपत्र में अधिसूचना कर अधिसूचित अपराध के विचारण हेतु एक या एक से अधिक विशेष न्यायालयों का गठन कर सकेगी। विशेष न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की सलाह से करेगी। अतिरिक्त न्यायाधीशों की नियुक्ति भी की जा सकती है। राष्ट्रीय एजेंसी से आवेदन प्राप्त होने पर उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश 07 दिवस के अंदर नियुक्ति हेतु किसी न्यायाधीश के नाम की सिफारिश करेंगे। नियुक्ति हेतु सिफारिश से ठीक पूर्व किसी राज्य में नियुक्त सत्र न्यायाधीश ही विशेष न्यायालय की अध्यक्षता कर सकेंगे।

धारा-13 में विशेष न्यायालयों के क्षेत्राधिकार का वर्णन किया गया है।

धारा-14 में अन्य अपराधों के संबंध में विशेष

न्यायालयों की शक्तियों का वर्णन किया है।

धारा-15 में लोक अभियोजक की नियुक्ति का वर्णन है। केंद्र सरकार न्यूनतम 07 वर्ष या उससे अधिक का विधिक अनुभव रखने वाले व्यक्ति को विशेष न्यायालय में लोक अभियोजक या अतिरिक्त लोक अभियोजक नियुक्त कर सकेगी।

धारा-16 में यह वर्णित है कि अभियुक्त को ट्रायल के लिए कमिट किए बिना ही विशेष न्यायालय किसी अपराध का संज्ञान, एक कम्पलेंट या पुलिस रिपोर्ट पर (जिसमें ऐसे अपराध से संबंधित तथ्य उल्लेखित हों) ले सकती है।

धारा-17 में गवाहों के संरक्षण की व्यवस्था वर्णित है।

धारा-18 में इस एजेंसी के किसी सदस्य के विरुद्ध किसी भी न्यायालय में वाद संस्थित करने के लिए केंद्र सरकार की पूर्व स्वीकृति आवश्यक होगी।

धारा-19 में वर्णित है कि विशेष न्यायालय में विचारण दिनप्रति दिन के आधार पर सभी कार्य दिवसों में होगा।

धारा-20 में वर्णित है कि विशेष न्यायालय में यदि यह समझती है कि किसी अभियोग का विचारण उसके द्वारा न होकर रेगुलर न्यायालय द्वारा होना चाहिए तो वह उस अभियोग को उस न्यायालय में स्थानांतरित कर सकेगी।

धारा-21 में वर्णित है कि विशेष न्यायालय के निर्णय के विरुद्ध उच्च न्यायालय में 30 दिनों के अन्दर अपील की जा सकेगी।

धारा-22 में वर्णित है कि राज्य सरकारें भी अधिसूचित अधिनियम के तहत अपराधों पर विचारण हेतु विशेष न्यायालयों का गठन कर सकती है।

धारा-23 में वर्णित है कि संबंधित उच्च न्यायालय अपने क्षेत्राधिकार अन्तर्गत स्थित विशेष न्यायालयों के लिए नियम बना सकता है।

धारा-24 में केंद्र सरकार को यह शक्ति होगी कि वह इस अधिकारी की किसी कठिनाई को दूर कर सकेगी।

25-के तहत केंद्र सरकार राजकीय गजट में अधिसूचना करके इस अधिनियम के प्रावधानों के लिए नियम बना सकेगी।

धारा-26 के तहत केंद्र सरकार को अपने द्वारा बनाए गए नियमों को संसद से 30 दिवस के अन्दर पास कराना होगा अन्यथा वे नियम लागू नहीं किए जा सकेंगे।

राष्ट्रीय जांच एजेंसी विधेयक, 2008 में प्रदत्त अनुसूची में 08 अधिनियमों की सूची दी गई है जिनसे संबंधित अपराधों पर एजेंसी द्वारा विचारण किया जाएगा। ये अधिनियम निम्नवत हैं :

(i) परमाणु ऊर्जा अधिनियम, 1962
(ii) गैरकानूनी गतिविधियां निवारण अधिनियम, 1967
(iii) अपहरण विरोधी अधिनियम, 1982
(iv) नगर विमानन की सुरक्षा के विरुद्ध गैरकानूनी गतिविधियों का दमन अधिनियम, 1982
(v) सार्क कन्वेंशन (आतंकवाद का दमन) अधिनियम, 1903
(vi) समुद्री नौवहन एवं महाद्वीपीय तटों पर स्थायी प्लेटफार्म की सुरक्षा के विरुद्ध गैर कानूनी गतिविधियों के दमन का अधिनियम, 2002
(vii) सामूहिक विनाश के अस्त्र एवं उनकी वितरण प्रणाली (गैर कानूनी गतिविधियों का निवारण अधिनियम, 2005)
(viii) अपराध, जो कि शामिल हैं—
(a) भारतीय दंड विधेयक के अध्याय 6 में (धारा 121 से 130 भा.दं.वि.)
(b) भारतीय दंड विधेयक की धारा 489-A से 489-E में

विगत कई वर्षों के आतंकवाद से जूझ रहे भारत में इन दोनों कानूनों के सृजन की आवश्यकता काफी समय से महसूस की जा रही थी और 26 नवम्बर 2008 के मुम्बई की आतंकवादी घटनाओं ने भारत सरकार को ऐसे कानूनों के सृजन के लिए विवश कर दिया। मुम्बई की घटनाओं के बाद मात्र 01 माह में ही केंद्र सरकार ने ये दोनों अधिनियम बनाकर उन्हें संसद से पास कराकर 1 जनवरी 2009 से लागू करा दिया जो सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। इन दोनों कानूनों का राजनीतिक विद्वेष के लिए दुरुपयोग न हो, ऐसा सरकार को सुनिश्चित करना होगा। आतंकवाद के रोग के समूल नाश के लिए इन कानूनों का प्रयोग करना होगा।

जीवन के विध्वंस पर पोषित आतंकवाद के समूल नाश के लिए ही इन कानूनों को कठोरता से लागू करना होगा न कि राजनीतिक स्वार्थ सिद्धि के लिए। सरकार ने इन कानूनों का निर्माण करके आतंकवाद के पोषकों को यह संदेश संप्रेषित कर दिया है कि कानून की कमजोरी का फायदा उठाने के मुगालते में न रहें। भारत आतंकवाद के विरुद्ध उठा खड़ा हुआ है। यहां का जनमानस जाग गया है। हमारी सुरक्षा एजेंसियों को भी अब जागना होगा। आतंकवाद के आतंक को जड़ से मिटाना होगा। हमारी प्रतिबद्धता, हमारी नेक नियती और कानून में हमारा दृढ़ विश्वास अवश्य ही हमें आतंकवाद पर विजय दिलाएगा।

❑

आतंक का पंजा- भारतीय सुरक्षा बल

सुश्री कुसुम सिंह

द्वारा—श्री बुद्ध सिंह
29/123, गली नं.-10, विश्वास नगर,
शाहदरा, दिल्ली-110032

आतंकवाद एक नई समस्या नहीं है। आतंकवाद की जड़ें हजारों साल पुरानी हैं। जो धीरे-धीरे और मजबूत होती जा रही हैं हजारों साल पहले देश-विदेशों में चोर का हाथ काट लेना, बलात्कारी का अंग-भंग कर देना, अपना आधिपत्य न मानने वाले समूह पर लूट-पाट, अत्याचार और युद्ध आदि थोपना इसी श्रृंखला में आते हैं।

प्रत्येक व्यक्ति स्वतंत्र रहना चाहता है। लेकिन सोच और परिवेश के मुताबिक आजादी की अपनी सीमा है। आजादी को स्वेच्छा या कानूनी तरीके से जब लोगों को नहीं दिया गया तो शान्तिपूर्ण आवाजें उठी, जब नही सुना गया तो संघर्ष शुरू हुए। फलतः शुरू हुआ अन्याय और यातना से उत्पन्न संघर्ष, हिंसा और बलिदानों का एक लम्बा सिलसिला रहा, जिसका इतिहास गवाह है।

देशभक्त शिवाजी द्वारा जिस तरह की कार्रवाइयां की गई उनमें केवल हिंसा नही थी बल्कि छुपा हुआ आतंक भी शामिल था। क्योंकि गौरी और महमूद गजनवी के द्वारा की गई लूटपाट को लालची स्वभाव के लिए ठीक कहा जा सकता है लेकिन बड़े स्तर पर बलात्कार, सामूहिक नरसंहार और तोड़-फोड़ में उनकी मंशा केवल आतंक फैलाने की रही होगी। तालिबान ने जिस तरह अफगानिस्तान में हजारों वर्ष पूर्व अमूल्य बौद्ध प्रतिमाओं को बम से उड़ा देना, केवल अपना एक घिनौना आतंकवादी स्वरूप दुनिया को दिखाना था कि हम जो चाहे कर सकते हैं। हर वो काम सही है, जिसे हम सही समझते हैं।

आज वही तालिबान, अफगानिस्तान में तबाही मचाने के बाद पाकिस्तान में अपनी जड़े मजबूत कर चुका है जिसका खामयाजा पाकिस्तान की सरकार और जनता झेल रही है। इतना ही नहीं, बल्कि पाकिस्तान के कई जिलों में पूर्ण कब्जा कर धीरे-धीरे पाकिस्तान के बड़े शहरों और राजधानी में घुस कर आजादी से आतंकवादी घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। 26/11 मुंबई आतंकवाद के बाद भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ कड़ा रुख अपनाया और मुंबई हमलों में जिन्दा पकड़ा गया आतंकवादी अजमल कसाब पाकिस्तान का रहने वाला है। अन्य सबूतों को दिए जाने के बाद भी, पाकिस्तान में मौजूद आतंकवादियों पर कोई कानूनी कार्रवाई नहीं की गई। तरह-तरह के बहाने बनाना, इस बात का सबूत है कि पाकिस्तान अपने देश में आतंकवादियों को ट्रेनिंग देकर भारत में आतंक फैलाकर, भारतीय जनता के दिल में दहशत पैदा कर भारतीय अर्थव्यवस्था को कमजोर करने में तुला है। लेकिन क्या पाकिस्तान इस बात से अनभिज्ञ है कि उनके ही तैयार किए आतंकवादी, उन्हीं के देश को खोखला कर रहे हैं। इसका एहसास अब धीरे-धीरे होने लगा है जिसका भयंकर रूप आने वाले 2 या 3 सालों में और ज्यादा दिखाई देगा।

अमेरिका में National Counter terrorism Centre जो आतंकवादी द्वारा विश्व भर में किए जा रहे हमलों के ऊपर नजर रखता है तथा आतंकी हमलों के तौर-तरीकों और बदलाव के बारे में जानकारी हासिल कर आतंकवादी विरुद्ध तकनीक में बदलाव करते रहते हैं। जिससे घटनाओं के घटने से पहले ही आतंकवादियों को पकड़ लिया जाता है। वर्ष 2007 में इसी विभाग द्वारा आतंकवादी हमलों की रिपोर्ट पेश की गई जिससे मालूम हुआ कि कुछ हमले Geographic distribution

और दहशत बढ़ाने को मान कर किए गए। दुनिया भर में वर्ष 2007 में लगभग 14,000 आतंकवादी हमले हुए। जिस हमले में लगभग 22,000 व्यक्ति मारे गए। वर्ष 2007 में आतंकवादी हमले वर्ष 2006 के मुकाबले लगभग बराबर हुए। लेकिन वर्ष 2007 में मरने वाले व्यक्तियों की संख्या लगभग 1800 नंबर ज्यादा रही। इस बात से अंदाजा लगाया जा सकता है कि वर्ष 2007 में आतंकवादियों ने हमलों में क्रुड बमों और अन्य विस्फोटक पदार्थों का प्रयोग किया जिससे ज्यादा से ज्यादा लोग मारे गए तथा घायलों की संख्या में बढ़ोत्तरी हुई। वर्ष 2007 में आतंकवादी हमलों में मारे गए व्यक्तियों की संख्या इस प्रकार से है :

देश का नाम	ईराक	अफगानिस्तान	पाकिस्तान	भारत	थाईलैंड	सेमालिया	सूडान
मरने वालों की संख्या	13606	1966	1335	1093	859	767	403
देश का नाम	चाड	कोलम्बिया	श्रीलंका	फिलिपिन्स	कांगो	अल्जीरिया	रूस
मरने वालों की संख्या	368	364	241	209	178	192	150

उपरोक्त तलिका को देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि ईराक, अफगानिस्तान और पाकिस्तान क्रम से प्रथम, द्वितीय और तृतीय स्थान पर है वही भारत का चौथा नंबर है जो साफ-साफ दर्शाता है कि आतंक की आग जो ईराक से चलकर अफगानिस्तान होती हुई भारत में बढ़ रही है। जिसका मुख्य उद्देश्य भोगौलिक कारण के अलावा देश के आर्थिक विकास को ठेस पहुंचाना ज्यादा नजर आता है। जो कुछ सालों बाद और साफ नजर आएगी। इस समस्या से निपटने के लिए भारतीय सरकार को संगठित और उद्देश्य पूर्ण योजना बनाकर देश को इस खतरे से बचाना होगा।

पाकिस्तान हमारा पड़ोसी देश है जो आतंकवादी संगठनों को बढ़-चढ़कर सहायता करता रहा है तथा अमेरिका द्वारा विकास के लिए अधिक सहायता का बहुत बड़ा हिस्सा आतंकवादियों को देता है। क्योंकि विकास करने के लिए पाकिस्तान के पास के इलाके ज्यादातर आतंकवादी संगठनों में कब्जे में है जिन्हें छुड़ाने में पाकिस्तान नाकामयाब है।

पाकिस्तान की सुरक्षा एजेन्सी आई एस आई (ISI) के द्वारा तैयार आतंकवादी, तालिबान और पाकिस्तान के लिए एक खतरनाक फंदा बन गए हैं। पिछले तीन महीनों में तालिबान आतंकी संगठन ने पाकिस्तान की सरकार को हिलाकर रख दिया है साथ ही पाकिस्तान की जनता को खुलेआम धमकी भी दे रहा है। पाकिस्तान में मौजूदा आतंकवादी संगठनों राष्ट्र तथा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लगभग 45 संगठन मौजूद हैं। पाकिस्तान में 30 मार्च 2009 तक होने वाली आतंकी घटनाएं इस प्रकार है :

5 फरवरी 2009 : डेरा गाजा खान की एक शिया मस्जिद के निकट संदिग्ध आत्मघाती बम हमला। जिसमें अखबारों के मुताबिक सिर्फ 24 लोगों की मौत हुई तथा घायलों की संख्या का खुलासा नहीं।

20 फरवरी 2009 : डेरा इस्माईल खान में जलूस पर आत्मघाती बम हमला। जिसमें 27 लोगों की मौत तथा कुछ 65 लोगों के घायल होने का खुलासा किया गया।

03 मार्च 2009 : बहुत ही महत्वपूर्ण हमला, जिसे पाकिस्तान की सुरक्षा बल और Int Agencies, आतंकी हमला होने से रोकने में नाकामयाब रही तथा विश्व भर में क्रिकेट जैसे खेल को खून से भर आतंकी गोलियों से श्रीलंका टीम घायल हुई। लाहौर स्टेडियम के बाहर श्रीलंका क्रिकेट टीम पर आतंकवादी जान लेवा हमला। जिसमें 6 पाकिस्तानी पुलिसकर्मी सहित, 7 लोगों की मौत और श्रीलंका क्रिकेट टीम के 6 क्रिकेटर एवं एक ब्रिटिश कोच घायल बताया गया।

7 मार्च 2009 : पेशावर शहर के बाहरी इलाके में पुलिस की गाड़ी पर कार बम हमला किया गया। जिसमें 8 पुलिस कर्मियों व सैनिकों की मौत हुई।

16 मार्च 2009 : रावलपिंडी में एक बस स्टाप के निकट बम विस्फोट किया जिसमें 7 लोगों की मौत बताई गई।

27 मार्च 2009 : अफगान सीमा के निकट पाकिस्तान के अशांत खैवर कबाइली इलाके में एक आत्मघाती हमला ने जुम्मे की नमाज अदा कर रहे लोगो को निशाना बनाकर विस्फोट किया जिसमें 70 लोगों की मौत और 50 अन्य घायल होने का खुलासा किया गया।

30 मार्च 2009 : लगभग सुबह 7.00 बजे 14 आतंकवादी दीवार कूदकर, मनावां प्रशिक्षण केन्द्र जो अटारी-बाघा सीमा से महज 6 से 7 किलोमीटर दूर, परेड कर रहे 850 कैडेटों पर फायरिंग और ग्रेनेड फेंक कर बंधक बनाया तथा शस्त्रगार पर कब्जा करने का प्रयास किया। इस हमले में 27 पुलिस कर्मियों की हत्या कर 15 के करीब जवानों को घायल किया गया साथ ही 4 आतंकवादी मारे गए, 4 आतंकवादी ने खुद को उड़ाया तथा 6 आतंकवादियों को जिन्दा गिरफ्तार किया गया।

उपरोक्त तीन महीने में हुए हमले जो अफगान की सीमा से शुरू होकर भारत-पाकिस्तान सीमा तक पहुंचे तथा पाकिस्तान के अच्छे सुरक्षित शहरों में आतंक फैलाकर सरकार को आतंकवादी संगठनों के विरुद्ध अभियान को ठंडा करने के लिए मजबूर कर दिया है साथ ही सरकार को आतंकवादी संगठनों की ताकत का भी एहसास दिला दिया है कि हम हर जगह पर हमला कर सकते हैं। इतना ही नहीं बल्कि पाकिस्तान में मौजूद तालिबान के प्रमुख बैतुल्ला महसूद ने पुलिस अकादमी पर हुए आतंकवादी हमले की जिम्मेदारी भी तुरंत घोषित की गई।

पाकिस्तान के अखबार "द डान" में पाकिस्तान द्वारा आतंकवादी संगठनों को तैयार करने तथा सहायता देने के लिए और उन्हीं आतंकवादी संगठनों द्वारा पलट वार कर पाकिस्तान को लहूलुहान करने की जानकारी दी है। "कभी भारत को हजार घाव देने की रणनीति के तहत कश्मीर के लिए आतंकी तैयार करते रहे तो कभी अफगानिस्तान में तालिबान को सहायता दी। अब कोई इन नेताओं और सेना से पूछे कि मरणासन्न कौन है?" इतना ही नहीं, कामरान शफी जो पाकिस्तान के जाने माने स्तंभकार हैं, ने लिखा है कि "अगर पाकिस्तान को, बचाना है तो खंडित मनोस्थिति से निकल आंतकियों और कट्टरपंथियों से सीधे भिड़ना होगा। नहीं तो आने वाली पीढ़ियों के लिए पाकिस्तान रहने लायक जगह नहीं रहेगा।"

पाकिस्तान सबसे खतरनाक देश

पाकिस्तान की आंतरिक सुरक्षा को देखते हुए, पाकिस्तान की सरकार द्वारा समय-समय पर दी गई टिप्पणियां, पत्रकारों द्वारा पाकिस्तान सरकार की चेतावनी, बड़े-बड़े सुरक्षित पाकिस्तानी शहरों पर आतंकवादी प्रभावी घटनाएं इस बात का सबूत है कि पाकिस्तान एक खतरनाक देश है जो कि अपनी सरजमीं पर आतंक के आकाओं को तैयार करता रहा है तथा अपने देश की उन्नति के लिए अमेरिका से अधिक सहायता लेता रहा है जिसका ज्यादा हिस्सा आतंकवादियों को तैयार करने तथा भारत में आतंकवादी घटनाओं को अंजाम देने पर खर्च करता रहा है। पाकिस्तानी आतंकवादी संगठन भारत में ज्यादा-से-ज्यादा आतंकवादी घटनाओं को अंजाम देने में जुटे हैं। क्योंकि अफगानिस्तान को पहले ही तालिबान को पूर्ण सहयोग कर बर्बाद कर चुका है। जहां आज NATO और UN फोर्स तैनात हैं। अमरीका की फौज को मुंह की खानी पड़ रही है। अमेरिका कोशिश कर रहा है कि पाकिस्तान में उपलब्ध आतंकवादी संगठनों को जड़ से

समाप्त किया जाए। इसके लिए पाकिस्तान को अधिक सहायता का लालच देकर पाकिस्तान के कबिलाई इलाके तथा अफगान सीमा से लगी सीमा पर पाकिस्तान की सेना के साथ आतंकी संगठनों का सफाया करने में जुटा है।

मुंबई भारत में 26/11 की आतंकी घटना के बाद भारत ने पाकिस्तान पर जिस प्रकार दबाव बनाया था उसका पलटवार, पाकिस्तान ने अफगान बोर्डर से अपनी सेना हटाकर, भारत-पाक सीमा पर तैनात कर दी थी। इसका मुख्य कारण भारत से लड़ाई लड़ना नहीं था बल्कि अमेरिका को ब्लैकमेल करना अधिक था। क्योंकि पाकिस्तान सरकार और सेना नहीं चाहती की आतंकवादी संगठनों का सफाया किया जाए।

अमरीकी राष्ट्रपति बराक ओबामा ने पाकिस्तान को विश्वास दिलाकर तथा कुछ अधिक सहायता घोषित कर, फिर से लादेन, जवाहिरी तथा अलकायदा के अन्य आतंकी जो पाक में मौजूद हैं को पकड़ने तथा बर्बाद करने की कोशिश की, लेकिन आतंकी संगठनों, तालिबान जैसे आतंकी संगठन का ज्यादा दब-दबा होने के कारण पाकिस्तान सरकार को आतंकी संगठनों के सामने झुकना पड़ा और आतंकवादी संगठनों के विरुद्ध कार्रवाई पर पूर्ण विराम लगाना पड़ा। अमरीकी राष्ट्रपति ने पाकिस्तान को सबसे खतरनाक देश कहते हुए दावा किया कि अल कायदा सरगना ओसामा बिन लादेन, अल-जवाहिरी तथा अन्य संगठनों के अन्य शीर्ष आतंकी पाकिस्तान में ही मौजूद हैं। जिस कारण इसके साथ-साथ पाकिस्तान के वजूद को भी खतरे से भरा महसूस किया। जो सही है।

पाकिस्तानी सेना द्वारा आतंकवादी संगठनों से समझौता तथा आगे की रणनीति

आतंकवादी संगठन FATA, NWFT तथा स्वात घाटी पर तालिबानों का पूर्ण राज्य है। तालिबान ने पाकिस्तान की जनता को, खासकर लड़कियों को स्कूल जाने पर पाबंदी लगा रखी है तथा उपलब्ध स्कूलों की इमारतों को ध्वस्त कर दिया है इतना ही नहीं बल्कि जो परिवार या व्यक्ति तालिबान की बात नही मानता उसे तालिबान अपने नियम कानून के तहत कोड़े मार-मार कर या तो मार देते हैं या अपने संगठन में मिला लेते हैं स्वात घाटी की स्थिति पाकिस्तान के कब्जे से बाहर है क्योंकि तालिबान आतंकवादियों ने सैनिक तथा पुलिस स्टेशन को अपने कब्जे में ले लिया है। काफी संख्या में पुलिस कर्मियों और सैनिकों की हत्या भी की है।

35 वर्षीय बैतुल्ला महसुद कबायली क्षेत्र के सर्वाधिक उग्र माने जाने वाले महसूद कबीले से संबंधित है। वह मुल्ला उमर का उत्तराधिकारी और सर्वाधिक खूंखार आतंकवादी माना जाता है तथा 3000 से अधिक लोग उसकी हिंसा का शिकार हो चुके हैं। चेहरे को रूमाल से हमेशा छिपाए रहने वाला, इतना निर्मम है कि किसी की हत्या करने से 24 घंटे पहले उसके घर कपड़ा, सीने के लिए सुई धागा और दफनाने के लिए खर्च के लिए रुपये भिजवाकर उसके परिवार को आतंकित कर देता है। तथा बैतुल्ला से पाकिस्तान प्रशासन भी डरता है। अमरीका इस खतरे को भविष्य के लिए भांप गया है। इसलिए बैतुल्ला के सिर पर 50 लाख डालर का इनाम घोषित कर दिया है।

पाकिस्तान सरकार ने आतंकी संगठनों से समझौते का खुलासा नहीं किया। लेकिन यह अवश्य है कि पाकिस्तान के वजूद को बचाने के लिए सरकार ने आतंकी संगठनों के खिलाफ सैनिक कार्रवाई रोकना, आर्थिक सहायता का लालच तथा आतंकी संगठनों को भारत में आतंकवादी घटनाओं को खासकर जम्मू एवं कश्मीर में अधिक से अधिक करने के लिए तैयार करना मुख्य रणनीति मालूम होती है। क्योंकि जो देश अपने सैन्य बलों द्वारा आतंक को काबू नहीं कर सकता तो आखिरी विकल्प उन आतंकवादियों को उनके स्थान से

तितर-बितर करना ही उचित रणनीति होगी। इसका सबूत हमें कुपवाड़ा सैक्टर में देखने को मिल रहा है हाल ही में भारतीय सेना के जवानों ने पाकिस्तान से आए 17 आतंकवादियों को मुठभेड़ में मार गिराया तथा उनके कब्जे से भारी मात्रा में हथियार और गोला बारूद बरामद हुआ। इतना ही नहीं भारतीय खुफिया एजेंन्सियों को खबर मिली है कि 30 अफगानी आतंकवादी जिसमें 7 से 8 लड़कियां आतंकवादी, जो पायलेट की ट्रेनिंग से लैस हैं, भी बांग्लादेश के रास्ते भारत के शहर दिल्ली में प्रवेश कर चुके हैं जो कि बड़ी आतंकी कार्रवाई की कोशिश में भारत में मौजूद है। यह पाकिस्तान की आतंकवादी संगठनों के समझौते की एक निश्चित रणनीति है जिसको भारतीय जनता तथा सरकार को उचित स्तर पर समझकर उचित कदम उठाने पड़ेंगे। नहीं तो भारत में भी तालिबान धीरे-धीरे घुसने की कोशिश करेगा। पाकिस्तान की रणनीति को पढ़कर अमरीका चेत गया है और खतरे का अंदाजा लगाकर अमेरिका ने 7000 सैनिक अफगानिस्तान भेजने का निर्णय लिया है।

भारत की सुरक्षा व्यवस्था पर प्रभाव

हम सब जानते हैं कि पाकिस्तान हमारा पड़ोसी देश होने के बावजूद तथा समय-समय पर दबाव डालने के बावजूद भी भारत की अखंडता और सुरक्षा को अस्त-व्यस्त करने में अपनी खुफिया एजेन्सी के साथ-साथ आतंकवादी संगठनों का भी पूर्ण सहयोग ले रहा है। इस बात की खबर अमरीका को ही नहीं है बल्कि पूरा विश्व भी अच्छी तरह से जानता है। तालिबान पाकिस्तान लोकतंत्र के लिए कैंसर बन गया है कैंसर धीरे-धीरे फैलता रहता है। अगर इसे सही ढंग से नहीं निकाला गया। भारत पड़ोसी देश होने के साथ-साथ पाकिस्तान का नंबर एक आतंकवादी गतिविधि फैलाने के लिए नियुक्त कर रखा है पाकिस्तान को आई एस आई खुफिया एजेंसी भारत को चारों तरह से घायल करने में लगी है। भारत समय-समय पर जी-20 देशों की बैठकों में अपनी आवाज पाकिस्तान को आतंकवादी देश घोषित कराने के लिए हमेशा ही उठाता रहा है लेकिन अमेरिका, पाकिस्तान को समय-समय पर आर्थिक सहायता प्रदान करता रहा है।

आज स्थिति आ गई है कि पाकिस्तान का रूप स्वयं ही दुनिया के सामने आ रहा है क्योंकि पाकिस्तान की सहायता से अमरीका, मानवरहित विमान जो ड्रोन के नाम से जाना जाता है। आतंकवादी संगठनों के ठिकानों पर बमों से हमला कर रहा है तालिबान अमेरिका की इस कार्रवाई से नाराज है और तालिबान ने अमेरिका को भी आतंकी धमकी तक देनी शुरू कर दी है साथ ही पाकिस्तान का हाथ होने के कारण पाकिस्तान में भी तालिबान ने आतंकवादी गतिविधियां तेज कर दी हैं जिसका नमूना इस्लामाबाद में हुए आत्मघाती हमले 04 अप्रैल 2009 मनावां पुलिस प्रशिक्षण केन्द्र, दिनांक 30 मार्च 2009 इत्यादि है। तालिबान के बड़े स्वरूप को देखते हुए तथा पाकिस्तान पर आतंकी दबाव के कारण भारतीय सुरक्षा पर भी कभी गहरा प्रभाव है, क्योंकि आतंकवादी पाकिस्तान के हर क्षेत्र में उपस्थित है तथा पाकिस्तान के स्विटजरलैंड (स्वात घाटी) में जो शरीयत लागू किया गया और कई क्षेत्रों में लागू करने की योजना है इस कार्य को रोकने के लिए पाक सरकार सुरक्षा बल पुलिस बल तथा सेवा भी लाचार साबित हो रही है जिसका सीधा असर पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था, कानून व्यवस्था, अमानवीय और महिलाओं की शिक्षा पर पाबंदी इत्यादि निश्चित है कि पाकिस्तान की सत्ता का आका कोई ना कोई आतंकी संगठन का सरगना ही होगा। जिसका प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से भारतीय सुरक्षा से सीधा संबंध है।

भारतीय खुफिया एजेंसी तथा अमेरिका सरकार के अनुसार लगभग 35 से 40 आतंकियों का एक दस्ता भारत में घुस चुका है जो पाकिस्तान मूल से संबंध रखते

है तथा उनका उद्देश्य प्लेन हाईजैक कर आतंकी वारदात 9/11 की तर्ज पर तथा अन्य आतंकी वारदातों की अंजाम देना है, जो सभी भारतीयों के साथ-साथ सुरक्षा बलों के लिए भी चुनौती पूर्ण कार्य है जिसका प्रभाव भारतीय सुरक्षा का अवश्य पड़ेगा।

सीमा सुरक्षा एजेंन्सी और पुलिस बल

प्रत्येक देश ने अपनी सीमाओं की सुरक्षा के लिए अलग-अलग बल तैनात किए हैं। पाकिस्तान-भारत से लगी सीमा को सुरक्षा के लिए रेंजर तैनात किए गए हैं वहीं भारत द्वारा सीमा सुरक्षा बल के जवान पाकिस्तान से लगी सीमा की सुरक्षा कर रहे हैं। भारत एक बड़ा देश है। जिसकी सीमाएं सात देशों से लगती हैं अलग-अलग जगह पर अलग-अलग सीमा रक्षक बल तैनात किए हैं, जैसे दक्षिण में पाकिस्तान सीमा पर सीमा सुरक्षा बल, एल सी पर भारतीय सेना, चीन की सीमा पर आई टी बी पी तथा असम राईफल, भूटान की सीमा पर एस एस बी तथा बांग्लादेश की सीमा पर सीमा सुरक्षा बल के जवान तैनात हैं एवं सभी बल सीमाओं पर जमीनी घुसपैठ पर नजर रखते हैं, समुद्री और वायु रास्ते की सुरक्षा अन्य रक्षक दलों की जिम्मेदारी है। प्रत्येक रास्ते से आतंकवादी भारत में घुसपैठियों की घटनाओं का पता ही नहीं चलता जिससे वो भारत के अंदर रहकर अपनी योजना चलाते रहते हैं। यहीं पर भारतीय जनता और राज्य पुलिस बल का कार्य शुरू होता है जिसको संगठित होकर ही सुचारू रूप से अंजाम दिया जा सकता है भारत की सुरक्षा का खतरा दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। जो अवश्य ही भारतीय जनता के दिल में दहशत का माहौल बढ़ा रहा है। भारत एक सांप्रदायिक देश है जिसमें धर्म के नाम पर दंगे फसाद समय-समय पर होते रहे हैं। लेकिन आज देश को एक जुट होकर सुरक्षा बलों तथा पुलिस बलों का सहयोग कर मनोबल बढ़ाकर देश की सुरक्षा को व्यवस्थित करना है। क्योंकि विभाजित देश आतंकवाद जैसी समस्या से नहीं लड़ सकता। खुफिया एजेंसी भारत में उपस्थित आतंकवादियों के उद्देश्य और संख्या तक बता रही है अखबारों से सभी जनता को इस बात की खबर है लेकिन आतंकवादियों के इरादे को ध्वस्त करने के लिए हम साथ मिलकर निम्न बातों पर ध्यान दें।

1. सीमा पर तैनात बल के सभी सदस्य अपनी ड्यूटी मुस्तैदी और ईमानदारी से करें जिससे कोई भी असामाजिक तत्व भारत में प्रवेश न कर सके और आतंक जैसी गतिविधियों को अंजाम न दे सके।
2. सीमा की सुरक्षा में लगे बल पुलिस बल और खुफिया एजेन्सियों का ताल मेल आला दर्जे का हो जिससे की घटना घटने से पहले ही उचित सुरक्षा व्यवस्था की जा सके और आतंकवादियों को पकड़ा जा सके।
3. पुलिस बल के जवानों तथा समाज जन का समन्वय उच्च स्तर का होना चाहिए।
4. भारतीय जनता का पुलिस बल में पूर्ण विश्वास होना चाहिए।
5. पुलिस बल के सदस्य जनता की भावना समझ कर कार्रवाई कर जनता में विश्वास पैदा करे।
6. मुख्य-मुख्य मार्केट, रेलवे स्टेशन बस स्टैंड तथा दफ्तर बिल्डिंग पर सुरक्षाकर्मी तैनात कर किसी भी घटना को रोकने के लिए तैयार हों।
7. एयरपोर्ट पर पुख्ता सुरक्षा के इंतजाम हों।
8. अपने आस-पास के मौहल्ले में अन्जान व्यक्ति नजर आने से कांस्टेबल को या पुलिस नियंत्रण कक्ष को खबर करें।

भारत की रणनीति

भारत का प्रत्येक व्यक्ति आने वाले दिनों में अपने देश की सुरक्षा को असुरक्षित महसूस कर रहा है, क्योंकि अमेरिका पाकिस्तान को अरबों रुपये की आर्थिक सहायता

दे रहा है जो आर्थिक विकास तथा सैन्य विकास के अलावा सिर्फ आतंकवादी संगठनों को प्रशिक्षित कर भारत के अंदर आतंकवादी घटनाओं को अंजाम देकर अर्थव्यवस्था को कमजोर कर रहा है लेकिन अमेरिका का आतंकवादी संगठनों के विरुद्ध अभियान ही पाकिस्तान देश के लिए एक बड़ी मुसीबत बनता जा रहा है और ऐसा लग रहा है कि एक दिन पाकिस्तान तालिबान के कब्जे में होगा।

इस समस्या के अध्ययन करने के बाद अमरीकी राष्ट्रपति ने कूटनीति तैयार की है। अमरीका ने पाकिस्तान को आर्थिक सहायता लगभग डेढ़ अरब वार्षिक सहायता केवल सड़कों, अस्पतालों और स्कूलों के विकास के लिए दी जाएगी। सहायता तभी मिलेगी जब क्षेत्र तालिबान से मुक्त हो और कानून और व्यवस्था कायम रहे। अगर ऐसा नहीं होता तो पाकिस्तान को अमेरिका की सहायता से हाथ धोना पड़ेगा। यानि पाकिस्तान की सरकार सेना और आई एस आई, खुफिया एजेंन्सियों को पाकिस्तान में अल कायदा और तालिबान आतंकियों से लड़ाई लड़कर अपना वजूद कायम रखना होगा नही तो आर्थिक रूप से बर्बाद हो जाएगा।

भारत भी आतंक जैसी ज्वलन समस्या से खतरा महसूस कर रहा है इस खतरे से निपटने के लिए भारत को आंतरिक रणनीति जिससे देश में होने वाली आतंकी घटनाओं से निपटा जा सके तथा अंतर्राष्ट्रीय नीति जिससे पाकिस्तान में पनपे आतंकवादी संगठनों को वहीं समाप्त किया जाए तथा ऐसी भयानक बीमारी को निकाल कर बाहर किया जा सके। इसके लिए अमरीका तथा अन्य देशों के सहयोग से ही निपटा जा सकता है।

भारत में इस आतंकवाद के पंजे को कमजोर करना होगा वह तभी संभव है जब पंजे की अंगुलियों को साथ किया जा सके और धीरे-धीरे पंजा ही समाप्त किया जाए। इस समस्या का समाधान एक भारतीय तथा अविभाजीत भारतीय होकर ही कर सकते हैं।

❑

"विधि प्रवर्तकों से संबंधित आचार संहिता

मुकेश कुमार

कमल माडल सीनियर सैकेंड्री स्कूल
मोहन गार्डन, उत्तम नगर,
नई दिल्ली-110059

विधि प्रवर्तन या कानून लागू करने के कार्य से जुड़ा प्रत्येक अधिकारी दंड न्याय प्रणाली का अंग है तथा इसका लक्ष्य अपराधों की रोकथाम है। इसीलिए पदाधिकारी के आचरण का समूचे तंत्र पर प्रभाव पड़ता है। इस दृष्टि से भली प्रकार से सोच-समझकर तथा सुस्पष्ट आचरण संहिता तैयार करके ऐसे नैतिक आदर्श स्थापित करने की आवश्यकता है, जिनसे कानून लागू करने वाली एजेंसियों को आत्मानुशासन में सहायता मिलेगी। इस आचरण संहिता में कानून लागू करने वाले अधिकारियों के समक्ष आदर्श तथा व्यवहार के नैतिक मानक निर्धारित किए जाने हैं।

17 दिसंबर, 1979 को संयुक्त राष्ट्र की महासभा ने एक संकल्प पारित किया, जिसमें कानून लागू करने वाले अधिकारियों की आचरण संहिता निर्धारित की गई है।

महासभा ने यह महसूस किया था कि शांति और व्यवस्था की रक्षा के लिए विधि प्रवर्तन संबंधी कार्यों की प्रकृति तथा इन कार्यों को संपन्न करने के लिए अपनाए गए तरीके का जीवन की गुणवत्ता पर प्रत्यक्ष प्रभाव पड़ता है। यद्यपि विधि प्रवर्तन अधिकारी मेहनत, लगन और निष्ठापूर्वक कार्य निष्पादित करते हैं तथा मानव अधिकारों के सिद्धांतों या नियमों का आदर करते हैं, तथापि ड्यूटी करते समय दुर्व्यवहार की आशंका बनी रहती है।

इस संहिता में स्पष्ट किया गया है कि शक्ति का प्रयोग तभी किया जा सकता है जब ऐसा करना अपरिहार्य हो, परंतु हिरासत में रखे गए व्यक्ति के स्वास्थ्य की देखभाल की जाए और यातना देना निषिद्ध हो। इस संहिता में आठ अनुच्छेद हैं तथा प्रत्येक अनुच्छेद के साथ विधिक रूपरेखा तथा सदस्य देश की प्रक्रियाओं के अनुसार इस अनुच्छेद को स्वीकार करने के संबंध में स्पष्टीकरण भी दिया गया है।

प्रस्तावना

संयुक्त राष्ट्र संघ की महासभा द्वारा 17 दिसंबर, 1979 की कानून लागू करने वाले अधिकारियों के लिए आचार संहिता अपनाई गई, जिसमें यह बताया गया है कि पुलिस के अधिकारों का उपयोग करने वाले सभी अधिकारी मनुष्य की मान-मर्यादा का आदर करेंगे तथा इनकी रक्षा करेंगे। इसके साथ-साथ सभी व्यक्तियों के मानव अधिकारों का बराबर ध्यान रखना होगा।

इस महासभा ने सरकारों को यह सुझाव दिया था कि वे राष्ट्रीय व्यवस्थापिका या पद्धति की रूपरेखा में इस आचार संहिता का ऐसे नियमों के रूप में उपयोग करें, जिनका कानून के प्रवर्तकों द्वारा पालन किया जाना है।

आचार संहिता से संबंधित संकल्प (सं. 34/169) में यह बताया गया है कि शांति और लोक-व्यवस्था बनाए रखने के लिए विधि प्रवर्तन से संबंधित कार्यों की प्रकृति तथा इन कार्यों के निष्पादन में अपनाए गए तरीकों का व्यक्ति के जीवन एवं समूचे समाज की गुणवत्ता पर प्रत्यक्ष प्रभाव पड़ा है। सभा ने यह बताया कि कानून के प्रवर्तक मान-मर्यादा और गरिमा का ध्यान रखते हुए यह महत्वपूर्ण कार्य कर रहे हैं। परंतु इससे इन्कार नहीं किया जा सकता कि इन सौंपे गए आवश्यक कर्तव्यों का निर्वाह करते समय अधिकारों के दुरुपयोग तथा दुर्व्यवहार की भी आशंका बनी रहती है।

मानव अधिकारों की मर्यादा बनाए रखने के प्रति विधि अधिकारियों को प्रेरित करने के अलावा आचार संहिता में अन्य बातों के साथ-साथ यातना पर भी प्रतिषेध लगाया गया है। इस संहिता में बताया गया है कि जब आवश्यक हो, केवल तभी बल प्रयोग किया जाए तथा हवालात में रखे गए व्यक्तियों के स्वास्थ्य का भी पूरा ध्यान रखा जाए।

इस आचार संहिता के हर अनुच्छेद के साथ टिप्पणी के रूप में जानकारी दी गई है, जिसका राष्ट्रीय विधान या व्यवहार के क्षेत्र के भीतर उपयोग किया जा सकता है।

इस आचार संहिता का विवरण अग्रलिखित है :

विधि प्रवर्तकों/प्रवर्तन अधिकारियों की आचार संहिता

अनुच्छेद 1

कानून लागू करने वाले सभी अधिकारी हमेशा व्यवसाय के लिए आवश्यक जिम्मेदारी की भावना रखते हुए अनैतिक कृत्यों से सभी व्यक्तियों का बचाव तथा समाज की सेवा करके अपने कर्तव्य निभाएंगे।

टिप्पणी

(क) 'कानून लागू करने वाले अधिकारियों में कानून से जुड़े वे सभी अधिकारी शामिल हैं (चाहे वे नियुक्त किए गए हों या निर्वाचित हों), जो पुलिस की शक्तियों, विशेष रूप से गिरफ्तार करने या बंदीगृह में रखने की शक्तियों का प्रयोग करते हैं।

(ख) जिन देशों में पुलिस की शक्तियों का प्रयोग सैनिक प्राधिकारी करते हैं, चाहे वे वर्दी में हों या न हों, या राज्य सुरक्षा बल पुलिस की अधिकार शक्तियों का उपयोग करते हैं, वहां विधि प्रवर्तन अधिकारियों की परिभाषा में ऐसी सेवाओं के अधिकारी भी शामिल होंगे।

(ग) समुदाय या समाज की सेवा से आशय समाज के उन सदस्यों की सहायतार्थ सेवाएं प्रदान करना है, जिन्हें वैयक्तिक, आर्थिक, सामाजिक या अन्य आपात स्थितियों के कारण तत्काल सहायता की आवश्यकता है।

(घ) इस प्रावधान में केवल हिंसात्मक, लूटमार तथा अन्य क्षति पहुंचाने वाले कृत्य ही शामिल नहीं हैं बल्कि इसमें दांडिक स्थिति के तहत आने वाले सभी निषेध भी शामिल हैं। इसके विस्तार क्षेत्र में ऐसे व्यक्तियों का आचरण भी आता है, जो दांडिक दायित्व उठाने में अक्षम हैं।

अनुच्छेद 2

विधि प्रवर्तन अधिकारी तभी बल प्रयोग कर सकते हैं, जब ऐसा करना बहुत आवश्यक हो तथा ड्यूटी निभाते समय जिस सीमा तक बल का प्रयोग किया जा सकता है, उसी सीमा तक सख्ती बरती जाए।

टिप्पणी

(क) इस प्रावधान में इस विचार बिंदु पर बल दिया गया है कि अपवादजन्य स्थितियों में ही कानून लागू करने वाले अधिकारी को बल प्रयोग करना चाहिए, जबकि इसका निहितार्थ है कि अपराधों की रोकथाम तथा अपराधियों, संदिग्ध अपराधियों को कानूनी तौर पर गिरफ्तार करने के लिए परिस्थितियों की मांग के भीतर बल प्रयोग का प्राधिकार दिया जाए। अपेक्षित सीमा से परे बल का प्रयोग नहीं किया जाना चाहिए।

(ख) सामान्यतः राष्ट्रीय विधि के तहत विधि प्रवर्तन

अधिकारियों द्वारा समानुपातिक सिद्धांत (Principles of proportonality) के अनुसार बल प्रयोग करने की अनुमति दी गई। हमें यह समझना चाहिए कि समानुपातिक सिद्धांत को इस प्रावधान के निर्वचन के अनुसार महत्व दिया जाना चाहिए। किसी भी मामले में इस प्रावधान का निर्वचन करते समय बल प्रयोग को अधिकृत रूप देने का प्रयास नहीं करना चाहिए। यह विधि सम्मत उद्देश्यों के प्रतिकूल है।

(ग) आग्नेय अस्त्रों का आखिरी/अंतिम उपाय के रूप में प्रयोग किया जाए। आग्नेय अस्त्रों का, विशेषकर बच्चों के मामलों में, इस्तेमाल न करने का भरसक प्रयास किया जाना चाहिए। सामान्यतः जब संदिग्ध अपराधी अपने बचाव के लिए आग्नेय अस्त्रों का प्रयोग करता है या अन्य लोगों का जीवन खतरे में डाल देता है या संदिग्ध अपराधी को रोकने या पकड़ने में सामान्य उपाय पर्याप्त नहीं रहते हैं, तब आग्नेय अस्त्रों का प्रयोग किया जाना चाहिए। जब कभी आग्नेय अस्त्र का प्रयोग किया जाता है, हर बार सक्षम प्राधिकारियों को इसकी सूचना दी जानी चाहिए।

अनुच्छेद 3

विधि प्रवर्तन अधिकारियों के पास गोपनीय मामले तब तक गुप्त रखे जाएंगे जब तक न्याय-आवश्यकता को देखते हुए कर्तव्य निभाते समय अन्यथा कार्रवाई करना अर्थात् सूचना का खुलासा करना आवश्यक न हो।

टिप्पणी

कर्तव्यों का स्वरूप देखते हुए विधि प्रवर्तन अधिकारी ऐसी सूचना प्राप्त कर सकते हैं, जो वैयक्तिक जीवन से संबंधित हैं अथवा जिसका दूसरों के हितों तथा विशेष रूप से प्रतिष्ठा पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। ऐसी सूचना को संभालकर रखने तथा इस्तेमाल करते समय विशेष सावधानी बरतने की आवश्यकता है, जिसे कर्तव्य का निर्वाह करने या न्याय की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए प्रकट किया जा सकता है।

किसी अन्य प्रयोजनार्थ ऐसी सूचना का खुलासा करना अनुचित है।

अनुच्छेद 4

कोई भी विधि प्रवर्तन अधिकारी न तो यातना या अन्य क्रूर, अमानवीय अथवा अपमानजनक बरताव या दंड दे सकता है, न किसी को उकसा सकता है, या ऐसा कृत्य सह सकता है और न ही यातना या अन्य क्रूर, अमानवीय या अपमानजनक व्यवहार या दंड के औचित्य के रूप में उच्च अधिकारियों के आदेश या युद्ध स्थिति, युद्ध की धमकी, राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरा, आंतरिक राजनीतिक अस्थिरता अथवा किसी अन्य प्रकार की सार्वजनिक आपात स्थिति जैसी अपवादजन्य परिस्थितियों का अवलंब ले सकता है।

टिप्पणी

(क) महासभा द्वारा अपनाए गए यातना या अन्य क्रूर, अमानवीय अथवा अपमानजनक व्यवहार से सभी व्यक्तियों की सुरक्षा से संबंधित घोषणापत्र के परिणामस्वरूप यह प्रतिषेध लगाया गया है। ऐसा कृत्य मानव प्रतिष्ठा के प्रति अपराध है तथा संयुक्त राष्ट्र के चार्टर का खंडन तथा सार्वभौमिक मानव अधिकार घोषणापत्र (तथा अन्य अंतरराष्ट्रीय मानव अधिकार दस्तावेज) में घोषित मूलभूत स्वतंत्रता और मानव अधिकारों का उल्लंघन मानते

हुए ऐसे कृत्यों की भर्त्सना की जानी चाहिए।

(ख) इस घोषणापत्र में 'यातना' की निम्नलिखित परिभाषा दी गई है :

'...'यातना' का अर्थ ऐसा कृत्य है, जिसके माध्यम से सार्वजनिक अधिकारी द्वारा ऐसे (संदिग्ध) व्यक्ति से सूचना प्राप्त करने के लिए जानबूझकर उसे शारीरिक या मानसिक पीड़ा अथवा कष्ट पहुंचाया जाता है।'

(ग) 'क्रूर, अमानवीय या अपमानजनक व्यवहार अथवा दंड' का अर्थ महासभा द्वारा परिभाषित नहीं किया गया है, परंतु इसका निर्वचन इस प्रकार से किया जाना चाहिए, जिससे व्यक्ति को शारीरिक या मानसिक दुर्व्यवहार से अधिक-से-अधिक सुरक्षा प्रदान की जा सके।

अनुच्छेद 5

विधि प्रवर्तन अधिकारी सुनिश्चित करेंगे कि हवालात में बंद व्यक्तियों के स्वास्थ्य का पूरा-पूरा ध्यान रखा जाता है तथा तब भी आवश्यकता पड़ती है, उन्हें तत्काल चिकित्सा सुविधाएं प्रदान की जाती हैं।

टिप्पणी

(क) चिकित्सा कार्मिक द्वारा (इसमें चिकित्सा व्यवसायी (डाक्टर) भी शामिल हैं।) दी जाने वाली 'चिकित्सा सुविधा' आवश्यकता पड़ने पर या मांग की जाने पर प्राप्त की जा सकती है।

(ख) हालांकि विधि प्रवर्तन आपरेशन के दौरान चिकित्सा कार्मिक भी साथ होता है, फिर भी विधि प्रवर्तन अधिकारी कानून लागू करने की कार्रवाई से परे चिकित्सा कार्मिक के माध्यम से या उसके साथ परामर्श करके हवालात में व्यक्ति को समुचित उपचार संबंधी सुविधाएं प्रदान करने की सिफारिश करते हैं, तब उन्हें ऐसे कार्मिक के निर्णय का भी ध्यान रखना चाहिए।

(ग) विधि प्रवर्तन अधिकारियों को कानून के उल्लंघन से पीड़ित व्यक्ति या कानून के उल्लंघन के दौरान होने वाली दुर्घटनाओं से पीड़ित व्यक्ति को भी चिकित्सा सुविधा प्रदान करनी होगी।

अनुच्छेद 6

विधि प्रवर्तन अधिकारी भ्रष्टाचार से दूर रहेंगे। वे कठोरता से इसका सामना करेंगे।

टिप्पणी

(क) सत्ता के दुरूपयोग के समान ही भ्रष्टाचार तथा विधि प्रवर्तन अधिकारी परस्पर विरोधी हैं। किसी भ्रष्ट विधि प्रवर्तन अधिकारी के संबंध में कानून पूरी तरह से लागू किया जाए, क्योंकि यदि कानून एजेंट तथा अपनी एजेंसियों के विरुद्ध प्रभावी नहीं हो पाता तो सरकार अपने नागरिकों पर कानून लागू नहीं कर पाएगी।

(ख) हालांकि भ्रष्टाचार को राष्ट्रीय विधि के तहत ही परिभाषित किया जाना चाहिए, फिर भी भ्रष्टाचार की परिभाषा में अपनी ड्यूटी के दौरान या इसके संबंध में हुई भूल-चूक अथवा उपहार स्वीकार करना या मांगना, कोई वादा करना या शर्त लगाना अथवा गलत तरीके से इस प्रकार का कोई कार्य करना शामिल है।

(ग) 'भ्रष्टाचार' अभिव्यक्ति में भ्रष्ट कार्य करने का प्रयास भी शामिल है।

अनुच्छेद 7

विधि प्रवर्तन अधिकारी विधि तथा इस संहिता का आदर करेंगे। ये कानून के उल्लंघन का सख्ती से विरोध करेंगे तथा रोकथाम करेंगे। यदि विधि प्रवर्तन अधिकारियों के पास इस संहिता के उल्लंघन या इसकी आशंका के पर्याप्त आधार हैं तो वे अपने वरिष्ठ अधिकारियों को तत्संबंधी जानकारी देंगे तथा जब आवश्यक हो तब ऐसे अन्य उपयुक्त प्राधिकारियों अथवा संगठन को भी सूचित करेंगे, जिन्हें समीक्षा या निदान संबंधी अधिकार सौंपे गए हैं।

टिप्पणी

(क) जब कभी इस संहिता को राष्ट्रीय विधान या परिपाटी में शामिल किया जाना हो तब संहिता का अवलोकन किया जाना चाहिए। यदि विधान या परिपाटी में अधिक कठोर प्रावधान समाहित हैं, तो इस संहिता की अपेक्षा विधान या परिपाटी के प्रावधान लागू होंगे।

(ख) इस अनुच्छेद में एक ओर सार्वजनिक सुरक्षा की आधार एजेंसी की आंतरिक सुरक्षा और दूसरी ओर मूल मानव अधिकारों के उल्लंघन का सामना करने की आवश्यकता के बीच संतुलन रखने का प्रयास किया गया है। विधि प्रवर्तन अधिकारियों को कमान की शृंखला के भीतर ही उल्लंघन के मामलों की सूचना देनी चाहिए। जब कोई अन्य उपचार न हो, या उपलब्ध उपचार प्रभावी न हो, केवल तभी कमान की व्यवस्था के बाहर जाकर कानूनी कार्रवाई की जानी चाहिए। ऐसा माना जाता है कि विधि प्रवर्तन अधिकारियों को प्रशासनिक या अन्य दंड (शास्तियां) नहीं भुगतने पड़ेंगे, क्योंकि उन्होंने यह रिपोर्ट दे दी है कि इस संहिता का उल्लंघन हुआ है या होने जा रहा है।

(ग) 'समीक्षा या उपचारात्मक शक्तियों से संपन्न उपयुक्त अधिकारी या संगठन' शब्द राष्ट्रीय विधि के तहत ऐसे विद्यमान प्राधिकारी या संगठन से संबंधित है, चाहे यह आंतरिक स्तर पर कानून लागू करने वाली एजेंसी हो या उसका भाग, जिसे इस संहिता के अधिकार क्षेत्र के भीतर होने वाले उल्लंघन के मामलों के विरुद्ध की गई शिकायतों की समीक्षा करने की सांविधिक, रूढ़िगत या अन्य शक्तियां प्राप्त हैं।

(घ) कुछ देशों में जनसंचार माध्यम भी उप-पैरा (ग) में वर्णित शिकायतों की समीक्षा संबंधी कार्य कर रहे हैं। इसलिए यदि विधि प्रवर्तन अधिकारी जनसंचार माध्यमों के जरिए उल्लंघन के मामले आम जनता की जानकारी में लाते हैं, तो वर्तमान संहिता के अनुच्छेद-4 के प्रावधान के अनुसार अंतिम उपाय के रूप में ऐसा करना न्यायसंगत है।

(ड) इस संहिता के प्रावधानों का अनुपालन करने वाले विधि प्रवर्तन अधिकारी समुदाय तथा संबंद्ध विधि प्रवर्तन एजेंसी और विधि प्रवर्तन व्यवसाय का आदर और पूरा सहयोग पाने के पात्र होते हैं।

भारतीय मानक

भारत में पुलिस की आचार संहिता 1985 में भारत सरकार द्वारा अपनाई गई थी तथा इसे जारी किया था। यह संहिता भारतीय पुलिस के प्रमुखों के सम्मेलन द्वारा दी गई सिफारिशों पर आधारित थी।

पुलिस की आचार संहिता

1. पुलिस की भारतीय संविधा के प्रति पूर्ण निष्ठा रखनी चाहिए तथा उन्हें संविधान द्वारा नागरिकों को दिए गए अधिकारों को बनाए रखना है।
2. पुलिस को विधिवत् रूप से अधिनियमित कानून के स्वामित्व या आवश्यकता पर संदेह नहीं करना चाहिए। उन्हें किसी प्रकार के भय या पक्षपात, वैमनस्य या बदले की भावना से मुक्त होकर दृढ़तापूर्वक निष्पक्ष होकर कानून लागू करना चाहिए।
3. पुलिस को अपनी शक्तियों तथा कर्तव्यों की सीमाओं को स्वीकार करके इनका आदर करना चाहिए। इन्हें व्यक्ति से बदला लेने या अपराधी को मात्र दंड देने के प्रयोजनार्थ न्यायपालिका के कार्यों का हनन करते हैं।
4. कानून का पालन सुनिश्चित करते समय या व्यवस्था कायम रखते हुए पुलिस को यथासंभव व्यावहारिक रूप से समझाने-बुझाने के तरीके अपनाकर सलाह या चेतावनी देनी चाहिए। जब बल प्रयोग अपरिहार्य हो, केवल तभी परिस्थितियों के अनुरूप न्यूनतम बल प्रयोग करना चाहिए।
5. पुलिस का प्रमुख अपराध तथा अव्यवस्था को रोकना है। पुलिस को यह स्वीकार करना चाहिए कि अपराध तथा अव्यवस्था न होना ही उनकी क्षमता, दक्षता का परिचायक है, न कि इनसे निपटते समय पुलिस द्वारा की गई कार्रवाई का प्रत्यक्ष प्रमाण होने पर ही उनकी दक्षता का पता चलता है।
6. पुलिस को यह जान लेना चाहिए कि वे भी जनसाधारण के ही अंग हैं। अंतर केवल इतना है कि समाज के हित में और समाज की ओर से उन्हें पूरे समय ऐसे कर्तव्यों पर ध्यान देने के लिए तैनात किया गया है, जिनका निर्वहन सामान्यतः प्रत्येक नागरिक को करना चाहिए।
7. पुलिस को यह महसूस करना चाहिए कि उनके द्वारा सक्षम रूप से कार्य निष्पादन जनता से प्राप्त सहयोग पर आधारित है। यह सहयोग पुलिसकर्मियों के आचरण और गतिविधियों के प्रति जनता की अधिस्वीकृति तथा जनता का आदर और विश्वास प्राप्त करने पर मिलता है।
8. पुलिस को हमेशा जनकल्याण का ध्यान रखना चाहिए तथा उनके प्रति सहानुभूतिपूर्ण रवैया अपनाना चाहिए। उन्हें व्यक्ति की धन-संपत्ति या सामाजिक हैसियत पर ध्यान दिए बिना सेवा करनी चाहिए। उनके साथ मैत्रीपूर्ण व्यवहार करना चाहिए तथा आवश्यक सहायता देनी चाहिए।
9. पुलिस को हमेशा अपनी ड्यूटी का ध्यान रखना चाहिए और चाहे कोई खतरा हो, उनका मजाक उड़ाया जा रहा हो या उनका कोई तिरस्कार कर रहा हो, उन्हें शांत होकर अपनी ड्यूटी निभानी चाहिए तथा दूसरों की रक्षा की खातिर अपने प्राण न्योछावर करने के लिए तैयार करना चाहिए।
10. उन्हें शालीन व्यवहार करना चाहिए। उन्हें निष्पक्ष होकर कार्य करना चाहिए तथा लोगों को उन पर भरोसा होना चाहिए। उनकी मान-मर्यादा होने के साथ-साथ उनमें साहस जैसे गुण हों। उन्हें चरित्रवान होने के साथ-साथ लोगों का विश्वास जीतना चाहिए।
11. सर्वोच्च आदेशों/हुकुम के प्रति अपनी निष्ठा

बनाए रखना पुलिस की प्रतिष्ठा का आधार है। इस दृष्टि से पुलिस का वैयक्तिक जीवन साफ-सुथरा हो, वे आत्मसंयमी हों। उन्हें अपनी कथनी और करनी के प्रति सत्यनिष्ठा और ईमानदार होना चाहिए, ताकि जनता आदर्श नागरिक के रूप में उनका आदर करें।

12. पुलिस को यह अनुभव करना चाहिए कि यदि वे अनुशासन बनाए रखते हैं, कानून के अनुसार निष्ठापूर्वक अपने कर्तव्यों तथा कमान रैंक से प्राप्त वैध निर्देशों का पालन करते हैं, हमेशा कुछ-न-कुछ सीखते रहते हैं और निरंतर कार्य करने के लिए तत्पर रहते हैं, तभी उनकी दृष्टि से सेवाओं की उपादेयता है।

13. एक धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक देश के नागरिक होने के नाते पुलिस को वैयक्तिक पूर्वग्रहों से ऊपर उठने तथा धर्म, भाषा, क्षेत्रगत विविधता वाले लोगों में मेल-मिलाप तथा भाईचारे की भावना को बढ़ावा देने के लिए प्रयत्नशील रहना चाहिए। महिलाओं और समाज के गरीब तबकों की प्रतिष्ठा के प्रतिकूल परिपाटियों का त्याग करना चाहिए [गृह मंत्रालय का सभी राज्यों/केन्द्रशासित प्रदेशों तथा सी.पी.ओ. के अध्यक्षों को लिखे गए तारीख 04.07.85 तथा 10.07.85 के पत्र सं. VI–24021/87/84–जी.पी.ए.।] अपने विधि सम्मत कर्तव्यों का निर्वहन करते समय विधि प्रवर्तन अधिकारियों को शारीरिक बल तथा अनेक बार आग्नेय अस्त्रों का भी प्रयोग करना पड़ता है। इसके परिणामस्वरूप प्रायः गंभीर क्षति भी पहुंचाती है तथा लोगों की मौत हो जाती है। अतः यह आवश्यक हो जाता है कि विधि प्रवर्तन अधिकारी अंतिम उपाय के रूप में ही शारीरिक बल तथा आग्नेय अस्त्रों का उपयोग करें, ताकि इनका कम-से-कम इस्तेमाल हो सके। सभी लोकतांत्रिक देशों में विधि प्रवर्तन अधिकारियों द्वारा बल तथा आग्नेय अस्त्रों के प्रयोग पर नियंत्रण रखने के लिए आंतरिक नियंत्रण व्यवस्था तथा विभागीय विनियमों का प्रावधान है। कम-से-कम प्रयोग आदि की आवश्यकता पर बल देने के लिए संयुक्त राष्ट्र ने 'नियमों' की श्रृंखला तय की है, जो इस प्रकार है :

बल प्रयोग तथा आग्नेय अस्त्र के प्रयोग से संबंधित नियम

विधि प्रवर्तन अधिकारी की ड्यूटी सामाजिक सेवा करना है, इसलिए इन अधिकारियों की कामकाजी स्थितियां तथा इनकी पद हैसियत को बनाए रखना तथा इनमें सुधार लाना आवश्यक है। यदि विधि प्रवर्तन अधिकारियों की जान को खतरा है तो यह पूरे समाज की स्थिरता को खतरा है।

सार्वभौमिक मानव अधिकार घोषणापत्र तथा अंतर्राष्ट्रीय सिविल और राजनीतिक अधिकार प्रतिज्ञापत्र में दी गई गारंटी के अनुसार, कानून लागू करने वाले अधिकारी के जीने के अधिकार, स्वतंत्रता तथा व्यक्ति की सुरक्षा के बचाव में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।

कैदियों के साथ बरताव संबंधी मानक न्यूनतम नियमों में ऐसी परिस्थितियों का प्रावधान दिया गया है, जिसके अंतर्गत जेल अधिकारी ड्यूटी के दौरान बल प्रयोग कर सकते हैं।

विधि प्रवर्तन अधिकारियों की आचार संहिता के अनुच्छेद 3 में यह प्रावधान दिया गया है कि विधि प्रवर्तन अधिकारी तभी बल प्रयोग कर सकते हैं, जब ऐसा करना नितांत आवश्यक है तथा ड्यूटी निभाते समय

अपेक्षित सीमा तक ही बल का प्रयोग किया जा सकता है।

अपराधियों के बरताव और अपराधों की रोकथाम पर इटली के वियना शहर में आयोजित संयुक्त राष्ट्र संघ की सातवीं कांग्रेस की प्रारंभिक बैठक में विधि प्रवर्तन अधिकारियों द्वारा बल तथा आग्नेय अस्त्र के प्रयोग पर अंकुश लगाने के संबंध में उन तत्वों पर सदस्य देश सहमत थे, जिन पर विचार किया जाना था।

सातवीं कांग्रेस ने अपने संकल्प में अन्य बातों के साथ-साथ इस पर बल दिया कि विधि प्रवर्तन अधिकारी मानव अधिकारों का समुचित आदर-सम्मान करते हुए बल तथा आग्नेय अस्त्रों का प्रयोग करे।

आर्थिक और सामाजिक परिषद् ने 21 मई, 1986 को संकल्प 1986/10, धारा 9 में सदस्य देशों का आह्वान किया कि वे विधि प्रवर्तन अधिकारी द्वारा बल तथा आग्नेय अस्त्रों के प्रयोग से संबंधित संहिता को लागू करने पर विशेष ध्यान दें तथा आम सभा ने दिसंबर 1986 के संकल्प 41/149 में अन्य बातों के साथ-साथ परिषद् द्वारा की गई इस सिफारिश का स्वागत किया।

व्यक्तिगत सुरक्षा पर उचित ध्यान देने के साथ-साथ न्याय प्रशासन, जीने के अधिकार, स्वतंत्रता की रक्षा तथा व्यक्ति की सुरक्षा के क्षेत्र में विधि प्रवर्तन अधिकारियों की भूमिका तथा शांति व्यवस्था कायम रखने की जिम्मेदारी और उनकी योग्यता, प्रशिक्षण तथा आचरण की महत्ता पर भी विचार करना होगा।

नीचे कुछ मूलभूत नियम दिए गए हैं। विधि प्रवर्तन अधिकारियों की समुचित भूमिका सुनिश्चित करने तथा बढ़ावा देने के लिए सदस्य देशों की सहायतार्थ ये नियम प्रतिपादित किए गए हैं। राष्ट्रीय विधान तथा पद्धति की रूपरेखा के भीतर सदस्य देशों की सरकारों को इन नियमों पर ध्यान देना होगा तथा इनका आदर करना होगा। इसके अलावा, देश की सरकार को विधि प्रवर्तन अधिकारी एवज जज, वकील, एक्जीक्यूटिव बैंच के सदस्य जैसे व्यक्तियों और विधायिका तथा जनसाधारण का इन नियमों की ओर ध्यान दिलाना होगा।

सामान्य प्रावधान

1. सरकार और विधि प्रवर्तन एजेंसियों को कानून लागू करने वाले अधिकारियों द्वारा बल तथा आग्नेय अस्त्र के प्रयोग के संबंध में नियम एवं विनियम स्वीकार करने पड़ेंगे तथा इन नियमों को लागू करना होगा। ऐसे नियमों और विनियमों को तैयार करते समय सरकार एवं विधि प्रवर्तन एजेंसियों को बल तथा आग्नेय अस्त्रों के प्रयोग से जुड़े मुद्दे पर निरंतर विचार करते रहना चाहिए।
2. सरकारों तथा विधि प्रवर्तन एजेंसियों को यथासंभव साधनों की व्यापक रेंज तैयार करनी चाहिए तथा कानून लागू करने वाले अधिकारियों के पास विभिन्न प्रकार के हथियार तथा गोला-बारूद आदि होने चाहिए, ताकि वे बल प्रयोग तथा आग्नेय अस्त्रों के इस्तेमाल को पहचान सकें। इस प्रक्रिया में ऐसे साधनों के प्रयोग पर अंकुश लगाना है, जिनका इस्तेमाल करने पर व्यक्तियों की मौत हो जाती है या उन्हें गंभीर चोट पहुंचती है। इस दृष्टि से समुचित परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए ऐसे हथियार तैयार करने हैं, जो घातक न हों। इसी प्रयोजनार्थ विधि प्रवर्तन अधिकारियों के पास स्वयं के बचाव के लिए शील्ड, हैलमेट, बुलेटप्रूफ बास्कट तथा यातायात के बुलेटप्रूफ साधन जैसे उपकरण भी होने चाहिए, ताकि पुलिस को किसी प्रकार के हथियार का प्रयोग करने की कम-से-कम आवश्यकता पड़े।
3. अघातक परंतु विकलांग बना देने वाले हथियार

तैयार करते समय तथा इनका प्रसार करते समय हथियार का मूल्यांकन कर लेना चाहिए, ताकि ऐसे व्यक्तियों को कम-से-कम खतरा हो, जो अपराध में शामिल नहीं हैं। ऐसे हथियारों के प्रयोग पर सावधानीपूर्वक नियंत्रण रखा जाना चाहिए।

4. अपनी ड्यूटी निभाते समय विधि प्रवर्तन अधिकारियों को यथासंभव बल तथा आग्नेय अस्त्रों का प्रयोग करने से पहले अहिंसात्मक कार्रवाई करनी चाहिए। ये अधिकारी बल तथा आग्नेय अस्त्रों का प्रयोग केवल तभी कर सकते हैं, जब अन्य साधन निष्प्रभावी या निष्फल हो जाएं।

5. जब विधि सम्मत बल प्रयोग तथा आग्नेय अस्त्रों का प्रयोग करना अपरिहार्य हो जाता है, तब विधि प्रवर्तन अधिकारी को निम्नलिखित बातों का ध्यान रखना होगा :

   (क) इस प्रकार के प्रयोग पर नियंत्रण रखा जाना चाहिए तथा अपराध की गंभीरता तथा विधिक उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए कार्रवाई की जाए।

   (ख) कम-से-कम क्षति या चोट पहुंचाई जाए तथा मानव जीवन का आदर करते हुए उसकी रक्षा की जाए।

   (ग) सुनिश्चित किया जाए कि घायल या प्रभावित व्यक्तियों को यथा शीघ्र तत्काल सहायता तथा चिकित्सा सुविधा प्रदान की जाती है।

   (घ) सुनिश्चित किया जाए कि घायलों या पीड़ित व्यक्तियों के निकट संबंधियों या मित्रों को यथासंभव तत्क्षण सूचित कर दिया गया है।

1. यदि विधि प्रवर्तन अधिकारियों द्वारा बल तथा आग्नेय अस्त्रों का प्रयोग करने पर कोई घायल होता है या किसी की मृत्यु हो जाती है तो नियम 22 के अनुसार वे तुरंत अपने उच्च अधिकारियों को घटना की सूचना दें।

7. सरकार को सुनिश्चित करना होगा कि विधि प्रवर्तन अधिकारियों द्वारा बल या आग्नेय अस्त्रों का मनमाने ढंग से इस्तेमाल या दुरुपयोग करने पर कानून के तहत दांडिक अपराध के रूप में सजा दी जाती है।

8. आंतरिक राजनीतिक अस्थिरता या अन्य आपातस्थिति जैसी असाधारण परिस्थितियों में इन बुनियादी नियमों का पालन न करने के संबंध में कोई औचित्य नहीं मांगा जाएगा।

विशेष प्रावधान

9. यदि जान के खतरे जैसे अपराध कर्म रोकने, ऐसा खतरा खड़ा करने वाले व्यक्ति को गिरफ्तार करने या उनके भाग जाने के अवसर समाप्त करने तथा उद्देश्य प्राप्ति में कम कठोर साधन अपर्याप्त रहते हैं, तो ऐसी स्थिति एवं अपने तथा अन्य लोगों की प्रति मृत्यु की धमकी या गंभीर चोट पहुंचाने के खतरे जैसी अपवादजन्य स्थितियां छोड़कर विधि प्रवर्तन अधिकारी किसी भी व्यक्ति के विरुद्ध आग्नेय अस्त्रों का इस्तेमाल नहीं करेंगे। यदि लोगों की जान बचाने के लिए आग्नेय अस्त्रों का प्रयोग अपरिहार्य है, केवल तभी जानबूझकर घातक आग्नेय अस्त्रों का प्रयोग किया जा सकता है।

10. नियम 9 के तहत बताई गई परिस्थितियों में यदि विधि प्रवर्तन अधिकारियों को कोई खतरा नहीं है या अन्य व्यक्तियों को गंभीर नुकसान पहुंचने या उनकी जान को खतरा पैदा नहीं

होता अथवा घटना की परिस्थितियों को देखते हुए ऐसा करना स्पष्टतः अनुपयुक्त नहीं हो तो विधि प्रवर्तन अधिकारी तादात्म्य स्थापित करके आग्नेय अस्त्र के प्रयोग की स्पष्ट रूप से चेतावनी देंगे तथा चेतावनी देने के बाद पर्याप्त समय तक प्रतीक्षा करेंगे।

11. विधि प्रवर्तन अधिकारियों द्वारा आग्नेय अस्त्रों के प्रयोग के संबंध में नियम और विनियम में निम्नलिखित दिशा निर्देश शामिल होने चाहिए:
    (क) उन परिस्थितियों का विशेष रूप से वर्णन किया जाए, जिनके तहत विधि प्रवर्तन अधिकारी को आग्नेय अस्त्र रखने का प्राधिकार दिया गया है तथा ऐसे आग्नेय अस्त्रों के प्रकार भी निर्धारित किए जाएं, जिनके संबंध में अनुमति दी गई है।
    (ख) सुनिश्चित किया जाए कि समुचित परिस्थितियों के तहत कम-से-कम अनावश्यक रूप से नुकसान को ध्यान में रखते हुए सही ढंग से आग्नेय अस्त्रों का प्रयोग किया जाए।
    (ग) ऐसे आग्नेय अस्त्रों तथा गोला-बारूद का उपयोग निषिद्ध होना चाहिए, जिनके कारण अनुचित क्षति पहुंचे या कोई खतरा खड़ा हो।
    (घ) आग्नेय अस्त्रों पर नियंत्रण, भंडारण तथा अस्त्र देने की प्रक्रिया विनियमित की जाए। इसमें ऐसी पद्धतियां भी शामिल हैं, जिनके तहत यह सुनिश्चित किया जा सकता है कि विधि प्रवर्तन अधिकारी उन आग्नेय अस्त्रों तथा गोला-बारूद के लिए जिम्मेदार होंगे, जो उन्हें दिए गए थे।
    (ड) यदि उपयुक्त हो तो, जब गोली आदि दागनी हो तो पहले चेतावनी दी जाए।
    (च) जब कभी विधि प्रवर्तन अधिकारी अपनी ड्यूटी निभाते समय आग्नेय अस्त्रों का प्रयोग करते हैं तो वे इसकी रिपोर्ट दें।

गैर-कानूनी सभाओं पर नियंत्रण

12. चूंकि सार्वभौमिक मानव अधिकार घोषणापत्र तथा अंतराष्ट्रीय सिविल और राजनीतिक अधिकार प्रतिज्ञापत्र के अनुसार, प्रत्येक व्यक्ति कानूनी तौर पर तथा शांतिपूर्ण ढंग से आयोजित सभाओं में भाग ले सकता है, इसलिए सरकार, विधि प्रवर्तन एजेंसियां तथा अधिकारी इस बात का ध्यान रखेंगे कि नियम 13 और 14 के अनुसार ही बल तथा आग्नेय अस्त्रों का प्रयोग किया जाए।
13. गैर-कानूनी, परंतु अहिंसात्मक सभाओं को तितर-बितर करते समय विधि प्रवर्तन अधिकारी बल प्रयोग न करे या जहां यह व्यवहार्य नहीं है, वहां यह प्रयास किया जाएगा कि बल प्रयोग की कम-से-कम सीमा तक किया जाए।
14. हिंसात्मक सभाओं को तितर-बितर करते समय विधि प्रवर्तन अधिकारी केवल तभी आग्नेय अस्त्रों का प्रयोग कर सकते हैं जब कम खतरनाक साधन व्यावहारिक नहीं हैं तथा न्यूनतम सीमा तक आवश्यकता के अनुसार आग्नेय अस्त्रों का प्रयोग किया जा सकता है। विधि प्रवर्तन अधिकारी ऐसे मामलों में आग्नेय अस्त्रों का प्रयोग नहीं करेंगे, परंतु नियम 9 में निर्दिष्ट परिस्थितियां इसका अपवाद हैं।

हवालात में बंद या नजरबंद व्यक्तियों पर नियंत्रण

विधि प्रवर्तन अधिकारी हवालात या कारावास में रखे गए व्यक्तियों के साथ बल का प्रयोग नहीं करेंगे। परंतु जब संस्था के भीतर सुरक्षा और शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए या व्यक्तिगत सुरक्षा खतरे में हो, तब बल प्रयोग की आवश्यकता इस उपबंध का अपवाद है।

15. विधि प्रवर्तन अधिकारी हवालात या कारावास में रखे गए व्यक्तियों के संबंध में आग्नेय अस्त्रों का इस्तेमाल नहीं करेंगे, परंतु अपने बचाव या मृत्यु या गंभीर क्षति के खतरे से जूझ रहे दूसरे लोगों के बचाव या पैरा 9 में वर्णित खतरा खड़ा करते हुए हवालात या कारावास से भाग रहे व्यक्ति को रोकने के लिए आग्नेय अस्त्रों का प्रयोग इस उपबंध का अपवाद है।
16. कैदियों के साथ बरताव के लिए निर्धारित मानक न्यूनतम नियमों के अनुसार, विशेष रूप से नियम 33, 34 और 54 जेल अधिकारी के अधिकार, कर्तव्य तथा उत्तरदायित्व पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना ये नियम तैयार किए गए हैं।
17. सरकार और विधि प्रवर्तन एजेंसियां यह सुनिश्चित करेंगी कि समुचित जांच के बाद चुने गए सभी अधिकारी नैतिक मूल्यों, मनोवैज्ञानिक गुण तथा शारीरिक बल के आधार पर कार्य करते हैं तथा उन्हें निरंतर प्रशिक्षण दिया जाता है। अधिकारियों की कार्य करने की निरंतर क्षमता की समय-समय पर जांच की जानी चाहिए।
18. सरकार और विधि प्रवर्तन एजेंसियां यह सुनिश्चित करेंगी कि सभी विधि प्रवर्तन अधिकारियों को प्रशिक्षण दिया जाता है तथा बल प्रयोग की दृष्टि से उपयुक्त प्रवीणता/निपुणता संबंधी मानदंड़ों के अनुसार उनकी परीक्षा ली जाती है।
19. विधि प्रवर्तन अधिकारियों के प्रशिक्षण पर सरकार तथा विधि प्रवर्तन एजेंसियों द्वारा पुलिस के नीति विधयक नियम तथा मानव अधिकारों के मुद्दे (विशेष रूप से जांच प्रक्रिया के दौरान) जैसे—बल प्रयोग या आग्नेय अस्त्रों के झगड़ों का शांतिपूर्वक निपटारे जैसे विकल्प, भीड़ का व्यवहार समझने तथा समझाने-बुझाने, बातचीत तथा मध्यस्थता एवं तकनीकी साधनों के प्रयोग के तरीकों पर विशेष ध्यान दिया जाएगा, ताकि बल और आग्नेय अस्त्रों का प्रयोग कम किया जा सके। विधि प्रवर्तन एजेंसियों को विशिष्ट घटनाओं के अनुसार अपने प्रशिक्षण कार्यक्रमों तथा आपरेशन प्रक्रियाओं की समीक्षा करनी चाहिए।
20. सरकार और विधि प्रवर्तन एजेंसियां ऐसे विधि प्रवर्तन अधिकारियों को परामर्श देने पर बल देंगी, जो ऐसी परिस्थितियों से जुड़े हैं, जहां बल और आग्नेय अस्त्रों का प्रयोग किया जाता है।

रिपोर्टिंग और समीक्षा की प्रक्रियाएं

21. सरकार और विधि प्रवर्तन एजेंसियां नियम 6 और 11(च) में वर्णित घटनाओं के लिए प्रभावी रिपोर्टिंग तथा समीक्षा की प्रक्रियाएं स्थापित करेंगी। इन नियमों के अनुसरण में बताई गई घटनाओं के लिए सरकार और विधि प्रवर्तन एजेंसियां सुनिश्चित करेंगी कि प्रभावी समीक्षा प्रक्रिया मौजूद है तथा स्वतंत्र

प्रशासनिक या अभियोजन संबंधी प्राधिकारी समुचित परिस्थितियों में न्याय देने/निर्णय देने की स्थिति में है। मृत्यु तथा गंभीर चोट या अन्य कटु परिणाम प्राप्त होने के मामले में प्रशासनिक समीक्षा की जाएगी तथा न्यायिक नियंत्रण के लिए जिम्मेदार सक्षम प्राधिकारियों के पास तत्संबंधी रिपोर्ट भेजी जाएगी।

22. बल प्रयोग या आग्नेय अस्त्रों के प्रयोग से प्रभावित/पीड़ित व्यक्ति या उनके विधिक प्रतिनिधि न्यायिक प्रक्रिया सहित स्वतंत्र प्रक्रिया अपना सकते हैं। ऐसे व्यक्तियों की मृत्यु हो जाने पर तदनुसार आश्रितों पर यह प्रावधान लागू होगा।

23. सरकार और विधि प्रवर्तन एजेंसियां सुनिश्चित करेंगी कि यदि अधिकारी जानते हैं कि उनकी कमान के तहत आने वाले विधि प्रवर्तन अधिकारी गैर-कानूनी ढंग से बल तथा आग्नेय अस्त्रों का सहारा ले रहे हैं या ले चुके हैं और वे इस प्रवृत्ति का रोकने, दबाने या रिपोर्ट देने के संबंध में कोई कार्रवाई नहीं करते तो इस संबंध में उच्च अधिकारी ही जिम्मेदार ठहराया जाएगा।

24. सरकार और विधि प्रवर्तन एजेंसियां सुनिश्चित करेंगी कि उन विधि प्रवर्तन अधिकारियों पर कोई दांडिक या आपराधिक आदेश अधिरोपित नहीं किया जाएगा, जो विधि प्रवर्तन अधिकारियों की आचार संहिता तथा मूलभूत नियमों के अनुसार अन्य अधिकारियों द्वारा बल तथा आग्नेय अस्त्रों के प्रयोग संबंधी आदेश का पालन करने के लिए इनकार कर देते हैं या इसकी रिपोर्ट देते हैं।

25. यदि विधि प्रवर्तन अधिकारी जानते थे कि बल तथा आग्नेय अस्त्रों के प्रयोग के आदेश के परिणामस्वरूप व्यक्ति की मृत्यु हो जाएगी या उसे गंभीर क्षति पहुंचेगी तथा वे जानबूझकर गैर-कानूनी ढंग से ऐसी कार्रवाई करते हैं तथा ऐसे आदेश को मना करने के लिए उनके पास समुचित अवसर भी थे, तो इस संबंध में उच्च आदेशों के पालन का तर्क देकर बचाव नहीं किया जा सकता। किसी भी मामले में गैर-कानूनी आदेश देने वाले उच्च अधिकारियों की जिम्मेदारी होती है।

❑

महिला-पुलिस अन्तः क्रिया सैद्धान्तिक व व्यवहारिक अध्ययन

डा. सीमा रानी

म. नं.—डी-508
मुल्तानीपुरा, मोदी नगर
जिला गाजियाबाद—201204 (उ.प्र.)

समाज में कानून और व्यवस्था को बनाए रखना सम्पूर्ण प्रशासनिक व्यवस्था का प्रमुख कर्तव्य है। प्रशासन अपने दायित्व का निर्वहन जिन साधनों, संस्थानों व संगठनों के माध्यम से करता है उनमें से पुलिस प्रशासन भी एक है। यदि यह कह दिया जाए तो कोई अतिश्योक्ति नहीं होगी कि पुलिस ही प्रशासन का वह प्रमुख अंग है जो समाज में न केवल शांति और व्यवस्था बनाए रखता है, अपितु समाज की सुरक्षा के लिए कवच का काम करता है।

अन्याय व अत्याचार से पीड़ित कोई भी व्यक्ति सर्वप्रथम, पुलिस प्रशासन के सम्पर्क में ही आता है। पुलिस का शिकायतकर्ता के प्रति दृष्टिकोण व व्यवहार आम आदमी में राज्य व उसकी विभिन्न संस्थाओं के प्रति विश्वास में कमी या वृद्धि करता है। संक्षेप में पुलिस प्रशासन आम आदमी के लिए सरकार का प्रतिनिधि है, विशेषकर अपेक्षाकृत कमजोर वर्ग के लिए।

महिलाएं इस कमजोर वर्ग में से एक हैं। महिलाएं शारीरिक रूप से पुरुषों की तुलना में निर्बल होती हैं। अधिकांश महिलाएं शैक्षिक व सामाजिक, स्तर पर भी निर्बल होती हैं, उन्हें सुरक्षा की अपेक्षाकृत अधिक आवश्यकता है। महिलाओं के प्रति अपराध यूं तो प्रारंभिक काल से ही होते रहे हैं, वर्तमान में समस्त प्रयासों के बावजूद भी यह तथ्य है कि महिलाएं, जो समाज का आधा भाग है, के प्रति अपराधों की संख्या में निरंतर वृद्धि हो रही है। महिलाओं के प्रति बढ़ते अपराधों को रोकने में पुलिस प्रशासन की भूमिका स्वाभाविक रूप से अहम् है। पुलिस प्रशासन की भूमिका अपराध घटित होने से पूर्व निरोधक की तो है ही अपराध घटित होने के उपरान्त त्वरित व प्रभावी कार्रवाई का दायित्व भी पुलिस का ही है।

सामान्यतयाः एक पीड़ित के रूप में महिला सर्वप्रथम, पुलिस के सम्पर्क में 'प्रथम सूचना रिपोर्ट' दर्ज कराने के समय आती है। मानवाधिकारों के इस दौर में पीड़िता के रूप में महिला के कई अधिकार विधि द्वारा सुनिश्चित किए गए हैं। इन अधिकारों के अन्तर्गत सर्वप्रथम पुलिस थाने के भारसाधक अधिकारी के लिए यह अनिवार्य उपबंध किया गया है, कि वह धारा 154 सी.आर.पी.सी. के अनुसार, संज्ञेय अपराध की 'प्रथम सूचना रिपोर्ट' दर्ज करे। इसके साथ ही महिला को यह अधिकार भी प्राप्त है कि उसे अपनी 'प्रथम सूचना रिपोर्ट' की अधिकृत प्रति की हस्ताक्षरित रसीद प्राप्त हो। साथ ही 'प्रथम सूचना रिपोर्ट' को एक सीमित बयान के रूप में स्वीकार नहीं किया गया है इसमें नए तथ्यों के प्रकाश में बढ़ोतरी की जा सकती है। इसके अतिरिक्त हाल ही में शिकायत दर्ज करने की प्रक्रिया में यह संशोधन भी किया गया है कि 'प्राथमिक सूचना' दर्ज कराने आयी महिला से कोई सवाल नहीं किया जाएगा एवं पीड़ित महिला को महिला कांस्टेबल द्वारा पूर्ण संरक्षण दिया जाएगा। जहां तक महिलाओं और पुलिस प्रशासन के सम्पर्क का प्रश्न है तो हम यह देखते हैं कि पीड़ित पक्ष के अतिरिक्त महिलाएं अभियुक्त व साक्षी के रूप में भी पुलिस प्रशासन के सम्पर्क में आती है। इस संदर्भ में भारतीय दंड प्रक्रिया संहिता 1973 में महिलाओं की विशिष्ट स्थिति को देखते हुए उनके हित में यह प्रमुख उपबंध किया गया है। कि सामान्य परिस्थितियों में स्त्री को सूर्यास्त के उपरान्त

तथा सूर्योदय के पूर्व गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। अपवाद स्वरूप जब महिला को गिरफ्तार करना आवश्यक हो तो प्रथम श्रेणी के न्यायिक मजिस्ट्रेट से पूर्व अनुमति प्राप्त करके महिला पुलिस अधिकारी स्त्री को गिरफ्तार कर सकती है।

यह प्रावधान यह सुनिश्चित करने का प्रयास करता है कि महिलाओं के अभियुक्त होने के पश्चात भी उनके प्रति उचित व्यवहार किया जाए तथा उनको सुरक्षा प्रदान की जाए, परंतु प्रायः व्यवहार में ऐसा नहीं होता है। सामान्यतः यह देखा जाता है कि महिला गिरफ्तारी के संदर्भ में समय का ध्यान नहीं रखा जाता है।

इन बातों को ध्यान में रखते हुए केन्द्रीय गृहमंत्रालय द्वारा 16 जनवरी 1996 को जारी मानवाधिकार मार्गदर्शिका में महिला अभियुक्त के लिए विशेष निर्देश जारी किए गए हैं, महिला गिरफ्तारी के संदर्भ में मार्गदर्शिका में यह निर्देश दिया गया है कि महिला के विषय में यह पूर्वधारणा होगी कि वह गिरफ्तारी के लिए तैयार है, जब तक कि विपरीत स्थिति साबित न हो, किसी भी स्थिति में पुलिस अधिकारी महिला के शरीर को गिरफ्तारी के समय स्पर्श नहीं करेगा। मार्गदर्शिका के पैरा 4 में यह प्रावधान है कि विशेष परिस्थिति के अतिरिक्त रात्रि में किसी महिला को गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। यदि आवश्यक हो तो पूर्व में पुलिस कर्मचारी द्वारा अपने उच्चाधिकारी को कारण बताते हुए आज्ञा ली जाएगी व गिरफ्तारी के बाद उच्च अधिकारी को सूचना दी जाएगी। महिला को तुरंत जमानत देनी होगी व गैर जमानती अपराध में महिला को न्यायिक अभिरक्षा में तुरंत ले जाया जाएगा। इसके अतिरिक्त रास्ते के दौरान महिला के किसी पुरुष संबंधी को एस्कोर्ट पार्टी के साथ रहने की इजाजत दी जाएगी। पैरा 5 के अनुसार यदि थाना परिसर में महिला को रखना पड़े तो महिला के पुरुष संबंधी को परिसर में रहने दिया जाएगा। ये प्रावधान स्पष्ट रूप से यह इंगित करते हैं कि महिलाओं के साथ विशेष व्यवहार किया जाना आवश्यक है।

जहां तक महिला अभियुक्त के अन्य अधिकारों का प्रश्न है भारतीय दण्ड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत अन्य प्रावधान निम्नलिखित हैं :

धारा 51 (2) उपबंध करती है कि जहां पुलिस अधिकारी द्वारा स्त्री को गिरफ्तार किया जाता है तो उस स्त्री की तलाशी पुरुष पुलिस द्वारा न करके महिला पुलिस द्वारा शिष्टतापूर्वक की जाएगी। यह आदेशात्मक उपबंध है।

धारा 53 (2) के अनुसार यदि कोई स्त्री गिरफ्तार की जाती है तथा उसका चिकित्सीय परीक्षण अपराध संबंधी साक्ष्य हेतु आवश्यक है, तो ऐसा परीक्षण केवल एक रजिस्टर्ड महिला चिकित्सक द्वारा या रजिस्टर्ड महिला चिकित्सक के पर्यवेक्षण में किया जाएगा। ऐसा परीक्षण तथा साक्ष्य प्राप्त करना संविधान के अनुच्छेद 20 (3) जोकि स्वयं अभियोजन के विरुद्ध संरक्षण प्रदान करता है का उल्लंघन नहीं करता है।

इन प्रावधानों में यह स्पष्ट किया गया है कि अभियुक्त होने के कारण एक महिला को उसके गरिमा के अधिकार से वंचित नहीं किया जा सकता है और इस गरिमा को बनाए रखने के लिए पुलिस प्रशासन बाध्य है और यह बाध्यता न केवल गिरफ्तारी तक सीमित है वरन् पुलिस अभिरक्षा में भी महिलाओं की गरिमा का संरक्षण आवश्यक है।

भारतीय दंड संहिता की धारा 376 (2) में यह भी प्रावधान किया गया है कि यदि पुलिस अभिरक्षा के दौरान महिला अभियुक्त से बलात्कार किया जाता है तो पुलिसकर्मी अधिक दण्ड यानि आजीवन कारावास तक दण्डित होगा।

उपरोक्त विवेचन से स्पष्ट है कि यद्यपि कानून द्वारा महिलाओं से संबंधित हर पक्ष के सन्दर्भ में यह प्रयास किया गया है कि उनके अधिकारों का क्षरण न हो इसलिए पुलिस अभिरक्षा के अतिरिक्त एक गवाह के

रूप में भी महिला के अधिकारों को सुनिश्चित किया गया है। इस बारे में भारतीय दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 160(2) में यह प्रावधान किया गया है कि साक्षी के रूप में स्त्री और 15 वर्ष से कम आयु के बालकों को थाने पर आने के लिए दबाव नहीं डाला जा सकता है अन्वेषण करने वाले पुलिसकर्मी को सूचना प्राप्त करने के लिए स्वयं उसके निवास स्थान पर जाना होगा।

इस संदर्भ में केन्द्रीय गृहमंत्रालय द्वारा सभी राज्यों को जारी मानवाधिकार मार्गदर्शिका भी महत्वपूर्ण है, जो यह प्रावधान करती है कि धारा 160 (2) का उल्लंघन करके स्त्री या अव्यस्क बालक को थाने में उपस्थित होने के लिए विवश करना मानवाधिकारों का उल्लंघन है। पुलिस अधिकारियों को चाहिए कि वह गवाहों के इन अधिकारों का उल्लंघन न करे।[21] ऐसा किया जाना महिला अधिकारों के संरक्षण के लिए अपरिहार्य ही नहीं है बल्कि सामाजिक व्यवस्था के विधि के अनुरूप संचालन के लिए भी आवश्यक है। परंतु यहां प्रश्न यह उठता है कि क्या सदैव ऐसा हो पाता है।

उपरोक्त प्रावधान यह सुनिश्चित करते हैं कि पुलिस प्रशासन द्वारा महिला चाहे व पीड़ित हो या अभियुक्त के साथ उचित व्यवहार किया जाएगा व उसके अधिकारों की रक्षा की जाएगी।

परंतु व्यवहार में आए दिन यह देखने को मिलता है इन प्रावधानों का प्रायः उल्लंघन होता है जैसे कि 'प्राथमिक सूचना रिपोर्ट' को दर्ज कराने के अन्तर्गत महिलाओं को प्रायः उपेक्षापूर्ण व्यवहार का सामना करना पड़ता है। यह एक तथ्य है कि भारत में पुलिस कार्रवाई मामलों को दर्ज न करने की व्याधि से ग्रसित है। (एक सामान्य आकलन के अनुसार 25 प्रतिशत मामले दर्ज नहीं किए जाते हैं।) और जहां तक महिलाओं के प्रति अपराधों का संबंध है तो ऐसा अधिक होता है। सत्तर के दशक में उत्तर प्रदेश में एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी द्वारा किए गए प्रयोग में सादी वर्दी में पुलिस अधीक्षकों ने थानों में काल्पनिक 'प्राथमिक सूचना रिपोर्ट' दर्ज कराई और यह पाया गया कि मात्र एक-तिहाई मामले दर्ज किए गए और इनमें निम्नतम् दर महिलाओं के प्रति अपराधों से संबंधित एफ.आई.आर. की थी। तब से स्थिति मे कोई सुधार नहीं हुआ है वर्तमान समय में भी पुलिस कर्मी महिलाओं द्वारा लाए गए मामलों को दर्ज करने से आसानी से इंकार कर देते हैं।

अक्सर समाचार पत्रों में भी इस प्रकार की घटनाएं प्रकाश में आती रहती हैं, जहां पीड़िता को प्राथमिक स्तर, पुलिस थाने पर ही पीड़ित होना पड़ता है यथा— दैनिक हिन्दुस्तान समाचारपत्र में प्रकाशित एक समाचार में यह उल्लेख किया गया था कि मेरठ सदर बाजार थाना क्षेत्र में, बेगमपुल चौराहे पर नशीला पदार्थ खिलाकर एक महिला के साथ बलात्कार किया गया जब पीड़ित महिला थाना सदर में गई, तो वहां खड़े पुलिसकर्मी ने उसे भगा दिया। इस प्रकार का व्यवहार न केवल पीड़िता के अधिकारों के प्रति उपेक्षा को प्रस्तुत करता है वरन् पुलिसकर्मियों की महिला अधिकारों की रक्षा के प्रति प्रतिबद्धता, पर भी प्रश्न-चिन्ह लगाता है?

इस प्रकार की घटनाओं के प्रकाश में ही, हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय ने यह आदेश दिया है कि पुलिसकर्मियों के लिए यह अनिवार्य है कि वह शिकायतकर्ता द्वारा लगाए गए आरोपों के आधार पर "प्राथमिक सूचना रिपोर्ट" दर्ज करे, यदि ऐसा नहीं किया जाता है तो यह 'न्याय की भारी क्षति' होगी। न्यायमूर्ति एच.के.सीमा व पी.के बालसुब्रमण्यम की पीठ ने व्यवस्था देते हुए कहा है कि पुलिस एफ आई आर दर्ज करने के लिए बाध्य है। इस निर्णय से यह आशा की जा सकती है कि एक पीड़ित महिला 'प्रथम सूचना रिपोर्ट' दर्ज कराने में सफल रहेगी। लेकिन वास्तविक स्थिति पुलिस की वर्तमान मानसिकता के चलते निराशाजनक ही प्रतीत होती है। इसके साथ ही व्यवहार में महिला अभियुक्तों के प्रति पुलिस का रवैया प्रायः कानून के अनुरूप नहीं होता है/अभियुक्ता को न

केवल गिरे हुए चरित्र की संज्ञा दी जाती है अपितु हिरासत में उनके साथ अभद्र भी व्यवहार किया जाता है, इसके उदाहरण हमारे समक्ष आते रहते हैं इस संदर्भ में 'पुलिस थाने में मथुरा बलात्कार कांड एक ज्वलंत उदाहरण है। इस प्रकार के उदाहरण पुलिस प्रशासन के आचरण और कानून के क्रियान्वयन में कोताही को तो स्पष्ट करते ही हैं साथ ही पुलिस की महिला अधिकारों के प्रति प्रतिबद्धता पर भी प्रश्न चिन्ह लगाते हैं?

विभिन्न मामलों से यह भी स्पष्ट होता है कि ऐसा नहीं होता है। पुलिस प्रशासन द्वारा पीड़िता और साक्षी के प्रति या जांच प्रक्रिया के दौरान जो दृष्टिकोण अपनाया जाता है वह भी प्रायः नकारात्मक होता है। आए दिन विभिन्न समाचार पत्र, पत्रिकाओं और टी.वी. चैनलों द्वारा इस प्रकार के मामले हमारे सामने प्रस्तुत किए जाते रहते हैं। यथा—उत्तर प्रदेश के प्रमुख जिले मेरठ में घटी एक घटना को देखा जा सकता है जिसमें पूजा नाम की महिला को स्वयं उसके पिता द्वारा ही घर से बच्चों सहित बाहर निकाल दिया गया। पूजा के पिता सेवानिवृत्त सी.ओ. (मेरठ) थे। उनके प्रभाव के कारण पुलिस पूजा गौतम का सामान थाना नौचंदी में ले आई और उसे विवश किया गया कि सामान वापसी हेतु वह अपने पिता से समझौता करे। उपरोक्त मामला स्पष्ट करता है कि पुलिस प्रशासन घटना की निष्पक्ष जांच करने की अपेक्षा मामले को अपने अनुसार स्वरूप दे रहा था। जांच प्रक्रिया से संबंधित हेर-फेर के अन्य अनेक उदाहरण भी है, यहां तक कि इस विषय पर न्यायालय द्वारा भी कटु टिप्पणी की गई है। इस संदर्भ में हाल की में चर्चित 'प्रियदर्शिनी मट्टू कांड' उल्लेखनीय उदाहरण है :

जब यह मामला दिल्ली उच्च न्यायालय में पहुंचा तो स्वयं हाई कोर्ट के न्यायमूर्ति आर.एस.सोढ़ी ने यह टिप्पणी की, "प्रियदर्शिनी मट्टू के साथ छेड़खानी के मामले में पुलिस अगर उचित कार्रवाई करती तो आज वह जिंदा होती पुलिसवालों के कारण ही मट्टू की मौत हुई है। पुलिस की अनियमितता का मट्टू कांड एक मात्र उदाहरण नहीं है, 'जेसिका लाल हत्याकांड', 'शिवानी भटनागर हत्याकांड' आदि मामले भी प्रियदर्शिनी मट्टू कांड जैसी पुलिस प्रशासन की गैर जिम्मेदार कार्रवाई का ही परिणाम है। अभियोजन के दौरान पुलिस के अधिकांश गवाह अपने 'बयान' से मुकर जाते हैं। यह भी अनेक मामलों में देखने में आया है जहां 'गवाह' को विशेषकर स्त्री गवाह को पुलिस हतोत्साहित करती है और अभियुक्त बरी हो जाता है।

उपरोक्त मामले यह इंगित करते हैं, कि महिला पुलिस अन्तः क्रिया में सैद्धान्तिक व व्यावहारिक अंतर वर्तमान समय की एक कटु सत्यता है, साथ ही यह एक प्रमुख कारण भी है, कि महिलाओं के प्रति होने वाले अपराधों में दिन-प्रतिदिन वृद्धि हो रही है। इस स्थिति में परिवर्तन पुलिस कर्मियों की उस नकारात्मक मनोवृत्ति को परिवर्तित करके किया जा सकता है।

जो महिलाओं के उत्पीड़न के संबंध में विशिष्ट ढांचे में ढल चुकी है? इस संबंध में राष्ट्रीय महिला आयोग ने अपने एक शोध प्रकाशन में[9] पुलिसकर्मियों की महिलाओं के संबंध में मनोवृत्ति एवं धारणाओं के संबंध में निष्कर्ष व्यक्त किए हैं। 'महिलाओं के प्रति बढ़ती हिंसा' शीर्षक के अन्तर्गत महिला यौन उत्पीड़न के संबंध में पुलिसकर्मियों की दकियानूसी धारणाएं और पूर्वाग्रह क्या है और इस संबंध में पुलिस की आम प्रतिक्रिया क्या होती है, इसका विवरण निम्नवत् है।

यौन हिंसा/उत्पीड़न के बारे में पुलिसकर्मियों की कुछ दकियानूसी धारणाएं :

- बलात्कार का कृत्य पीड़िता—उत्प्रेरित होता है। उत्तेजक पहनावे और व्यवहार द्वारा अथवा अंधेरा होने के बाद बाहर जाने से या कम प्रकाश वाले अथवा एकांत स्थान पर जाने से, महिलाएं बलात्कार व यौन हिंसा को आमंत्रण देती है

- महिलाएं यदि प्रतिकार करें, तो बलात्कार नहीं किया जा सकता
- महिलाओं का स्थान घर है, यदि वे बाहर जाती हैं, तो मार्ग में आने वाली स्थिति को उन्हें सहना चाहिए
- कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न तथा छेड़छाड़ एक दिल्लगी है और महिलाएं इससे खुशी अनुभव करती है, तथा
- पुरुष कामेच्छा एक अनियंत्रणीय आवेग है। महिलाओं को इसे उकसाना नहीं चाहिए।

इन दकियानूसी धारणाओं और पूर्वाग्रहों का परिणाम पुलिसकर्मियों की निम्न प्रतिक्रिया के रूप में हमारे समक्ष आता है यथा :

पुलिस की आम प्रतिक्रिया

- महिलाओं की प्रारंभिक शिकायत पर विश्वास नहीं किया जाता है और किसी कार्रवाई के बारे में तभी सोचा जाता है जब इस तथ्य का निर्णय हो जाता है कि महिला उपयुक्त पुलिस प्रतिक्रिया की पात्र है
- पीड़िता को अपनी शिकायत पर जोर देने से निरुत्साहित किया जाता है
- उस पर दबाव डाला जाता है, कठोर ढंग से पूछताछ की जाती है और आक्रामक प्रश्न पूछे जाते हैं
- डाक्टरी परीक्षा में विलम्ब किया जाता है और यह अप्रिय तथा धमकी भरे माहौल में की जाती है, तथा
- पीड़िता को अपने वैध अधिकारों तथा उसे उपलब्ध समर्थन सेवाओं के बारे में जानकारी नहीं दी जाती है।

इस प्रतिक्रिया का ही यह परिणाम है कि अधिकांशतः महिलाओं के प्रति होने वाले अपराध प्रकाश में आ ही नहीं रहे हैं या फिर उन्हें उस स्वरूप में पुलिस प्रशासन द्वारा प्रकट नहीं किया जाता है जिस रूप में वे घटित होते हैं। इसके उदाहरण भी हमारे सम्मुख आते रहते हैं यथा- मद्रास में किए गए एक अध्ययन से यह पता चलता है कि अविवाहित युवा महिलाओं द्वारा कथित मौत के अनेक मामले वास्तव में बलात्कार के मामले थे जिनका अंत आत्महत्या के रूप में हुआ और यह तथ्य मामलों की पोस्टमार्ट जांच के दौरान प्रकाश में आया।

उपरोक्त तथ्य यह स्पष्ट करता है कि पुलिस प्रशासन महिला उत्पीड़न के संबंध में किस प्रकार से पूर्वाग्रह से ग्रसित है और इसी दृष्टिकोण का परिणाम अन्य अपराधों विशेषतः महिलाओं के प्रति की जा रही घरेलू हिंसा के संबंध में भी हमारे सामने आता है। जहां तक घरेलू हिंसा का प्रश्न है तो संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष की रिपोर्ट के अनुसार भारत में 15-49 वर्ष की 70 प्रतिशत महिलाएं घरेलू हिंसा की शिकार हैं 'नेशनल क्राइम रिकार्ड ब्यूरो' के अनुसार पति और रिश्तेदारों द्वारा महिलाओं पर हिंसा के मामलों में एक साल में 9.3 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2004 में घरेलू हिंसा के 55 हजार 439 मामले दर्ज हुए जिनकी संख्या वर्ष 2003 में 50 हजार 703 थी।[12] यह आंकड़े यह स्पष्ट करते हैं कि प्रशासन द्वारा पूर्व में महिलाओं के प्रति की जा रही घरेलू हिंसा को गंभीरता से नहीं लिया गया। यह भी कहा जा सकता है कि इस संदर्भ में पुलिसकर्मी उस विशिष्ट सोच से ग्रसित रहे जो पूर्वाग्रह पर आधारित थी। पूर्ण वर्णित शोध पुस्तिका में महिलाओं के प्रति घरेलू हिंसा के मामलों में प्रति पुलिसकर्मियों के दृष्टिकोण को निम्नवत् स्पष्ट किया गया है :

घरेलू हिंसा के विषय में दकियानूसी धारणाएं

- परिवार एक निजी स्थान है, जहां पुरुष के कुछ न्यायोचित अधिकार होते हैं,

- पति को अपनी पत्नी को अनुशासित करने का वैवाहिक अधिकार है
- महिलाएं तर्कहीन व झगड़ालू होती हैं और पुरुषों को उकसाती हैं
- केवल गरीब अशिक्षित और पियक्कड़ पुरुष ही अपनी पत्नियों पर हिंसा करते हैं, तथा
- जो महिलाएं मां और पत्नी की अपनी जानी मानी भूमिकाओं से विलग होती है वे अनुशासन लगाए जाने की भागी हैं।

और नई धारणाओं का परिणाम पुलिस निम्न प्रतिक्रिया के रूप में सामने आता है :

पुलिस की आम प्रतिक्रिया

- इन घटनाओं को सामान्य समझना
- घरेलू हिंसा का निरपराधीकरण और इसे वैध ठहराना
- हस्तक्षेप न करना और पीड़ित को सिविल अदालत में जाने की सलाह देना
- शांतिस्थापक तथा मध्यस्थ की भूमिका निभाना और अपराधी को मामूली अनौपचारिक धमकी देकर छोड़ना।

पुलिसकर्मियों की उपरोक्त मनोवृत्ति पुलिस प्रशासन की महिला अधिकारों उनके संरक्षण के प्रति उदासीनता को व्यक्त करती है जिसकी अपेक्षा एक ऐसे समाज में नहीं की जा सकती है जहां महिलाएं आज भी हाशिए पर हैं। इसी संदर्भ में जे.पी. अत्रे की पुस्तक 'क्राइम अंगेस्ट वीमेन' द्वितीयक आंकड़ों पर आधारित एक अध्ययन है। इस अध्ययन के निष्कर्ष के अनुसार, "पुलिसजन महिलाओं की समस्याओं के बारे में उदासीन है और उनके विरुद्ध गंभीर अपराधों जैसे हत्या, अपहरण, बलात्कार, अनैतिक शोषण में बहुत उत्साह पूर्वक महिला पक्षधर की भूमिका का निर्वाह नहीं करते हैं।" उपरोक्त तथ्य निःसंदेह यह सोचने को विवश करते हैं कि यदि पुलिस जैसी संस्था जो महिला अधिकारों के संरक्षण हेतु प्राथमिक रूप से उत्तरदायी है, इस प्रकार की मनोवृत्ति रखती है तो सामान्य जन से क्या अपेक्षा की जा सकती है? इस स्थिति को देखते हुए यह आवश्यक हैं कि न केवल प्रशासनिक वरन् सामाजिक व शैक्षिक स्तर पर प्रशासन में मानवीय संवेदनशीलता का समावेश किया जाए।

संदर्भ ग्रन्थ सूची

- भारतीय दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (दण्ड प्रक्रिया संहिता (संशोधन) अधिनियम, 2005 द्वारा यथा संशोधित
- हिन्दुस्तान, दैनिक समाचार पत्र, मेरठ प्रकाशन दिनांक—अक्टूबर 2006
- अमर उजाला, दैनिक समाचार पत्र, मेरठ संस्करण, 6 फरवरी 2007
- पुलिस अधिकारियों के लिए महिलाओं के प्रति संवेदीकरण का पाठ्यक्रम, राष्ट्रीय महिला आयोग, एस.वी.पी. राष्ट्रीय पुलिस अकादमी, हैदराबाद, 2002।
- जे.पी. अत्रे, 'क्राइम अंगेस्ट वीमेन, पुलिस
- दिलीप जाखड़ 'मानवाधिकार और पुलिस', यूनिवर्सिटी बुक हाऊस प्राइवेट लिमिटेड, 79, चौड़ा रास्ता जयपुर, वर्ष 1998
- समानता की और अपूर्ण कार्य, भारत में महिलाओं की स्थिति—2001, राष्ट्रीय महिला आयोग 2002 पृष्ठ 273

❑

महिलाओं के विरुद्ध कुप्रथाएं

डा. जयश्री एस. भट्ट

रिसर्च एसोसीऐट,
समाजकार्य एवं समाजशास्त्र विभाग,
डा. हरीसिंह गौर विश्वविद्यालय, सागर (म.प्र.)

जन्म चक्र की 84 लाख योनियों में इंसान को सर्वश्रेष्ठ प्राणी माना जाता है। इसलिए इंसान को पृथ्वी के समस्त प्राणियों एवं इंसान को इंसान के प्रति भी अहिंसा, सद्भावना, एकता एवं सहिष्णुता का दृष्टिकोण अपनाना चाहिए परंतु इस पृथ्वी पर ऐसा नहीं हो रहा बल्कि हम ज्यों-ज्यों मानव अधिकारों के प्रति सजग हो रहे हैं त्यों-त्यों महिला उत्पीड़न में वृद्धि हो रही है, जो महिला के अस्तित्व और उसकी अस्मिता पर आघात करती है तो दूसरी तरफ पुरुष की पाशविक मनोवृत्ति को याद दिलाती है चूंकि महिला उत्पीड़न के मूल में महिलाओं के विरुद्ध कई शोषित कुप्रथाएं हैं अतएव इस अध्याय में महिलाओं के प्रति कुप्रथाओं को परिभाषित कर वर्गीकरण किया गया है एवं उसके कारणों का विश्लेषणात्मक अध्ययन तथा इसके समाधान में संविधान तथा कानून की भूमिका का प्रस्तुतीकरण किया गया है।

प्रस्तावना

ब्राह्मण काल से धर्म के नाम पर महिलाओं की दुर्दशा शुरू हो गई एवं पुरुष वर्ग ही सर्वेसर्वा बन गया था। धर्मशास्त्र युग में धर्म के नाम पर महिलाओं के विरुद्ध सिद्धांतों और नियमों की रचना तथा सूत्रकारों-शास्त्रकारों के अपने विचार जो स्त्रियों को पुरुषों का गुलाम बनाने की ओर संकेत देते थे। मध्यकालीन युग में मुस्लिम शासकों का शासन रहा जिससे फिर से ब्राह्मणों ने धर्म के नाम पर महिलाओं के सतीत्व की रक्षा करने के लिए कठोर नियम और कानून बनाए जिससे बाल विवाह, सती प्रथा और विधवा विवाह निषेध जैसी कुप्रथाओं का प्रचलन बढ़ गया इस कारण समाज में कन्या को निम्न कोटी का मानकर दहेज प्रथा का प्रचलन बढ़ा वही बाल विधवाओं की संख्या बढ़ने लगी जिससे परिवार में कन्या बोझ मानी जाने लगी अतएव कन्या जन्म लेते ही उन्हें मौत के घाट उतार दिया जाता था, आज वैज्ञानिक युग में कन्या जन्म के पहले ही कन्या भ्रूण हत्या कर दी जाती है जिससे उसका अस्तित्व ही खतरे में पड़ने लगा है।

धर्म के नाम पर महिलाओं के लिए विभिन्न युगों में कठोर नियम और कानून बनाए गए जिसकी परिधि में रहकर ही उन्हें कार्य करने पड़ते थे। प्रथाएं चाहे धार्मिक, सामाजिक या आर्थिक हों समय एवं परिस्थिति के अनुसार सही-गलत साबित होती रहती हैं। ये प्रथाएं किसी जमाने में अर्थपूर्ण रही होंगी एवं किसी विशेष परिस्थिति में मजबूरीवश अपनाई गई होंगी परन्तु आज समय-परिस्थिति में वही प्रथाएं अर्थपूर्ण सिद्ध नहीं हो रही हैं इसलिए कुप्रथाओं में बदल गई अतएव समय-परिस्थिति के अनुसार सभ्य, शिक्षित एवं सम्पन्न समाज की कुप्रथाओं में परिवर्तन धीरे-धीरे हो रहा है परंतु जो समाज आर्थिक-सामाजिक रूप से वंचित, अशिक्षित, अंधविश्वासी, स्वार्थी, अडियल, समय की धारा के साथ न चलने वाले हों वहां सत्ताधारी एवं स्वार्थपूर्ण विचारधारा में कुप्रथाओं का रूप और वीभत्स होकर सामने आ रहा है समाज की इन्हीं कुछ कुप्रथाओं के कारण देश का विकास अवरुद्ध हो रहा है और आज भूमण्डलीकरण के दौर में हम बाहरी देशों का सामना नहीं कर पा रहे हैं। प्रथाएं हमारे पूर्वजों ने समाज को नियन्त्रण में रखने के लिए बनाई थी। परंतु जहां-जहां यह नियन्त्रण एक पक्षीय व स्वार्थी हो जाता है वहां किसी एक शोषित वर्ग का उत्पीड़न स्वाभाविक है। नियंत्रण करने वाला शासक वर्ग सत्ता का सीमा से बाहर दुरुपयोग

करने लगता है तो संघर्ष की प्रक्रिया स्वमेव शुरू हो जाती है और आज वह स्थिति आ गई है कि सत्ता के लिए संघर्ष स्वाभाविक प्रक्रिया हो गई है हम चाहकर भी इसे न समाप्त कर सकते हैं, न ही समान बटवारा कर सकते हैं। परन्तु यहां हम समानता की बात नहीं कर रहे हैं, न ही समान अधिकारों, की न ही मातृसत्तात्मक समाज बनाने की बात कर रहे हैं, बल्कि जिसकी सत्ता (पितृसत्ता) चल रही है वही कायम रहें परन्तु उनकी सत्ता में बड़प्पन, न्याय, दयाभाव एवं समय-परिस्थिति के अनुसार निःस्वार्थ भाव से अनैतिक प्रथाओं को नैतिक प्रथाओं में परिवर्तन करने का लचीलेपन की क्षमता हो क्योंकि जब तक शोषित व्यक्ति अन्याय या शोषण होने वाली कुप्रथाओं को नियति एवं वैद्य मानकर सहता रहेगा तब तक समाज में शांति एवं स्थिरता बनी रहेगी परन्तु आज जब वह नियति नहीं बल्कि मजबूरी मानकर सहन कर रही हैं एवं अवैध घोषित कर रही हैं तो संघर्ष उत्पन्न होना स्वाभाविक है। संघर्ष समाज की व्यवस्था के लिए हानिकार होते हुए भी सुरक्षा-कवच का काम करता है अतएव वर्तमान सामाजिक व्यवस्था में इसकी आवश्यकता है जबकि हम मानते हैं कि आज की महिलाओं से कुछ पीढ़ी पहले की महिलाएं ज्यादा पीड़ित हो क्योंकि पहले महिलाएं न दिखती थी न उनकी पीड़ा महसूस होती थी क्योंकि पीड़ा भोगने में उन्हें बड़प्पन का अहसास दिलाया जाता था। पतिव्रता एवं सती की उपाधि दी जाती थी बेशक आज भी महिलाएं ऊपर-ऊपर से सिर्फ कुछ शहरी औरतों की छोटी सी आबादी स्वतंत्रता महसूस करने लगी है परन्तु प्रथाओं ने उनके ऊपर जो जिम्मेदारियों (घर-गृहस्थी) सौंपी थी आज भी उनके हिस्से में जस की तस बनी हुई है बल्कि शिक्षा ग्रहण की है तो नौकरी एवं गृहस्थी के बाहरी काम के साथ-साथ वैज्ञानिक अविष्कारों ने भी उसकी कोख को निशाना बनाया, तो व्यवसाय ने विज्ञापन के जरिए उसकी शुचिता पर कुठाराघात किया। इस तरह दोहरी-तीहरी जिम्मेदारियों के कारण असंतुलन पैदा हो रहा है न तो घर-गृहस्थी ठीक से सम्भाल पाती है न नौकरी ठीक से कर पा रही हैं कहीं न कहीं उसकी तरफ से कमी हो ही जाती है उस कमी की भरपाई भी आर्थिक, मानसिक एवं शारीरिक शोषण के रूप में उसे भोगना पड़ता है इस तरह व्यंगात्मक ताने-उपेक्षा एवं प्रताड़ना की शिकार हो रही हैं फिर भी हर क्षेत्र में अपनी-अपनी क्षमता के हिसाब से लड़ाई लड़ रही हैं पहले सिर्फ घर में प्रताड़ित थी अब बाहर भी। किसी तरह मन में आजादी का भ्रम पाले हुए है क्योंकि आज भी औरत से सीता होने की उपेक्षा की जाती है। सीता ने सिर्फ एक बार अग्नि परीक्षा दी थी पर अब पग-पग पर अग्नि परीक्षा देनी पड़ रही है इस तरह कुप्रथाओं के जरिए उन पर एक तरफा नियंत्रण की कट्टरता क्या देश की आधी आबादी को मजबूत करेगा?

परिभाषा एवं वर्गीकरण

समाजशास्त्रीय दृष्टि से पूर्वजों द्वारा निर्धारित रीतिरिवाजों का अनुकरण प्रथा है और परम्परा इनकी निरन्तरता का बोधक है। प्रथा को इस तरह से भी परिभाषित किया है कि जब कोई व्यक्ति किसी कार्य को बार-बार करता है वह उसकी आदत बन जाती है यही आदत जब समस्त जनता की आदत के रूप में परिणत हो जाती है तो उसे जनरीति कहा जाता है यही जनरीतियां जब अधिक स्थायित्व प्राप्त कर लेती है अर्थात् इन्हें सामाजिक मान्यता प्राप्त हो जाती है तो वह प्रथाओं का रूप धारण कर लेती है इसलिए प्रथाएं जनरीतियों की तुलना में अधिक स्थायी और शक्तिशाली भी होती हैं इसी अभौतिक पदार्थों जैसे आदत, जनरीति, प्रथा, धर्म आदि के योग को परम्परा कहते हैं एवं इन्हीं अभौतिक पदार्थों के चारों ओर अनेक नियमों कानूनों, कार्य-विधियों की संरचना का निर्माण हो जाता है जिसे संस्था के नाम से पुकारा जाता है[2] प्रो. बोगार्डस ने प्रथाओं की परिभाषा को कुछ इस प्रकार से लिखा है कि प्रथाएं और

परम्पराएं समूह द्वारा स्वीकृत नियन्त्रण की वह पद्धतियां हैं जो सुव्यवस्थित हो जाती हैं और जिन्हें बिना सोचे-विचारे मान्यता प्रदान कर दी जाती है और जो पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तान्तरित होती रहती है[3] रीति-रिवाज प्रथाओं के महान प्रभाव के ऊपर साहित्य में बार-बार जोर दिया गया है जैसे शेक्सपियर ने क्रूर रिवाज की बात कही है माल्टेन ने गुस्सेबाज और दगाबाज स्कूल मास्टरनी कहा है, बेकन के अनुसार आदमी के जीवन की वह प्रधान न्यायाधीश है, मनोवैज्ञानिक दृष्टि से इसकी शक्ति को प्रायः आदत और निर्देश की शक्ति माना जाता है।[4] लेखिका ने कुप्रथा को परिभाषित करते हुए लिखा है कि जिस प्रथा से किसी भी व्यक्ति का शारीरिक एवं मानसिक उत्पीड़न होता हो ऐसी प्रथा को कुप्रथा कहेंगे। जिस कुप्रथा से विशेष वर्ग प्रभावित होता हो जैसे महिला वर्ग तो वह महिलाओं के विरुद्ध कुप्रथाएं कहलाएंगी। महिलाओं के विरुद्ध कुप्रथाओं को लेखिका ने पांच भागों में वर्णित कर अध्ययन किया हैः

महिलाओं के विरुद्ध कुप्रथाएँ

1. सामाजिक कुप्रथाएं	2. धार्मिक कुप्रथाएं	3. आर्थिक कुप्रथाएं	4. अंग-भंग कुप्रथाएं	5. अंधविश्वासी कुप्रथाएं
(बाल विवाह प्रथा, सती प्रथा, पर्दा प्रथा, डायन प्रथा, सिर ढकने की प्रथा, मुस्लिम महिलाओं के विरुद्ध प्रथाएं, नीलामी एवं दधीचा प्रथा, हाथों में थूककर बेटी की विदाई प्रथा)	(कन्यादान प्रथा, देवदासी या जोगनिया प्रथा, कुमारी देवी प्रथा, वेंकटासनी प्रथा, महिलाओं व्रत, उपवास की प्रथा, रजोस्राव की प्रथा अंत्येष्टि की प्रथा)	(दहेज प्रथा)	(सुन्नत प्रथा, कुकड़ी की प्रथा)	(विधवा विवाह निषेध प्रथा, इन्द्र देवता को रिझाने की प्रथा, बच्चों को जिन्दा दफनाने की प्रथा, सेहरिया आदिवासी प्रथा, गोदना गुदवाने की प्रथा)

सामाजिक कुप्रथाएं

मध्यकालीन युग में मुस्लिम शासकों से महिलाओं के सतीत्व की रक्षा हेतु हिन्दू समाज में पर्दा प्रथा, सती प्रथा एवं बालविवाह प्रथाएं जो अर्थपूर्ण थी जिन्हें मजबूरीवश अपनाया गया था आज वही प्रथाएं अर्थपूर्ण नहीं रहीं फिर भी कई क्षेत्रों में आज भी यह प्रथा समाज में मान्य है, समय एवं परिस्थिति के अनुसार न बदल पाने के कारण यही प्रथा समाजिक कुप्रथाओं में परिवर्तित हो गई।

धार्मिक कुप्रथाएं

धर्म की परिभाषा देते हुए डा. सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी ने लिखा है कि 'धर्म विश्वास की वह शक्ति है जो आन्तरिक भागों को स्वच्छ करती है इसी कारण सच्चाई ही प्राथमिक धार्मिक सद्‌गुण है। धर्म मनुष्य के अर्न्तजीवन की कला एवं उत्पत्ति है' अतएव हर धार्मिक क्रियाओं को पुरुष एवं स्त्री दोनों समान रूप से कर सकते हैं मन में बस श्रद्धा होनी चाहिए, चाहे वह माता-पिता का श्राद्ध ही क्यों न हो परंतु हमारे भारतीय समाज में धार्मिक क्रियाओं को करने हेतु स्त्री-पुरुष के लिए अलग-अलग नियम तो बनाए ही गए हैं। साथ ही साथ धार्मिक प्रथाओं की आड़ लेकर महिलाओं का शोषण भी किया जा रहा है ऐसी धार्मिक प्रथाएं जिसमें व्यक्ति विशेष का मानसिक, शारीरिक एवं यौन शोषण तक होता हो वो प्रथाएं धार्मिक कुप्रथाओं में बदल जाती हैं।

आर्थिक कुप्रथाएं

आर्थिक प्रथाएं आर्थिक नीतियों पर आधारित होती हैं। प्राचीन समय में कन्या के विवाह के समय कन्या का पिता अपनी सार्मथ्य के अनुसार खुशी-खुशी धन देता था जो कन्याधन कहलाता था। आज कन्या का पिता अच्छा वर पाने हेतु वर की मांग के अनुसार मजबूरीवश धन देता है जो दहेज कहलाता है। पहले इसका स्वरूप पाक-साफ था आज दहेज प्रताड़ना, दहेज मृत्यु के रूप में इसका वीभत्स रूप सामने आ रहा है इसलिए इसे आर्थिक कुप्रथा में रखा गया है क्योंकि वर पक्ष वधू को मानसिक एवं शारीरिक प्रताड़ना देकर वधु पक्ष से आर्थिक शोषण करते हैं।

अंग-भंग कुप्रथाएं

ऐसी प्रथा जिसमें महिलाओं के कौमार्य की पवित्रता को सिद्ध करने एवं कामवासना के दमन के लिए महिलाओं के विशेष अंग के हिस्से को अलग करना या चीरा लगाना जिससे महिला को घाव, संक्रमण, खून का बहाव एवं इससे मृत्यु भी होने की संभावना हो सकती है ऐसी प्रथाओं को अंग-भंग कुप्रथाओं में रखा गया है।

अंधविश्वासी कुप्रथाएं

ऐसी कुप्रथाएं जिसमें असुरक्षित, कमजोर एवं भयभीत व्यक्ति पूर्वजों एवं देवताओं के कोप के डर से प्रथाओं के नवीनीकरण से भय खाता है इसलिए जो हमेशा किया जाता है उसमें सुरक्षित महसूस करता है अतएव स्वयं से असंतुष्ट व्यक्ति ही ज्यादा अंधविश्वासी होते हैं और जिस समाज में भी अंधविश्वासी व्यक्तियों की संख्या ज्यादा है वहां आज भी कुछ अंधविश्वासी कुप्रथाएं पनप रही है।

कुप्रथाओं के विरुद्ध सरकारी एवं गैरसरकारी प्रयास

19वी शताब्दी के उत्तरार्द्ध और 20वी शताब्दी की पूर्वार्द्ध में समाज में धर्म के नाम पर महिलाओं के साथ होने वाली अन्याय कुप्रथाओं, रीति-रिवाजों, परम्पराओं, आडम्बर, अंधविश्वासों जैसी समाज को खोखला करने वाली कुरीतियों के विरुद्ध जब विभिन्न समाज सुधारकों ने आवाज उठाई उदाहरण स्वरूप राजा राम मोहन राय ने हिन्दू धर्म में प्रचलित बहुपत्नी विवाह, बाल विवाह की कटु आलोचना की तथा हिन्दू धर्म ग्रन्थों का अध्ययन कर यह प्रमाणित किया कि सती प्रथा धर्म संगत नहीं है सती प्रथा को समाप्त करने के लिए सरकार से मांग की, स्वामी दयानन्द सरस्वती ने पुराणों पर आधारित कर्मकाण्डों छुआ-छूत, रूढ़िवादिता, मूर्ती पूजा का विरोध किया और विधवा विवाह को उचित ठहराया। इ.वी. रामास्वामी नायकर ने ईश्वर और धर्म का विरोध करते हुए द्रविड़ कड़गम की नींव डाली। महात्मा ज्योतिबा फुले ने जात-पात के विरुद्ध मुहिम चलाई, स्त्री-शिक्षा पर जोर दिया। स्वामी विवेकानन्द ने भी रूढ़िवादिता का विरोध किया और पुरोहित धर्म की कटु शब्दों में निन्दा की, उन्होंने परम्परावादी ब्राम्हणों के पुरातन व अधिकारवाद के सिद्धान्त का खण्डन किया, क्योंकि ये सिद्धान्त शूद्रों और देश की बहुसंख्यक जनता व स्त्रियों को वेद पढ़ने से रोकते हैं तथा उनका कहना था कि सभी मनुष्य समान हैं और सभी को आध्यात्मिक अनुभूति का परमज्ञान का अधिकार है। महिला समाज सुधारक ऐनीबिसेन्ट ने भी हिन्दू धर्म में प्रचलित सामाजिक प्रथाओं और रीतिरिवाजों में सुधार करने के लिए कार्य किए। उन्होंने विमेन्स इण्डियन एसोसिऐशन की स्थापना की तथा उनके प्रयासों से ही सारे देश में महिला आन्दोलन फैल गया। महान समाज सुधारक डा. भीमराव अम्बेडकर ने धर्म के नाम पर ठगने वालों के विरुद्ध आवाज उठाई। उन्होंने भारतीय

समाज में व्याप्त धर्मों व भारतीय समाज का गहराई से अध्ययन कर मनुस्मृति की मान्यताओं पर आधारित देश के नागरिकों के साथ भेदभाव की व्यवस्था करने वाले इस ग्रंथ का सार्वजनिक दहन किया था। उन्होंने समाज में महिलाओं को बराबरी का दर्जा दिलाने के लिए हिन्दू कोड बिल बनाया जिसमें हिन्दू विवाह संबंधी अधिनियम दत्तक पुत्र लेने की मान्यता, सम्पत्ति में अधिकार तथा उत्तराधिकारी नियुक्त करने संबंधी नियम और कानून थे। यह कोड बिल महिलाओं के उत्थान की दिशा में मील का पत्थर था जिसने हिन्दू धर्म के ठेकेदारों, कट्टरपंथियों व परम्परावादी, स्वार्थी लोगों पर एक जबर्दस्त प्रहार किया। परन्तु इन्हीं स्वार्थी लोगों के विरोध में बाबा साहेब ने महिलाओं के हितों को ध्यान में रखते हुए संविधान में महिलाओं को पुरुषों के बराबर अधिकार प्रदान किए। 1927 में हरविलास शारदा ने बाल-विवाह रोकने का बिल रखा था जो 1929 में पास हुआ था 1930 से अस्तित्व में आया। भूपेन बसू ने 1911 में लेजिस्लेटिव असेम्बली में "स्पेशल मैरिज बिल" रखा था। 1918 में विट्ठल भाई पटेल ने एक बिल अन्तर-जातीय विवाह से संबंधित रखा था जो उसकी मान्यता देता था। डा. हरीसिंह गौर का सिविल मैरिज बिल भी 1923 में जाकर अनेक संशोधनों के पश्चात ही पास हो पाया था। 1921 में लेजिस्लेटिव असेम्बली में कुछ वर्गों की स्त्रियों के लिए उत्तराधिकार संबंधी अधिकार बिल रखा गया जो 1929 में कहीं जाकर पास हुआ। 1937 में भारतीय व्यवस्थापिका ने सम्पत्ति में महिलाओं के अधिकार का बिल पास किया जिसमें हिन्दू विधवा को अपने सम्पत्ति में अधिकार का समायोजन था। वह सम्पत्ति के बटवारें की मांग भी कर सकती थी। बड़ोदा सरकार ने 1931 में ही तलाक को वैधानिक मान्तया प्रदान कर दी थी इसी प्रकार समाज सुधारकों ने देवदासी प्रथा दहेज प्रथा को समाप्त करने के लिए आंदोलन चलाए एवं पुनर्विवाह को लोकप्रिय बनाने का प्रयास किया गया। देश का लगभग हर बड़े शहर में विधवा आश्रम खोले गए। प्रोफेसर डी.के. कार्वे ने महिलाओं की उन्नति के लिए 1916 में महिलाओं का विश्वविद्यालय खोला गया। 1917 में महात्मा गांधी ने पर्दा प्रथा के विरुद्ध आवाज उठाई। उन्हीं के प्रयासों से 1927 में बिहार में महिला सम्मेलन हुआ तथा पर्दा विरोधी आंदोलन चलाया गया। 1930 को महात्मा गांधी ने महिलाओं से अपील की कि वे उनके आंदोलन में शरीक हों। उनके सविनय अवज्ञा आंदोलन में महिलाएं आगे आई और अकेले दिल्ली में ही करीब 1600 महिलाएं जेल गई। 1926 में वोट का अधिकार प्राप्त हुआ। धीरे-धीरे अधिकार का विस्तार बढ़ता गया। समाज सुधारकों के प्रयासों से ही स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद महिलाओं को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक रूप से विकास के समान अवसर प्रदान करने के लिए संविधान में कुछ विशेष व्यवस्थाएं की गई है। संविधान के अनुच्छेद 23-24 में भारतीय संविधान द्वारा नारी क्रय-विक्रय तथा बेगार प्रथा पर रोक लगाया गया है। संविधान के ही अन्तर्गत महिलाओं को सुरक्षात्मक प्रावधान करने के लिए विशेष अधिनियमों की व्यवस्था भी की गई है।[5]

अधिनियमों का विवरण	**उद्देश्य**
बाल विवाह, निषेध अधिनियम, 1976	संविधान द्वारा कम उम्र की बालिकाओं (बालकों) के विवाह पर प्रतिबन्ध।
दहेज निषेध अधिनियम 1986	विवाह में दहेज के लेन-देन पर प्रतिबन्ध की व्यवस्था।
सती निषेध अधिनियम, 1987	महिलाओं को उनके पति की मृत्यु के बाद जिन्दा जलाए जाने पर या सती होने पर प्रतिबन्ध
प्रसव पूर्व निदान तकनीक अधिनियम, 1994	गर्भावस्था में बालिका भ्रूण की पहचान करने पर रोक लगाने की व्यवस्था।

भारतीय दण्ड संहिता में धारा 494 व 495 के अंतर्गत एक पत्नी के होते हुए दूसरा विवाह करना अपराध है इसी प्रकार की धारा 125 में अकारण त्यागी महिला को पति से भरण पोषण दिलाए जाने की कार्रवाई कर सकती थी।[6]

कानून विशेषज्ञों की कोशिशों से लम्बे इंतजार के बाद 2005 में घरेलू हिंसा निरोधक कानून पारित किया गया है इस कानून के अंतर्गत पत्नी ही नहीं बल्कि परिवार की कोई भी उत्पीड़ित महिला इसके दायरे में आती है।

महिलाओं के प्रति भेदभाव दूर करने के लिए बनी संयुक्त राष्ट्र की कमेटी सीडो (CEDAW) का नामांकन हुआ। जुलाई 1993 में 126 देशों ने इसके लिए समर्थन और विश्वास प्रगट किया। इस प्रकार कई सरकारी एवं गैर सरकारी प्रयासों के बाद भी इन कुप्रथाओं को हम जड़ से समाप्त नहीं कर पा रहे हैं इसके पीछे कई कारण हो सकते हैं।

कुप्रथाओं के कारण

सामाजिक बोधहीनता

पुरुष से महिला के हीन होने की एक सामान्य सोच सार्वकालिक थी। आज भी महिला के प्रति इस नकारात्मक भावना को बचपन से अन्तर्मन में बैठा दी जाती है उसे वह सामान्यतः निकाल नहीं पाती क्योंकि सामाजिक रूप से पितृ सत्तात्मक समाज में महिला का पुरुष से दबना सहज माना जाता है, महिला से दबने वाले पुरुष को औरत का गुलाम कहकर उसकी हीनता बताई जाती है इसी मानसिकता के सहारे पुरुषवादी समाज कुप्रथाओं के जरिए स्त्रियों का दमन करता है और उन्हें मूल अधिकारों से वंचित किया जाता है। इसलिए महिलाओं के विरुद्ध अन्यायपूर्ण कुप्रथाओं का उत्तरदायी मुख्य रूप से सामाजिक बोध हीनता ही है।

साहसी लोगों का अभाव

डा. जनार्दन उपाध्याय ने अपनी किताब "विकास से सांस्कृतिक अवरोध में" लिखा है कि भाग्यवदिता का मूल सिद्धान्त है जो लिखा है वह होगा हम प्रयास क्यों करें। इससे समाज में अकर्मणता फैलती है व्यक्ति अपने वर्तमान से ही संतुष्ट रहता है चाहे वह शोषित ही क्यों न हो भाग्य के सहारे रहा आता है।[7] आज की युवा पीढ़ी भी गलत का विरोध नहीं कर पाती क्योंकि समय और साहस दोनों के अभाव ने इन्सान को स्वार्थी बना दिया है।

वोट की राजनीति

महिलाओं के विरुद्ध कुप्रथाओं को रोकने के लिए कुछ समाज सुधारकों राजा राम मोहन राय, महात्मा गांधी एवं ईश्वर चन्द्र विद्यासागर आदि ने निःस्वार्थ होकर सरकार पर दबाव डाला था। लेकिन अब राजनीतिक दल के नेता लोग चुनाव के समय उस काम को करवाने के लिए दबाव डालते हैं जिस काम को करने के लिए सामाजिक मान्यता प्राप्त है, वे ऐसा काम नहीं करते जिससे नाराज होकर विशेष वर्ग उनके वोट को कम करें इसलिए वोट की राजनीति के तहत कोई भी सरकार धार्मिक कानूनों की आड़ में प्रथाओं के नाम पर महिलाओं के विरुद्ध हो रहे अत्याचारों को समाप्त करने के लिए प्रभावी एवं कारगर उपाय नहीं कर पाती।

शासक वर्ग की एक पक्षीयता

जर्मन दार्शनिक निची के अनुसार प्रभुत्व की इच्छा के आधार पर समाज में सामान्यतः दो प्रकार के व्यक्ति होते हैं एक जिनमें प्रभुत्व की इच्छा अधिक पाई जाती है अर्थात शासक वर्ग और दूसरी तरफ बहुसंख्यक लोग जिनमें प्रभुत्व की इच्छा कम पाई जाती है वे शोषित एवं शासित होते हैं। अधिक प्रभुत्व की इच्छा वाले व्यक्तियों का नैतिक मूल्य यह कहता है कि समाज के कमजोर वर्ग

को इतना रौंद दिया जाना चाहिए कि वह सत्ता में कभी न आ सके। वे अपने अभिजात वर्ग की स्थिति से कभी नीचे उतरने को तैयार नहीं होते हैं इसे हर हाल में बचाए रखने की कोशिश करते हैं[8] इसलिए शासक वर्ग (पुरुष वर्ग) निर्णय लेते हैं एवं महिलाओं के विरुद्ध कुप्रथाओं का विरोध करने की जगह उन्हें और बढ़ावा देते हैं जैसे बाल-विवाह, दहेज प्रथा आदि दूसरी तरफ कम प्रभुत्व की इच्छा वाले व्यक्ति दासता की भावना से ग्रसित होते हैं वे आसानी से अपना जीवन दूसरों के लिए बलिदान करने को भी तैयार रहते हैं और यही वजह है कि महिलाएं दबी रहती हैं एवं कुप्रथाओं के जरिए उन्हें ऊपर उठने भी नहीं दिया जाता।

अशिक्षा

निरक्षरता के ही कारण महिलाएं भेदभाव, शोषण और उपेक्षा के दलदल में धसती रहीं और पुरुष प्रधान समाज ने कभी उसे बाहर निकालने का प्रयास नहीं किया आज भी साक्षर ही नहीं बल्कि उच्च शिक्षित महिलाएं भी अपने मौलिक एवं मानवाधिकारों के बारे में अनजान है।

कानून की निष्क्रियता

कुप्रथाओं को रोकने के लिए संविधान कानून दोनों में व्यवस्था की गई है परन्तु पुरातनपंथी समाज जिसमें लोग प्राचीन मान्यताएं, रूढ़िगत धार्मिक धारणाएं, पुरातन मनुस्मृति द्वारा निर्मित परम्पराओं की बातों को कानून से ऊपर मानते हैं। इसलिए खुलेआम राजनेता स्वयं सती-प्रथा को महिमा मंडित करके, बाल-विवाह को परम्पराजन्य कहकर प्रोत्साहन देकर कुप्रथाओं को परिश्रय दे रहे हैं। बेस्टरमार्क कहते हैं कि स्वयं कानूनों का पालन भी प्रायः इसलिए अधिक होता है कि वे रिवाज-प्रथा होते हैं न कि इसलिए कि वे कानून होते हैं प्रायः कानून के मुकाबले में रिवाजों प्रथाओं की जीत होती है। इन्हीं सब कारणों से महिलाओं के विरुद्ध हो रही कुप्रथाओं की जमीनी हकीकत को न समझ पाने एवं समाजिक समर्थन के अभाव में संविधान और कानून दोनों हाथ पर हाथ धरे बैठे हैं।[9]

अज्ञात का भय

मॉरिस गिब्सबर्ग ने अपनी किताब "समाज का मनोविज्ञान" में लिखा है कि आदिम काल के मनुष्य की एक जबर्दस्त विशेषता निश्चित ही उसका अज्ञात का भय है। वह हमेशा डरता रहता है कि कहीं उसके किसी काम से देवताओं का कोप उस पर न पड़ जाए। रीति-रिवाज एवं प्रथा की बात है जो हमेशा किया जाता रहा है उसमें सुरक्षा होती है इसलिए रिवाज-प्रथा के प्रति श्रद्धा होती है और नवीनता से भय होता है। इसलिए आदिम युग का आदमी अपने रिवाजों पर पवित्रता का रंग चढ़ाता है और उनको तोड़ने वालों को कठोर दंड देता है। जब रीति रिवाजों-प्रथाओं को मनवाने के लिए उसको ईश्वर बताने का फल नहीं होता तब लोग दूसरे भय दिखाते है। एन्ड्रयू लैंग (Andrew Lang) ने इस बात की ओर इशारा किया है कि मुख्य रिवाजों के स्पष्टीकरण के लिए प्रायः दन्त कथाएं ईजाद कर ली जाती हैं।[10] मुखर्जी एवं अग्रवाल ने लिखा है कि सम्भवतः इसके पीछे एक मनोवैज्ञानिक रहस्य छिपा हुआ है और वह यह है कि व्यक्ति यह सोचते हैं कि उनके पूर्वजों ने उन विशेष व्यवहारों (प्रथाओं) को किसी लाभ की भावना से ही किया होगा। अतः यदि उन व्यवहारों को न माना जाए तो अहित भी हो सकता है[11] साथ ही पूर्वजों का अपमान भी इन्हीं अज्ञात भय के कारण वे प्रथाओं के बीच कानून आने पर सामुहिक विरोध कर मरने मिटने तक को तैयार हो जाते हैं।

निष्कर्ष

निको पारेटो, स्पेंगलर, सोरोकिन एवं टाइनबी ने

प्राचीन सभ्यता एवं संस्कृति के अध्ययनों के आधार पर स्पष्ट किया है कि "समाज में परिवर्तन का क्रय सदा चक्रीय होता है हर सभ्यता का जन्म होता है वह विकसित होती है अपनी चरम सीमा पर पहुंचती हुई या तो समाप्त हो जाती है या फिर सामाजिक परिवर्तन जहां से प्रारम्भ हुआ था अंत में वहीं पहुंचकर समाप्त होती है।"[12] पहले आध्यात्मवाद (त्याग) की ओर बढ़ रहे थे। अब भौतिकवाद (भोग-संचय) की ओर बढ़ रहे हैं। आज संक्रमण अर्थात संघर्ष की स्थिति चल रही है क्योंकि मनुष्य अपने आप को जीवित रखने एवं तरक्की के लिए नई प्रौद्योगिकी को अपना रहा है और इसी संघर्षमय प्रक्रिया में जो छठे दशक तक समाज सुधारकों के कुप्रथाओं का विरोध कर स्वस्थ समाज का निर्माण किया था वहीं कुप्रथाएं फिर से पनपने लगी और विकृत रूप में सामने आ रही हैं इस स्थिति को चरम सीमा पर पहुंच के समाप्त होने की जगह इसे चक्रीय सिद्धान्त की तरह आध्यात्मवाद की तरफ ले जाने का समय आ गया है अतएव सरकारी एवं गैरसरकारी संस्थाओं को समूचे देश में क्षेत्रवार कुप्रथाओं के अलग-अलग रूप की सूचना एकत्र करके व्यापक सर्वेक्षण कर गहन शोध कार्य करना होगा जिससे कुप्रथाओं के अन्दरूनी कारणों को जानकर तर्कों के आधार पर खंडन कर आवश्यकतानुसार कठोर धाराएं लगानी होगी एवं न्याय सामाजिक सुरक्षा की गारंटी के साथ समय सीमा के अन्दर मिल सके ऐसा सुनिश्चित करना होगा।

आज ऊपरी तौर से महिलाएं कितनी भी आधुनिक क्यों न हो रही हो लेकिन घर और बाहर समझौते का रास्ता उसे ही अख्तियार करना पड़ता है क्योंकि वेदों और धर्मशास्त्रों में कहीं बातें बचपन से महिलाओं के दिलों-दिमाग में बैठा दी गई हैं कि वे इसके आगे अपनी सोचने-समझने की शक्ति को सृजनात्मक रूप नहीं दे पा रही। इस तरह वर्षों पुराने समाज में सदियों से व्याप्त कुप्रथाएं एक ही दिन में खत्म नहीं होगी। डा. सर्वेपल्लि राधाकृष्णन ने भी लिखा है कि "हमारे अन्दर जो जड़ता और बुराई है उसके विरुद्ध संघर्ष हमें जारी रखना चाहिए। हमारे समस्त शत्रु हमारे अन्दर ही है जो वृत्तियां हमें चरित्र भ्रष्टता के लिए बहकाती है जो आग हमारे अन्दर जलती है वह सब अज्ञान एवं त्रुटि के उस अन्तः क्षेत्र से ही उठती है। जिसमें हम रहते हैं मानव की महिमा इस बात में नहीं है कि वह कभी गिरे नहीं बल्कि इस बात में है कि हर बार वह गिरने पर उठ खड़ा हो।"[13] अतएव यह आवश्यक है कि जब परिवार एवं बाहर की महिलाएं आपस में विश्वास रखते हुए एक दूसरे का सहारा बनकर स्वयं के अधिकारों एवं कानूनी ज्ञान संबंधी सूचनाओं तक अपनी पहुंच बनाकर पुरुष की अहं भाव एवं अपनी शोषित करने वाली हीन भाव को पैदा करने वाली कुप्रथाओं को स्वयं अंत करें।

❑

पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो
गृह मंत्रालय
पं. गोविन्द वल्लभ पंत पुरस्कार योजना

पुलिस, कारागार एवं न्यायालयिक विज्ञान से संबंधित विषयों पर हिन्दी में पुस्तक लेखन के लिए रचनाएं आमंत्रित की जाती हैं। मूल प्रकाशित पुस्तकों पर 5 पुरस्कार 30,000/- रु. प्रति पुरस्कार (एक पुरस्कार महिलाओं के लिए आरक्षित है), दो पुरस्कार अनूदित मुद्रित पुस्तकों के लिए 14,000/- रु. प्रति पुरस्कार (एक पुरस्कार महिलाओं के लिए आरक्षित है)। योजना के भाग दो में 40,000/- रु. के दो पुरस्कार हैं। जिसके लिए निर्धारित विषयों पर रूपरेखाएं आमंत्रित की जाती हैं। जिसमें सामान्य वर्ग के लिए **दिए गए विषय पर आवेदक उस विषय पर लिखने वाली पुस्तक में क्या-क्या सामग्री व अध्यायों आदि का उल्लेख करते हुए 5-6 पृष्ठ की एक रूपरेखा को प्रस्तुत करना होगा** तथा महिलाओं के लिए आरक्षित विषय में भी उपरोक्त प्रक्रिया अपनाई जाएगी। रचनाएं/रूपरेखाएं भेजने की अंतिम तिथि सामान्यतः 30 सितंबर होती है। विस्तृत जानकारी के लिए कृपया संपादक (हिंदी), पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो (गृह मंत्रालय), ब्लाक सं. 11, 3/4 मंजिल, सी.जी.ओ. कंप्लैक्स, लोदी रोड, नई दिल्ली-110003 से संपर्क करें।

(दूरभाष : 011-24362418, 24360371 एक्स-253 तथा फैक्स : 011-24362425)

अपराध विज्ञान तथा पुलिस विज्ञान में डाक्टरेट कार्य हेतु अध्येतावृति योजना

पुलिस विज्ञान तथा अपराध विज्ञान में डाक्टरेट कार्य हेतु ब्यूरो द्वारा 6 अध्येतावृतियों के लिए भारतीय नागरिकों से आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाते हैं। इस योजना के तहत विज्ञापन प्रति वर्ष मई माह में भारत के सभी प्रमुख समाचार पत्र-पत्रिकाओं में प्रकाशित किया जाता है। इसके लिए अंतिम तिथि 30 जून होती है। इसमें अभ्यर्थी को पी.एच-डी. के लिए विश्वविद्यालय से पंजीकृत होना आवश्यक है। इसमें अभ्यर्थी को पहले 2 वर्ष 8000/- रु. तथा तीसरे वर्ष 9000/- रु. तथा इसके साथ फुटकर खर्च के लिए 10000/- रु. तथा जिस संस्था से वह पंजीकृत होगा उसे 3000/- रु. प्रदान किए जाएंगे। विस्तृत जानकारी के लिए अनुसंधान एकक, पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो, ब्लाक सं. 11, 3/4 मंजिल, सीजीओ कंप्लैक्स, लोदी रोड, नई दिल्ली-110003 से संपर्क किया जा सकता है। पूर्ण जानकारी कार्यालय की वेब साइट www.bprd.gov.in में भी देखी जा सकती है। (संपर्क के लिए फोन नं. 01124360371/243)

पुलिस एवं कारागार संबंधी विषयों पर अनुसंधान परियोजनाएं आमंत्रित

पु.अनु.वि. ब्यूरो (गृह मंत्रालय) **पुलिस एवं कारागार** से संबंधित विभिन्न विषयों पर अनुसंधान परियोजनाओं के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए गैर सरकारी संगठनों, विश्वविद्यालयों व व्यक्तिगत शोधकर्ताओं को उनके संबंधित विश्वविद्यालयों के माध्यम से आवेदन आमंत्रित कर रहा है। आवेदन भेजने की अंतिम तिथि 30 सितंबर होती है। विस्तृत जानकारी के लिए उपनिदेशक (अनु.) एवं सहायक निदेशक (सी.सी.), ब्लाक सं. 11, 3/4 मंजिल, सीजीओ कंप्लैक्स, लोदी रोड, नई दिल्ली-110003 (फोन नं. 01124362418 एवं 01124263872) पर संपर्क कर सकते हैं। तथा ब्यूरो की www.bprd.gov.in वेब साइट से भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।

पं. गोविन्द वल्लभ पंत पुरस्कार योजना के अंतर्गत ब्यूरो द्वारा प्रकाशित पुस्तकें

क्र. सं.	*पुस्तक का नाम*	*लेखक का नाम*	*मूल्य*
1.	**भारतीय पुलिस का इतिहास** (अतीत काल से मुगल काल तक)	डा. शैलेन्द्र चतुर्वेदी	54/-
2.	**भारत में केन्द्रीय पुलिस संगठन**	श्री एच. भीष्मपाल	65/-
3.	**ग्रामीण पुलिस : समस्याएं एवं समाधान**	श्री रामलाल विवेक	65/-
4.	**ग्रामीण पुलिस : समस्याएं एवं समाधान**	श्री शंकर सरौलिया	70/-
5.	**विकासशील समाज में समसामयिक पुलिस की भूमिका**	श्री आर.एस. श्रीवास्तव	105/-
6.	**स्वातंत्र्योत्तर भारत में पुलिस की भूमिका एवं जनता का दायित्व**	डा. कृष्णमोहन माथुर	210/-
7.	**मादक पदार्थ एवं पुलिस की भूमिका**	श्री हरीश नवल	—
8.	**सामाजिक चेतना के परिप्रेक्ष्य में पुलिस की भूमिका का उद्‌भव**	प्रो. मीनाक्षी स्वामी	—
9.	**समग्र न्याय-व्यवस्था में पुलिस का स्थान एवं भूमिका**	श्री ललितेश्वर	600/-
10.	**पुलिस दायित्व एवं नागरिक जागरूकता**	डा. सी. अशोकवर्धन	568/-
11.	**महिला और पुलिस**	श्रीमती अमिता जोशी	100/-
12.	**मानवाधिकार और पुलिस**	डा. जी.एस. वाजपेयी	346/-
13.	**नई आर्थिक नीति एवं अपराध**	डा. अर्चना त्रिपाठी	183/-
14.	**बाल अपराध**	डा. गिरिश्वर मिश्र	225/-
15.	**न्यायालयिक विज्ञान की नई चुनौतियां**	डा. शरद सिंह	200/-
16.	**मानवाधिकार संरक्षण एवं पुलिस**	श्री रामकृष्ण दत्त शर्मा एवं डा. सविता शर्मा	510/-
17.	**सामुदायिक पुलिस व्यवस्था**	डा. तपन चक्रवर्ती डा. रवि अम्बष्ट	205/-
18.	**संगठित अपराध**	श्री महेन्द्र सिंह आदिल	313/-
19.	**पुलिस कार्यों का निजीकरण**	डा. शंकर सरौलिया	330/-
20.	**साइबर क्राइम**	डा. अनुपम शर्मा	450/-
21.	**अपराधों की रोकथाम और प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल**	डा. निशांत सिंह	545/-
22.	**अपराध पीड़ित महिलाओं की समस्याएं**	डा. उपनीत लाली डा. ऋता तिवारी	775/-

ब्यूरो द्वारा प्रकाशित उपरोक्त सभी पुस्तकें, नियंत्रक, प्रकाशन विभाग, सिविल लाइंस, दिल्ली-110054 से प्राप्त की जा सकती हैं।

लेखकों से निवेदन

यदि पुलिस विज्ञान में प्रकाशन के लिए आपके पास पुलिस, शांति-व्यवस्था, अपराध न्याय-व्यवस्था आदि पर कोई लेख है या आप लेख लिखने में सक्षम हैं तथा रुचि रखते हों तो अपने लेख यथा शीघ्र भेजें। अच्छे लेखों को प्रकाशित करने का हमारा पूरा प्रयास रहेगा। लेख टाइप किया होना चाहिए तथा इसके संबंध में फोटो, चार्ट आदि हों तो उन्हें भी साथ भेजना चाहिए। प्रकाशित होने वाले लेखों पर समुचित पारिश्रमिक की व्यवस्था है।

यदि आपने पुलिस विज्ञान से संबंधित किसी विषय पर उपयोगी पुस्तक लिखी है और आप पुलिस विज्ञान में उसे कड़ी के रूप में प्रकाशित करवाना चाहते हैं तो हमें पांडुलिपि भेजें।

यदि आप कर्मियों के कार्य को लेकर कहानी या अन्य किसी विधा में लिखने में रुचि रखते हों तो हम ऐसे साहित्य का भी स्वागत करेंगे।

यदि पुलिस विज्ञान से संबंधित किसी हिन्दीतर भाषा के उच्चस्तरीय लेख का अनुवाद किया हो और आपके पास अनुवाद प्रकाशन का कापीराइट हो अथवा उनके कापीराइट की आवश्यकता न हो तो ऐसे लेख/सामग्री भी प्रकाशनार्थ आमंत्रित हैं। प्रकाशित लेखों पर समुचित मानदेय देने की व्यवस्था है। लेख भेजते समय यह प्रमाणित करें कि लेख मौलिक/अनूदित व अप्रकाशित है तथा इस पर कोई मानदेय नहीं लिया गया है। अनूदित लेख के कापीराइट के संबंध में भी सूचित करें।

विषय आदि के बारे में विस्तृत जानकारी के लिए पुलिस विज्ञान की नमूने की प्रति मंगाने के लिए संपर्क करें :--

संपादक
पुलिस विज्ञान
पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो
ब्लाक-11, चौथी मंजिल
सी.जी.ओ. कम्पलैक्स, लोदी रोड
नई दिल्ली-110003
फोन : 24360371 एक्स. 253

वैब साइट — डब्लू डब्लू डब्लू.बीपीआरडी.जीओवी.इन
डब्लू डब्लू डब्लू. बीपीआरडी.एनआईसी.इन